


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938

No. 284]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं] विनियम, 2016.—

फा. सं. 1-3/2016 (सीपीपीआई/ईयू).—प्रस्तावना:—

संस्थाओं को विश्वविद्यालय मानी गयी संस्थाएं घोषित करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में विनियमित करने के लिए; जिससे संदिग्ध स्वरूप की संस्थाएं इस रूप में घोषित न हो सकें; और, विश्वविद्यालय मानी गयी संस्थाओं द्वारा प्रदान की गयी उच्चतर शिक्षा की गुणता किसी विश्वविद्यालय की अवधारणा के आदर्शों से संगत बनाए रखने के लिए; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, की धारा 26 की उपधारा [1] के खण्डों [च] और [छ] के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1.0 लघुशीर्षक, अनुपालन और प्रारम्भ

- 1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं] विनियम, 2016 कहा जायेगा।
- 1.2 ये विनियम हर उस संस्था पर लागू होंगे जो इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में घोषित होना चाहती है, और इसी तरह उस संस्था पर भी, यद्यपि पूर्वक्षित रूप में, लागू होंगे, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में घोषित किया गया है।
- 1.3 ये राजकीय राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1.4 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं) विनियम, 2010 और इसके उत्तरवर्ती संशोधनों को प्रतिस्थापित करेंगे।

2.0 परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

2.1 “अधिनियम” का अर्थ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 [1956 का अधिनियम 3]।

2.2 “परिसर” (कैम्पस) का अर्थ है, भारत के शहर/गाँव में स्थित विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के मुख्यालय का वह परिसर, जिसमें इसकी प्रमुख सुविधाएं, संकाय, कर्मचारिवृन्द, छात्र, और इसके शैक्षणिक विभाग अवस्थित हैं। ‘परिसर-बाह्य केंद्र’ (ऑफ-कैम्पस सेंटर) का अर्थ है, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का, देश में इसके परिसर (कैम्पस) से बाहर, कोई अनुमोदित (केंद्र सरकार द्वारा) केंद्र। मुख्यालय में एक ही नगर/शहर/गाँव में अवस्थित सभी परिसर शामिल हैं।

2.3 ‘आयोग’ का अर्थ है, अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को विनियमित करने के लिए सशक्त, कोई अन्य निकाय।

2.4 “विशेषज्ञों की समिति” का अर्थ है, आयोग द्वारा नियुक्त, शिक्षाशास्त्रियों, अनुसंधानकर्ताओं या ज्ञान के संगत क्षेत्रों में अन्य विशेषज्ञों से बनी कोई समिति, जिसे इन विनियमों के अधीन इसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया गया हो; और विशेषज्ञों की उतनी समितियां हो सकती हैं जितनी आयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए निर्धारित करे।

2.5 “संघटक संस्था” का अर्थ है, प्रायोजित करने वाले निकाय के प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन संचालित और अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित कोई संस्था।

2.6 “संघटक इकाई” का अर्थ है, संस्था की वे इकाइयां जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं के रूप में घोषित होने के लिए प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने के समय वर्तमान थीं।

2.7 “नवोन्मेषी (डी-नोवो) संस्था” का अर्थ है, अद्वितीय और ‘ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों’ में शिक्षण और अनुसंधान पर केन्द्रित कोई संस्था, जिसे शैक्षणिक समुदाय के समकक्ष जनों द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया हो।

2.8 नवोन्मेषी (डी-नोवो) संस्था के सन्दर्भ में “ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्र” का अर्थ है, ऐसे क्षेत्र जो वांछनीय और उपयोगी माने गए हैं किन्तु वर्तमान में देश में उनकी शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है।

2.9 “सरकार” का अर्थ है, केंद्र सरकार, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

2.10 “संस्था” का अर्थ है, स्नातक, स्नातकोत्तर या उच्चतर स्तरों पर शिक्षण और अनुसंधान में संलग्न उच्चतर शिक्षा की कोई संस्था।

2.11 “विश्वविद्यालय मानी गई संस्था” का अर्थ है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा, आयोग की सिफारिश पर, इस प्रकार घोषित उच्चतर शिक्षा के लिए कोई संस्था।

2.12 “आवश्यक अवसंरचना” का अर्थ है, सम्बंधित सांविधिक निकाय/आयोग के मानकों के अधीन यथा-अपेक्षित अवसंरचना।

2.13 “प्रक्रिया शुल्क” का अर्थ है, वे प्रभार जिनका आवेदक संस्था द्वारा आयोग को आवेदन के साथ, ऐसे आवेदन की प्रक्रिया के लिए, भुगतान किया जाना है। इस राशि में वह व्यय लिया जाएगा जो आवेदन की प्रक्रिया के लिए आयोग द्वारा किया जाना है जिसमें आयोग की विशेषज्ञ समितियों द्वारा उसके अवस्थान की की गयी यात्राओं का व्यय शामिल होगा। आयोग प्रक्रिया शुल्क विहित करेगा और इसे समय-समय पर परिशोधित करेगा।

- 2.14 “अधिसूचना” का अर्थ है, केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में जारी कोई अधिसूचना जिसमें उच्चतर शिक्षा की किसी संस्था को अधिनियम की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में घोषित किया गया हो ।
- 2.15 “प्रायोजक निकाय” का अर्थ है, पूर्ण या लाभ-के-लिए-नहीं सोसाइटी/न्यास/कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन होते हुए अपने प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय नियंत्रण की किसी संस्था को विश्वविद्यालय मानी गई संस्था घोषित कराने के लिए आवेदन करती है ।
- 2.16 “सांविधिक निकाय/प्राधिकरण/परिषद्” का अर्थ है, उच्चतर शिक्षा के संगत क्षेत्रों में गुणता के मानक निर्धारित करने या बनाए रखने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई निकाय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI), भारतीय दन्त परिषद् (DCI), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE), भारतीय विधिज्ञ परिषद् (BCI), भारतीय परिचर्या परिषद् (INC), या संसद के किसी अधिनियम के अधीन गठित ऐसे कोई अन्य नियामक निकाय इन विनियमों के प्रयोजन के लिए सांविधिक निकाय होंगे ।

3 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के उद्देश्य

जिन उद्देश्यों के लिए किसी संस्था को सरकार द्वारा विश्वविद्यालय मानी गई संस्था घोषित किया जाता है, वे हैं :

- 3.1 प्राथमिक रूप से स्नातकोत्तर और अनुसंधान उपाधि स्तरों पर ज्ञान की ऐसी शाखाओं में जो उपयुक्त मानी जाए, उत्कर्ष और नवप्रवृत्ति की ओर ले जाने वाली उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना, जो विश्वविद्यालय की संकल्पना, नामतः, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रतिवेदन (1948) और भारत में उच्चतर शिक्षा के पुनरुद्धार और कार्याकल्प विषयक समिति के प्रतिवेदन (2009) और विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं की पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन (2009) के पूरी तरह अनुरूप हो ।
- 3.2 विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सिद्ध योग्यता के साथ उच्चतर शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों में विशिष्ट योगदान करने हेतु संलग्न होना ।
- 3.3 उच्च गुणता के शिक्षण और अनुसंधान की, और ज्ञान के उन्नयन की और विविध विषयों में पूर्णकालिक संकाय/अनुसंधान छात्रों (पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल) द्वारा इन-हाउस चलाए जा रहे विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से इसके प्रसार की व्यवस्था करना ।
- 3.4 नवोन्मेषी (*डी-नोवो*) कोटि में विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं के सृजन को सुकर बनाना जो ज्ञान के अद्वितीय और उभरते हुए क्षेत्रों को समर्पित हों, जो परिपाटीगत या वर्तमान संस्थाओं द्वारा अनुसरित नहीं की जा रही हों, जो विशेषतः अध्ययन और अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में अधिमानतः किसी राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हों जो देश की रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए या हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानी गयी हों, जो शैक्षणिक समुदाय के समकक्ष जनों के साथ विस्तृत परामर्श की सुस्थापित प्रक्रिया द्वारा इस रूप में निर्धारित की गयी हों।

4.0 किसी संस्था को विश्वविद्यालय मानी गई संस्था घोषित किए जाने के लिए पात्रता के मानदंड

किसी संस्था को, जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में घोषित की जाने के लिए आवेदन कर रही हो, निम्नलिखित अनुबंधों को पूरा करना आवश्यक होगा :-

(क) पात्रता मानदंड

4.1 संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् (NAAC) द्वारा और/या राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड (NBA) द्वारा लगातार दो चक्रों के लिए उच्चतम ग्रेड से प्रत्यायित की गई हो और पुनः लगातार तीसरे चक्र (पंचवर्षीय चक्र) में उच्चतम ग्रेड प्राप्त करती हो। NBA के मामले में ऐसा प्रत्यायन इसके सभी पात्र पाठ्यक्रमों के लिए होना चाहिए।

अथवा

संस्था आवेदन के समय, और ठीक पिछले NAAC/NBA चक्र में, उच्चतम NAAC/NBA कोटि में होनी चाहिए, और किसी भी विशिष्ट कोटि में चोटी की 20 संस्थाओं में या आवेदन के समय, और ठीक पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय संस्था श्रेणीकरण ढाँचे (NIRF) के समस्त श्रेणीकरण के चोटी की 100 संस्थाओं में होनी चाहिए। NBA के मामले में ऐसा प्रत्यायन इसके सभी पात्र पाठ्यक्रमों के लिए होना चाहिए।

4.2 संस्था ने विविध पाठ्यक्रम प्रावधानों, शिक्षण में योगदान; और सत्यापनीय अनुसंधान निर्गतों के माध्यम से एक विश्वविद्यालय के अभिलक्षण प्रदर्शित किए हों।

4.3 संस्था के पास पूर्वस्नातक और कम से कम पांच स्नातकोत्तर विभाग अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ 3 वर्षों से अस्तित्व में हों।

4.4 संस्था अनुसंधान क्रियाकलाप, प्रकाशन और अध्ययनशील कार्यों में संलग्न रहेगी और इसके पास डॉक्टरल/पोस्टडॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रम होंगे। मानविकी, समाज-विज्ञानों, भाषाओं में संकाय के पास कम से कम 10 प्रकाशन हों और विज्ञान/आयुर्विज्ञान/इंजीनियरी के संकाय के पास कम से कम 15 प्रकाशन प्रतिवर्ष हों जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध निर्दिष्ट शोध-पत्रिकाओं में आए हों और जिनमें प्रभावित करने के उपादान हों।

4.5 संस्था में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बंधित सांविधिक परिषद्/परिषदों के मानकों के अनुसार शिक्षण और अनुसंधान के लिए पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक पूर्णतः योग्यता प्राप्त संकाय हो।

4.6 संस्था के पास गुणतायुक्त अनुसंधान और आधुनिक सूचना संसाधनों तक सीवनहीन पहुँच के लिए आवश्यक अवसंरचना होगी।

4.7 संस्था के पास विभिन्न सार्वजनिक/निजी अभिकरणों से योग्यता-आधारित बहिर्वर्ती अनुसंधान निधीयन प्राप्त करने का सिद्ध अभिलेख हो।

4.8 संस्था के पास विस्तारण सेवाओं और समाज-संलग्नता का अभिलेख हो।

4.9 मूल प्रस्ताव में शामिल प्रत्येक संघटक इकाई के पास या तो राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से दी गयी उच्चतम कोटि के साथ दो चक्रों के लिए सतत प्रत्यायन हो और उसे तीसरे चक्र के लिए भी वैध उच्चतम कोटि प्राप्त हो और/या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) या आयोग द्वारा समय समय पर मान्यताप्राप्त किसी प्रत्यायन अभिकरण द्वारा इसके सभी पात्र पाठ्यक्रमों के लिए लगातार दो चक्रों (प्रत्येक पांच वर्ष) के लिए दी गयी उच्चतम कोटि के साथ दो चक्रों के लिए सतत प्रत्यायन हो और उसे तीसरे चक्र के लिए भी वैध उच्चतम कोटि प्राप्त हो जो वर्तमान में वैध हो।

4.10 संस्था यह वचनबंध देगी कि वह दूरस्थ रीति से कोई कार्यक्रम नहीं चलाएगी।

(ख) शर्तें

4.11 आवेदक संस्था अलाभार्थी संस्था होगी और उच्चतर शिक्षा के वाणिज्यीकरण में संलग्न नहीं होगी।

4.12 आवेदक संस्था द्वारा, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की स्थिति प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से ठीक पहले के पांच वर्षों में, किसी संविधि/UGC के मार्गदर्शक सिद्धांतों/किसी सांविधिक प्राधिकरण का अतिक्रमण न किया गया हो।

5.0 किसी संस्था को विश्वविद्यालय मानी गई संस्था घोषित किए जाने के लिए शासन-प्रणाली

विश्वविद्यालय मानी जाने के रूप में घोषित की गई संस्था निम्नलिखित निकषों का दृढ़तापूर्वक पालन करेगी :

5.1 विश्वविद्यालय मानी गई प्रस्तावित संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन अलाभार्थी सोसाइटी के रूप में या लोक न्यास अधिनियम के अधीन अलाभार्थी न्यास के रूप में या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन अलाभार्थी कंपनी के रूप में पंजीकृत की जाएगी (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रबंध सोसाइटी/न्यास/कंपनी कहा गया है), जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत अलाभार्थी सोसाइटी या लोक न्यास अधिनियम के अधीन पंजीकृत अलाभार्थी न्यास या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन अलाभार्थी कंपनी के स्वामित्व में होगी (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी कहा गया है) या सरकार नियंत्रित विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के मामले में सरकार के नियंत्रण में होगी।

परन्तु, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की, जो सरकार नियंत्रित विश्वविद्यालय मानी गई संस्था नहीं है, किसी प्रबंध सोसाइटी/न्यास/कंपनी के सदस्य/न्यासी/संप्रवर्तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी के सदस्यों/न्यासियों/संप्रवर्तकों के साथ संबंधित नहीं होंगे।

5.2 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के प्राधिकारियों में एक कुलाधिपति होगा जो प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाएगा और एक विशिष्ट सार्वजनिक व्यक्ति होगा।

5.3 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं का प्रायोजक निकाय प्रति-कुलाधिपति के रूप में एक और व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा जिसकी भूमिका इन विनियमों में कुलाधिपति को सौंपे गए कार्यों को तब, जब कुलाधिपति उन्हें करने के लिए उपलब्ध नहीं हो, करने तक सीमित होगी।

5.4 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का उच्चतम शासी निकाय एक प्रबंधन बोर्ड होगा जिसका अध्यक्ष कुलपति होगा। यह निकाय न्यूनतम दस सदस्यों और अधिकतम पंद्रह सदस्यों से मिल कर बनेगा।

5.5 संस्था का प्रबंध बोर्ड प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी और प्रबंध सोसाइटी/न्यास/कंपनी से स्वतंत्र होगा और उसे अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन की पूरी स्वायत्तता होगी। प्रबंधन बोर्ड में प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी के प्रतिनिधि(यों)/नामानिर्देशित(यों) की संख्या अधिकतम चार तक सीमित होगी।

5.6 प्रबंधन बोर्ड में विश्वविद्यालय के आदर्शों और परम्पराओं में योगदान करने और उन्हें बनाए रखने के योग्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

5.7 प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित से मिल कर बनेगा :

(i) कुलपति अध्यक्ष

- (ii) प्रति-कुलपति (जहां कहीं भी लागू हो)
- (iii) संकायाध्यक्ष जो दो से अधिक नहीं होंगे (वरिष्ठता आधारित क्रमावर्तन से)
- (iv) कुलाधिपति द्वारा यथा-नामनिर्देशित तीन प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्री, जो प्रोफेसर की रैंक पर कार्य कर चुके हों और न तो संस्था से न प्रायोजक निकाय से हों न ही उनके संबंधी हों
- (v) संस्थाओं के सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित होने या सरकार से सीधे या इसके अभिकरणों के माध्यम से इसके व्यय (पिछले तीन वर्ष के औसत लेखा पर आधारित) के 50% या उससे अधिक का अनुदान प्राप्त करने के मामले में, सरकार (अपने-अपने केंद्र सरकार मंत्रालय/अपनी-अपनी राज्य सरकार) का एक प्रतिनिधि जो एक प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्री होगा और प्रोफेसर की रैंक से नीचे का नहीं होगा। अन्य सभी विश्वविद्यालय मानी गयी संस्थाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक प्रतिनिधि नामनिर्देशित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपना प्रतिनिधि एक खोज समिति के माध्यम से चयनित नामों के पैनल में से नामनिर्देशित करेगा। खोज समिति, नामों के पैनल के चयन के लिए इन विनियमों के उपाबंध-1 के खंड 5.0 में उल्लिखित ब्यौरों और प्रक्रिया के अनुसार निर्मित की जाएगी।
- (vi) दो शिक्षक (प्रोफेसरों, असोशिएट प्रोफेसरों में से) वरिष्ठता आधारित क्रमावर्तन द्वारा
- (vii) सहायक प्रोफेसर की रैंक का एक शिक्षक क्रमावर्तन द्वारा
- (viii) प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी के अधिकतम चार नाम-निर्देशिती
- (ix) रजिस्ट्रार, जो इसका सचिव होगा

प्रबंधन बोर्ड की सदस्यता की पदावधि और इसकी शक्तियां उपाबंध-1 में दिखाई गयी हैं।

5.8 कुलपति एक प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्री होगा और उपाबंध-2 के खंड 6.2 में अधिकथित रीति से नियुक्त किया जाएगा।

5.9 विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के अन्य सभी प्राधिकारी उपाबंध 2 में यथा-वर्णित होंगे।

5.10 इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद सरकारी वित्तपोषित विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था की अभिशासन प्रणाली तथा उसका प्रबंधन ढांचा स्थिति अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार होना चाहिए।

6. प्रवेश और फीस संरचना

6.1 कोई भी विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था, ऐसी संस्था में चलाए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश फीस और अन्य फीस व प्रभार के रूप में कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगी -

- (क) जो किसी भी नाम या स्वरूप में प्रतिव्यक्ति फीस या दान हो
- (ख) जो ऐसे प्रवेश के लिए उस फीस या प्रभार से इतर कोई भुगतान हो जो इसने किसी सीट पर प्रवेश के लिए विवरण-पत्रिका में या संस्था की वेबसाइट पर घोषित किया हो,

परन्तु, यदि सरकार या आयोग द्वारा समय समय पर बनाए गए फीस विनियम के अनुरूप कोई फीस विहित हैं, तो प्रवेश के लिए फीस या अन्य प्रभार उतने से अधिक नहीं होंगे

(ग) जो ऐसी संस्था में दाखिल सम्बंधित छात्र को ऐसे भुगतान के लिए लिखित में उपयुक्त रसीद के बिना हो

6.2 (1) कोई भी विश्वविद्यालय मानी गई संस्था किसी प्रवेश-परीक्षा के लिए कोई फीस, जो उतनी राशि से इतर हो जो ऐसी परीक्षा के संचालन में आने वाली उसकी युक्तियुक्त लागत को निरूपित करती हो, प्रभारित नहीं करेगी :

बशर्त यह भी कि विश्वविद्यालय मानी गई कोई संस्था किसी भी रीति में शिक्षा के वाणिज्यीकरण में संलग्न नहीं होगी, और सभी योग्य छात्रों के लिए साम्या और पहुँच प्रदान करेगी ।

(2) यदि कोई प्रवेश-प्राप्त छात्र संस्था के खुलने के 7 दिनों के अन्दर संस्था में दाखिल नहीं होता है, तो संस्था :

(क) यदि छात्र शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने के कम से कम 7 दिन पूर्व अपनी संस्था को अपने इरादे की सूचना दे देता है, तो उससे वसूल 100% फीस उतना प्रक्रिया-प्रभार काट कर, जो रु. 10000, या UGC द्वारा कोई अन्य निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी, उसे लौटा देगी । यह राशि छात्र से सूचना प्राप्त हो जाने के 15 दिनों के अन्दर लौटा दी जाएगी ।

(ख) यदि छात्र द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं दी गयी है किन्तु संस्था इस प्रकार खाली सीट को भरने में समर्थ है, तो उससे वसूल 100% फीस उतना प्रक्रिया-प्रभार काट कर, जो रु. 10000, या UGC द्वारा कोई अन्य निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी, उसे लौटा देगी । यह राशि छात्र से फीस वापसी का अनुरोध प्राप्त हो जाने के 15 दिनों के अन्दर या शैक्षणिक सत्र के खुलने के 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात्, जो भी बाद में हो, लौटा दी जाएगी ।

(ग) यदि छात्र द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं दी गयी है और संस्था शैक्षणिक सत्र के खुलने के 30 दिनों की समाप्ति के बाद भी सीट को भरने में समर्थ नहीं है, तो उससे वसूल 50% फीस उतना प्रक्रिया-प्रभार काट कर, जो रु. 10000, या UGC द्वारा कोई अन्य निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी, उसे लौटा देगी। यह राशि छात्र से फीस वापसी का अनुरोध प्राप्त हो जाने के 15 दिनों के अन्दर या शैक्षणिक सत्र के खुलने के 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात्, जो भी बाद में हो, लौटा दी जाएगी ।

(3) यदि कोई छात्र संस्था में दाखिला ले लेता है, और बीच सत्र में इसे छोड़ देता है तो उससे वसूल पूरी फीस जम्मा कर ली जाएगी ।

6.3 विश्वविद्यालय मानी गई किसी संस्था में, वह सार्वजनिक हो या निजी, किसी छात्र को निम्नलिखित रीति से प्रवेश दिया जाएगा :

(i) यदि समुचित सांविधिक प्राधिकारी ने किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की है, जिसमें किसी व्यक्ति की ऐसे पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के लिए उसकी दक्षता के निर्धारण के लिए प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा लेना शामिल है, तो उस मामले में, ऐसी संस्था में किसी भी व्यक्ति को, ऐसे पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के लिए किसी मान्यताप्राप्त निकाय या ऐसी संस्था या संस्था-समूह, यदि ऐसी संस्था या संस्था-समूह को केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के माध्यम के बिना दाखिला नहीं दिया जाएगा ।

(ii) यदि किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए उपखंड (1) के अधीन चयन की ऐसी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट नहीं की गयी है, जिसमें प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा लेना शामिल हो, तो उस मामले में, कोई भी व्यक्ति ऐसी संस्था में ऐसे पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए एक-दूसरे के मुकाबले की योग्यता के बिना प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जो प्रत्येक संस्था की विवरण-पत्रिका में विनिर्दिष्ट की जाएगी और एक-दूसरे के मुकाबले की इस प्रकार निकाली गयी योग्यता को, सभी व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे के मुकाबले की ऐसी सूची तैयार करने में लिए गए प्रत्येक प्राचल में प्राप्त किए गए प्राप्तांकों के साथ, संस्था की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा :

परन्तु, विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं में अनिवासी भारतीयों (NRI)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO)/विदेशी छात्रों का प्रवेश आयोग द्वारा इसकी ओर से समय समय पर बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों/विनियमों द्वारा नियंत्रित होगा ।

6.4 विश्वविद्यालय मानी गई प्रत्येक संस्था -

(क) छात्रों के चयन की समूची प्रक्रिया के अभिलेखों को रखेगी, और ऐसे अभिलेखों को कम से कम पांच वर्ष तक सुरक्षित रखेगी ;

(ख) ऐसे अभिलेखों को अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगी; और

(ग) ऐसे अभिलेखों को, जब भी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सांविधिक प्राधिकारी द्वारा या सरकार द्वारा ऐसा करने को कहा जाए, प्रस्तुत करने के लिए दायी होगी ।

6.5 विश्वविद्यालय मानी गई प्रत्येक संस्था अपने किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन-कार्यक्रम में प्रवेश के प्रारम्भ होने की तिथि से साठ दिन समाप्त होने से पूर्व ऐसी संस्था में प्रवेश लेने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों और सामान्य जनता को सूचना देने के प्रयोजन से एक विवरण-पत्रिका प्रकाशित करेगी, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :

- (i) ऐसी संस्थाओं में किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन-कार्यक्रम के लिए प्रवेश पाने वाले छात्रों द्वारा देय फीस का प्रत्येक घटक, निक्षेप राशियाँ और अन्य प्रभार, और ऐसे भुगतानों की अन्य शर्तें व दशाएं;
- (ii) जिन छात्रों को ऐसी संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है यदि वे पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के पूरा होने से पूर्व या पश्चात उन संस्थाओं को छोड़ देते हैं तो उन्हें वापस किए जाने योग्य शिक्षा फीस और अन्य प्रभार की प्रतिशतता और जितने समय में और जिस रीति से यह राशि उन्हें वापस की जाएगी इसकी सूचना;
- (iii) जिस शिक्षण वर्ष में प्रवेश देने का प्रस्ताव किया जाता है उस वर्ष के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम हेतु अनुमोदित स्थानों (सीटों) की संख्या;
- (iv) किसी विशेष पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में छात्र के रूप में प्रवेश लेने के लिए व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें जिनमें न्यूनतम और अधिकतम आयु-सीमा शामिल है, जहां भी संस्था द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (v) संगत सांविधिक प्राधिकरण/निकाय द्वारा, या जहां किसी सांविधिक निकाय द्वारा कोई अर्हता के मानक विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, वहां संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं;
- (vi) ऐसे प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों के प्रवेश और चयन की प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम हेतु ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षण या परिक्षा के ब्यौरे, और प्रवेश परिक्षा के लिए चुकाई जाने वाली फीस की राशि;

- (vii) शिक्षण संकाय के ब्यौरे, जिसमें इसके शिक्षण संकाय के प्रत्येक सदस्य की शैक्षणिक अर्हताएं और शिक्षण अनुभव शामिल हो, और यह भी सूचित किया गया हो की वह सदस्य नियमित आधार पर है या अतिथि (विजिटिंग) आधार पर;
- (viii) शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की प्रत्येक कोटि के लिए देय न्यूनतम वेतन और अन्य परिलब्धियां;
- (ix) राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा के अधीन अंतिम तीन वर्षों के लिए संस्था की रैंकिंग (यदि उपलब्ध हो);
- (x) भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के बारे में सूचना जिसमें छात्रावास, पुस्तकालय, अस्पताल या वह उद्योग जहां छात्रों को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाना हो, और विशेष रूप से संस्था में दाखिला लेने वाले छात्रों की पहुँच में आने वाली सुविधाएं;
- (xi) मामले के अनुसार उपयुक्त सांविधिक निकाय या संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्येक पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम की विवरण-पत्रिका की व्यापक रूपरेखा जिसमें शिक्षण के घंटे, प्रयोगात्मक सत्र तथा अन्य नियत कार्य शामिल हो;
- (xii) संस्था के परिसर के भीतर या बाहर छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के बारे में सभी संगत अनुदेश, और विशेष रूप से किसी छात्र या छात्रों की रैंकिंग के निषेध और उसके परिणाम से सम्बंधित अनुशासन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए किसी विनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अनुशासन ।

परन्तु, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था इस खंड की मद (i) से (xi)में निर्दिष्ट सूचना अपनी वेबसाईट पर प्रकाशित करेगी, और विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रदर्शित विज्ञापनों द्वारा और अन्य माध्यम द्वारा प्रत्याशित छात्रों और आम जनता का ध्यान वेबसाईट पर किए गए पर ऐसे प्रकाशन की ओर दिलाया जाएगा;

बशर्ते यह भी कि विश्वविद्यालय मानी गई संस्था इस खंड में विनिर्दिष्ट साठ दिनों की समाप्ति के पूर्व किसी समय इस खंड के अनुरूप विवरण पत्रिका प्रकाशित करेगी ।

6.6 प्रत्येक विश्वविद्यालय मानी गई संस्था विवरण पत्रिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति के लिए कीमत नियत करेगी, जो इसके प्रकाशन और वितरण की उचित लागत से अधिक नहीं होगी और इसके प्रकाशन, वितरण और विवरण-पत्रिका की बिक्री से कोई लाभ नहीं उठाया जाएगा ।

6.7 विश्वविद्यालय मानी गई कोई भी संस्था, इसके द्वारा चलाए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम की किसी सीट या सीटों पर प्रवेश देने के प्रतिफल के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रति व्यक्ति फीस (कैपिटेशन फीस) की मांग, या प्रभार नहीं करेगी न ही किसी दान की मांग करेगी।

6.8 कोई भी व्यक्ति, विश्वविद्यालय मानी गई किसी भी संस्था में, इसके द्वारा चलाए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम की किसी सीट या सीटों पर प्रवेश देने के प्रतिफल के रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, रोकड़ या वस्तु के रूप में या अन्यथा प्रति व्यक्ति फीस देने का न तो प्रस्ताव करेगा न ही देगा न ही कोई दान देगा ।

6.9 विश्वविद्यालय मानी गई किसी संस्था के पास या उसकी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा उस संस्था में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए डिग्री, डिप्लोमा या किसी अन्य उपाधि के प्रमाणपत्र के रूप में कोई दस्तावेज हैं या कोई अन्य दस्तावेज हैं, तो वह संस्था उस डिग्री, प्रमाणपत्र को उस व्यक्ति को लौटाने से इस दृष्टि से इंकार नहीं करेगी कि उस व्यक्ति को किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के लिए, जिसके अनुसरण का या ऐसी संस्था की किसी सुविधा का लाभ लेने का उस व्यक्ति का इरादा नहीं है, कोई फीस देने के लिए प्रेरित या बाध्य करे।

6.10 यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय मानी गई किसी संस्था में कोई पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दे दिए जाने के उपरांत बाद में ऐसी संस्था से अपना नाम वापस ले लेता है, तो उस मामले में कोई संस्था ऐसे छात्र द्वारा जमा की गयी फीस का उतना प्रतिशत उतनी अवधि के अन्दर लौटाने से इंकार नहीं करेगी जितनी कि ऐसी संस्था की विवरण-पत्रिका में उल्लिखित है।

6.11 कोई विश्वविद्यालय मानी गई संस्था -

(क) यह दावा करते हुए, कि वह उपयुक्त सांविधिक प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था है जबकि वह मान्यताप्राप्त नहीं है, छात्रों को उस संस्था में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करने वाले कोई विज्ञापन जारी या प्रकाशित नहीं करेगी; या

(ख) विज्ञापन के माध्यम से या अन्यथा अपनी अवसंरचना या इसकी शैक्षणिक सुविधाओं या इसके संकाय या शिक्षण के स्तर या शैक्षणिक या अनुसंधान निष्पादन के बारे में, जिसे संस्था या संस्था की ओर से ऐसे विज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति जानता है कि असत्य है या तथ्य पर आधारित नहीं है या भ्रामक है, कोई सूचना जारी या प्रकाशित नहीं करेगी।

6.12 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था घोषित हो जाने के पश्चात्, कोई संस्था केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुवर्ती शैक्षणिक सत्र से अपने अनुमोदित शैक्षणिक कार्यक्रमों में इसके नामांकन के अधीन छात्रों का प्रवेश स्वीकार करेगी :

परन्तु, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में इसके घोषित हो जाने की, या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की परिधि में संस्था के शामिल होने की, प्रत्याशा में छात्रों का नामांकन, चाहे किसी भी कारण से हो, आवेदन को अवैध बना देगा :

परन्तु यह और भी, कि जो छात्र उसे विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में घोषित किए जाने हेतु आवेदन किए जाने की तिथि से पूर्व या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की परिधि में इसके शामिल होने के पहले से ही संस्था के नामांकन में हैं, वे सभी प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालय के, जिसके साथ उनका पहले से ही नामांकन है, छात्र बने रहेंगे और उन्हें उसी सम्बद्ध विश्वविद्यालय से डिग्री भी प्रादान की जाएगी।

7.0 अवसंरचना और अन्य सुविधाएं

7.1 इसके पास आवश्यक वित्तीय और अवसंरचनात्मक व्यवहार्यता होगी ताकि उस संस्था का विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में देख-रेख किया जा सके और उसे उस रूप में बनाए रखा जा सके, और प्रबंधन विश्वविद्यालय के आदर्शों और परम्पराओं में योगदान करने में सक्षम बना रह सके और शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार क्रियाकलाप की गुणता का संवर्धन किया जा सके।

7.2 इसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अवसंरचना और अन्य सुविधाएं होंगी :

7.2.1 भूमि और भवन :-

- (i) न्यूनतम 1000 वर्गमीटर का प्रशासनिक भवन
- (ii) न्यूनतम 15000 वर्गमीटर के शैक्षणिक भवन, जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान शालाएं और प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जिसमें केवल केन्द्रीय पुस्तकालय ही लगभग 2000 वर्गमीटर का होना चाहिए ।
- (iii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था घोषित की जाने हेतु आवेदन करते समय शिक्षकों के लिए कुछ आवास, अतिथि-गृह और छात्रों के लिए छात्रावास अस्तित्व में होने चाहिए । विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था का अस्तित्व होने के 3 वर्ष के अन्दर छात्रावास क्रमशः बढ़ा कर छात्रों के 25% के लिए कर दिया जाएगा । छात्रावास सुविधाओं हेतु फर्शी क्षेत्रफल (फ्लोर एरिया) आवास हेतु प्रस्तावित प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग मीटर का होगा ।

परन्तु, यदि संस्था महानगरीय/नगरीय क्षेत्र में स्थापित की जानी प्रस्तावित है, और यदि प्रस्तावित संस्था के पास स्थान की कमी है, तो छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाओं को, तथा शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों हेतु आवासीय सुविधाओं को मुख्य परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किया जा सकता है ।

- (iv) कुल आवश्यक खुला स्थान संस्था के कुल क्षेत्रफल का 40% होगा ।
- (v) बहुल खेल सुविधाओं से युक्त खेल के मैदान का न्यूनतम क्षेत्र 25000 वर्गमीटर का होगा ।
- (vi) छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों या किन्हीं अन्य सदस्यों के लिए संस्था में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं होंगी ।
- (vii) संस्था में बिना किसी व्यवधान के पहुँचना सुगम होगा और उसमें समुचित सुरक्षा उपाय (अग्निशमन, इत्यादि) किए गए होंगे ।
- (viii) उपस्कर, पुस्तकें, शोध-पत्रिकाएँ और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं : संस्था के उपस्कर, पुस्तकें और शोध-पत्रिकाएँ संस्था के आमाप और क्रियाकलाप की समानुपातिक अनुरूपता में होंगी और सम्बंधित सांविधिक/नियामक निकाय की अपेक्षाओं को संतुष्ट करेंगी। स्व-अधिगम/आभासी प्रयोग/हैंड्स-ऑन तकनीक की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संस्था में उपयुक्त स्तर की ब्रोडबैंड संयोजकता होगी साथ ही शोध-पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य अधिगम सामग्रियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पहुँच उपलब्ध होगी ।
- (ix) बहुल-विषय (मल्टी-डिसिप्लिनरी) संस्था के मामले में सकल भूमि आवश्यकता, विभिन्न सांविधिक परिषदों द्वारा सभी पाठ्यक्रमों के लिए विहित किए गए भूमि-क्षेत्र का कुल योग होगी । यदि संस्था वृत्तिक (प्रोफेशनल) अध्ययन-कार्यक्रम चलाने में संलग्न है, तो उस मामले में उपर्युक्त के अलावे, उससे सम्बंधित सांविधिक निकाय के वर्तमान में अपनाए जा रहे सन्नियम और मानक लागू होंगे ।

- (x) अवसंरचना की आवश्यकताओं का आकलन आवेदन में प्रस्तावित भावी विस्तार का विचार रखते हुए किया जाएगा जिसके साथ छात्रों के लिए छात्रावास और अन्य अनुषंगी सुविधाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का विचार भी रहेगा। अवसंरचना की आवश्यकता, वर्तमान परिसर में नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/विद्यालय/केंद्र खोलने से पूर्व ही सुनिश्चित की जाएगी।

7.3 शैक्षणिक कार्यक्रम

7.3.1

- > शैक्षणिक कार्यक्रम में अंतर-विषयक अधिगम और अनुसंधान के लिए पर्याप्त कार्यक्षेत्र प्रदान किया जाएगा।
- > कार्यक्रम का अंतरण नव प्रवर्तनशील शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन पद्धति पर आधारित होगा।
- > इसे बल प्रदान करने के लिए, UGC/सम्बंधित सांविधिक परिषद्/परिषदों के सन्निधियों के अनुसार पर्याप्त अर्हताप्राप्त प्राध्यापक वर्ग होगा।

7.3.2 इसमें कम से कम 3 वर्षों के लिए, स्नातक पूर्व और कम से कम पांच स्नातकोत्तर शैक्षणिक विभाग अस्तित्व में होंगे और प्रत्येक विभाग में सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए कम से कम एक आचार्य (प्रोफेसर), दो सह-आचार्य (असोशिएट प्रोफेसर) और चार सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) का स्थायी प्राध्यापक वर्ग होगा और अन्य विषय-क्षेत्रों, जैसे कि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, दन्त-चिकित्सा, परिचर्या (नर्सिंग), भेषजविज्ञान (फार्मसी), भौतिक-चिकित्सा (फिजिओथैरेपी) इत्यादि में इनसे सम्बंधित सांविधिक परिषद् के सन्निधियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्राध्यापक वर्ग होगा जिनकी अर्हताएं और वेतनमान आयोग/उनसे सम्बंधित सांविधिक परिषद् द्वारा विहित होंगे और साथ ही उनसे सम्बंधित सांविधिक निकाय द्वारा अधिकथित सन्निधियों और मानकों के अनुसार आवश्यक सहयोगी तकनीकी और अनुसचिवीय कर्मचारी होंगे।

परन्तु, विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के रूप में अधिसूचना के पश्चात् प्रथम तीन वर्षों के लिए संस्था, प्रत्येक विभाग के लिए प्राध्यापक वर्ग की कुल न्यूनतम संख्या सात रखते हुए, आचार्य के स्थान पर सह-आचार्य या सहायक आचार्य नियुक्त कर सकती है।

7.3.3 अपेक्षाकृत दुर्बल छात्रों और भिन्न रूप से शक्त छात्रों के लिए इसके पास परामर्शदात्री सुविधाएं होंगी और ऐसे छात्रों के लिए विशेष शिक्षण अधिगम सहायता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

7.4 वित्तीय व्यवहार्यता :

संस्था की वित्तीय व्यवहार्यता विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के रूप में घोषणा के लिए आवेदन करने की तिथि से ठीक पहले के पांच वर्षों के संस्था के लेखा-परीक्षित लेखा-विवरणों द्वारा सत्यापनीय होगी।

7.5 समग्र निधि :

7.5.1 सरकार द्वारा प्रबंधित या वित्तपोषित संस्था न होने के मामले में, निम्नलिखित समग्र निधि, आयोग द्वारा अनुमोदित अप्रतिसंहरणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, प्रस्तावित विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नाम में, स्थायी रूप से सृष्ट और अनुरक्षित की जाएगी :

क. वृत्तिक कार्यक्रम, जैसे कि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान के कार्यक्रम चलाने वाली संस्था के लिए - रु. 15.00 करोड़

ख. प्रबंधन, विधि, शिक्षा जैसे कार्यक्रम चलाने वाली संस्था के लिए - रु. 8.00 करोड़

ग. अन्य कार्यक्रम चलाने वाली संस्था के लिए - रु. 7.00 करोड़

घ. वृत्तिक और अन्य दोनों ही कार्यक्रम चलाने वाली संस्था के लिए - रु. 18.00 करोड़

ङ. नवोन्मेषी (डी-नोवो) कोटि के अधीन संस्थाओं के लिए - रु. 40.00 करोड़

7.5.2 समग्र निधि का आयोग की पूर्व अनुमति के बिना परिसमापन नहीं किया जा सकेगा ।

7.5.3 आयोग के पास यह शक्ति होगी कि वह समय-समय पर समग्र निधि में बढ़ोतरी करने वाले किसी संशोधन का निदेश दे सकेगा । आयोग द्वारा समग्र निधि के परिमाण का प्रत्येक पांच वर्ष पर पुनर्विलोकन किया जाएगा और इस प्रकार आदिष्ट कोई बढ़ोतरी करने वाला संशोधन मुद्रास्फीति की दर (थोकबिक्री कीमत सूचकांक के माध्यम से मापित) से अधिक नहीं होगा

7.5.4 समग्र निधि पर प्रोद्भूत ब्याज केवल विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के विकास के प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त की जा सकेगी ।

7.5.5 'विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था' की स्थिति की घोषणा को वापस लेने की या विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था की प्रबंध सोसाइटी/न्यास/कंपनी के विघटन की दशा में, समग्र निधि आयोग को, उसकी देयताएं, यदि कोई हों, पूरी करने के लिए, अंतरित हो जाएगी :

परन्तु, लोकनिधि से वित्तपोषित विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के मामले में, समग्र निधि मामले के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अंतरित हो जाएगी ।

7.5.6 समग्र निधि से सम्बंधित उपबंध केवल उन विश्वविद्यालय मानी गयी संस्थाओं को लागू होंगे, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं) विनियम, 2010 की अधिसूचना के बाद अस्तित्व में आई हैं । तथापि, सरकार नियंत्रित संस्थाओं के मामले में राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/केंद्र सरकार की यह वचनबद्धता कि वह लगातार उनका वित्तपोषण करती रहेगी, पर्याप्त माना जाएगा ।

7.6 संस्था या संस्थाओं की समस्त चल और अचल संपत्तियां जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था का अभिन्न अंग बनाती हैं वे संपत्ति का अंतरण अधिनियम, 1882 या कोई अन्य विधि जो प्रवृत्त हो, के अधीन मान्यता प्राप्त रीति से संस्था के नाम में वैध रूप से निहित बनी रहेंगी । विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था की भूमि और अन्य आस्तियां विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था की घोषणा के एक वर्ष के भीतर प्रायोजक न्यास/सोसाइटी/कंपनी द्वारा विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था को अंतरित कर दी जाएँगी । प्रायोजक न्यास/सोसाइटी/कंपनी आवेदन के साथ इस आशय का एक वचनबंध देगी कि भूमि और अन्य आस्तियां विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था की घोषणा के एक वर्ष के भीतर विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था को अंतरित कर दी जाएँगी । तथापि, उस मामले में, जब अचल संपत्ति संस्था द्वारा पट्टे पर अर्जित की गई हो, तो पट्टा शाश्वत स्वरूप का होगा और प्रारम्भिक रूप से 30 वर्षों के लिए होगा जिसे बाद में बढ़ाया जा सकेगा विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था की भूमि और अन्य आस्तियां विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था की घोषणा के एक वर्ष के भीतर प्रायोजक न्यास/सोसाइटी/कंपनी द्वारा विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था को अंतरित कर दी जाएँगी ।

परन्तु, यदि संपत्ति का ऐसा अंतरण एक वर्ष की अवधि के अन्दर नहीं कर दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की अनंतिम स्थिति को सरकार द्वारा वापस ले लिया जाएगा ।

7.7 संस्था की आय और संपत्ति, चाहे जैसे व्युत्पन्न की गयी हो, केवल संस्था के उद्देश्यों के संवर्धन के लिए ही, जिसमें संस्था की अभिवृद्धि और विकास शामिल है, उपयोग में लाई जाएगी। संस्था की आय/संपत्ति का कोई भी भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को जो संस्था के सदस्य हैं/थे, प्रदत्त या अंतरित नहीं किया जा सकेगा, परन्तु इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उसके किसी सदस्य को या किसी अन्य व्यक्ति को संस्था की गई किसी सेवा के बदले में या यात्रा या विराम के लिए और ऐसे ही अन्य प्रभार के सद्भावपूर्वक किए गए भुगतान या पारिश्रमिक को निवारित नहीं करेगी, और ऐसे सभी व्यय इस प्रयोजन के लिए रखे गए संस्था के लेखाओं में समुचित रूप से दिखाए जाएंगे।

8.0 विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए प्रक्रिया

8.01 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में घोषणा के लिए प्रस्तावों पर विचार किए जाने के लिए इन विनियमों में अधिकथित न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरी करने वाली संस्था अपना आवेदन विहित प्ररूप (प्रोफार्मा) में दो प्रतियों में सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार को भेज सकती है। आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन के लिए आयोग को प्रक्रिया फीस का भुगतान सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 के पक्ष में लिखे गए मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा।

8.02 वह संस्था अपने आवेदन के साथ इस आशय का एक प्रमाणपत्र, जो एक वचनबंध भी होगा, प्रस्तुत करेगी कि उसके द्वारा पहले से ही चलाए जा रहे वृत्तिक कार्यक्रमों, यदि कोई हैं, के लिए सम्बंधित सांविधिक/नियामक निकायों, जैसे कि AICTE, MCI, DCI, NCTE, BCI, INC, आदि के अनुमोदन प्राप्त हैं और वह आवेदन के साथ उसे ऐसे निकायों द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के पत्र की यथाविधि सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त, जहां भी आवश्यक है, प्रत्येक आवेदन के साथ सम्बंधित राज्य सरकार से प्राप्त एक अनिवार्यता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।

8.03 वह अपने आवेदन के साथ, मामले के अनुसार, सम्बद्ध विश्वविद्यालय/सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी कि जो संस्था/संस्थाएं विश्वविद्यालय मानी गई प्रस्तावित संस्था का अभिन्न भाग बनने वाली हैं/जो उक्त सम्बद्ध विश्वविद्यालय/सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के अधीन नामांकित संस्था हैं, उनमें पहले से ही प्रविष्ट छात्र सभी प्रयोजनों के लिए वर्तमान निबंधनों और शर्तों के अधीन उस विश्वविद्यालय के छात्र बने रहेंगे जब तक कि वे सम्बंधित शैक्षणिक कार्यक्रम समाप्त नहीं कर लेते।

8.04 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रस्ताव की प्रारम्भिक छानबीन करने के पश्चात्, सामान्यतः आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर, आवेदन को लौटा सकती है/अस्वीकृत कर सकती है या अपनी सलाह के साथ आयोग को अग्रेषित कर सकती है।

8.05 आयोग संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन की एक प्रारम्भिक छानबीन करेगा और, यदि आवश्यक हो, संस्था को कमियों पर, यदि कोई हैं, ध्यान दिलाते हुए लिखेगा और सामान्यतः सरकार से निर्देश (रेफ़रेंस) प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर एक ही बार में, न कि थोड़ा-थोड़ा कर के, स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना/अपेक्षित दस्तावेज़ की मांग करेगा। यदि माँगी गयी सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन विनियमों में अधिकथित आगे के कदम उठाए बिना आवेदन पर नामंजूरी की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र होगा। आयोग सम्बंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को भी उसकी राय प्राप्त करने के लिए लिखेगा।

8.06 आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा, आयोग द्वारा अनुमोदित नामों की स्थायी नामिका में से गठित, एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से, आवेदन की जांच करेगा। इस विशेषज्ञ समिति में आयोग के कोई आसीन सदस्य नहीं होंगे। इस प्रकार गठित विशेषज्ञ समिति में सम्बंधित सांविधिक परिषद्/परिषदों के प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य शामिल होगा, जिसके पास सलाह का परिहार करने का प्राधिकार होगा।

8.07 अन्य बातों के साथ-साथ, विशेषज्ञ समिति,

(क) आवेदन की ब्यौरेवार छानबीन और जांच करेगी;

(ख) संस्था का निरीक्षण करेगी, इसके प्रमुख पणधारियों के साथ चर्चा करेगी और इन विनियमों में यथा-कथित विश्वविद्यालय की अवधारणा और आदर्शों का पालन करते हुए संस्था के रूप में कार्य करने में इसकी शैक्षणिक व्यवहार्यता का उस स्थल पर ही निर्धारण करेगी;

(ग) उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर शैक्षणिक और अनुसंधान परक उत्कृष्टता का अभिनिश्चय करेगी;

(घ) स्नातक हो चुके छात्रों, पीएचडी के लिए पंजीकृत अनुसंधान छात्रों, पूरी हो चुकी और चल रही अनुसंधान परियोजनाओं, अनुक्रमाणिकाबद्ध शोध-पत्रिकाओं, पीएचडी चलाने वाले संकाय, आदि के निष्पादन जैसे मामलों पर विशेष सूचना प्रदान करेगी;

(ङ) उसकी वित्तीय व्यवहार्यता का अभिनिश्चय करने के लिए उसके अभिलेखों का सत्यापन करेगी; और

(च) आयोग को, सामान्यतः इसे मामला निर्दिष्ट करने के तीन माह के अन्दर, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि यह सरकार को समुचित रूप से सलाह दे सके।

8.07.1 विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्था के निरीक्षण की विडिओ रिकार्डिंग की जाएगी और उसे निरीक्षण पूरा होने के 24 घंटे के अन्दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

8.08 विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार, यदि कोई है, और सम्बंधित सांविधिक/नियामक निकाय की राय के साथ, आयोग द्वारा जांच की जाएगी, और तत्पश्चात्, आयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के अन्दर अपनी सलाह मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मंत्रालय के विचार के लिए प्रस्तुत करेगा। आयोग को की गयी सांविधिक निकाय की रिपोर्ट में न केवल एक महाविद्यालय के रूप में संस्था के निष्पादन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को बताया जाएगा, बल्कि इसमें शिक्षा और अनुसंधान के उच्च मानकों में संस्था की उपलब्धियों का निर्धारण, साथ ही साथ नव प्रवर्तन का संवर्धन करने की और पारंपरिक वृत्तिक महाविद्यालय होने के विपरीत विश्वविद्यालय के रूप में स्थिति के अनुरूप उत्कृष्टता की इसकी क्षमता को शामिल किया जाएगा। सांविधिक निकाय की रिपोर्ट में इसके पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर जारी न्यूनतम आवश्यक अपेक्षाओं को भी बताया जाएगा।

8.09 आयोग की सलाह में यह बताया जाएगा कि केन्द्र सरकार को संस्था को विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था घोषित करने की, या अन्यथा, सलाह देने के क्या कारण हैं, जिसके साथ विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था का भाग बनने वाली संस्थाओं की संख्या और नाम भी बताए जाएंगे।

8.10 आयोग, केंद्र सरकार को की गई अपनी अंतिम अनुशंसाओं में सरकार को, प्रस्तावित विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नाम में चल और अचल आस्तियों के अंतरण और अन्य शर्तों, यदि कोई हों, से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बारे में अवगत कराएगा।

8.11 प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार अनुच्छेद 8.05 के अधीन अपनी राय देने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाएगी और 60 दिनों के अन्दर आयोग द्वारा विहित प्रारूप में आयोग और केंद्र सरकार को अपनी विचारित टिप्पणियाँ भेजेगी जिसकी प्रतिलिपि वह सम्बंधित संस्था को भेजेगी। यदि ऐसी कोई टिप्पणियाँ आयोग को पत्र के जारी होने के 60 दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं होती हैं, तो उस मामले में यह मान लिया जाएगा की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को आवेदन पर कोई टिप्पणी नहीं देनी है।

8.11.1 प्रस्ताव की सिफारिश करने वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को यह बताना होगा कि विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था यदि किसी कारण से ऐसे अस्तित्व में न रह जाए तो उस स्थिति में वह उस संस्था में प्रवेश प्राप्त छात्रों के हितों की सुरक्षा करने के लिए तैयार है।

8.12 केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो जाने के बाद कि संस्था इन विनियमों में अधिकथित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, सामान्यतः आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के 60 दिनों के अन्दर अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस संस्था को विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था घोषित करते हुए अधिसूचना जारी करेगी। यह घोषणा प्रारम्भतः पांच वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी। 'विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था' की घोषणा की पुष्टि विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था द्वारा इन विनियमों के उपबंधों के पालन और उनके साथ उस संस्था के संतोषजनक निष्पादन पर आधारित होगी।

8.13 यदि सरकार आयोग की सिफारिश से असहमत है, तो उस मामले में सरकार लिखित में उसके कारणों को बताएगी और उसका निर्णय अंतिम होगा।

8.13.1 यदि सरकार आयोग की सिफारिश से सहमत नहीं है तो सरकार को लिखित में इसका स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

8.14 किसी संस्था को विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था घोषित न करने के निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए विचार किया जाएगा, जो पूर्व में किए गए निर्णय की तिथि से एक वर्ष से पहले नहीं होगा और सम्बंधित संस्था द्वारा केवल सरकार को किए गए एक विशिष्ट अनुरोध पर किया जाएगा। संस्थाएं केंद्र सरकार को ऐसे पुनर्विलोकन के लिए केवल तभी अनुरोध कर सकेंगी जब उन्होंने उन कमियों को पूरा कर लिया हो जिनके आधार पर केंद्र सरकार ने उनके पूर्वतर आवेदन/प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था।

8.15 केंद्र सरकार वह मामला आयोग को उसकी सलाह के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी।

8.16 आयोग तब इस विनियम की उपर्युक्त अनुच्छेद 8.05 से 8.07 तक के अनुसार विहित रीति से, एक नई विशेषज्ञ समिति गठित कर पुनरीक्षित आवेदन की छानबीन और मूल्यांकन के लिए इसके पुनर्विलोकन की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इस समिति का आकार कम से कम उतना ही होगा जितना कि पिछली समिति का था जिसने पूर्वतर मामले को नामंजूर कर दिया था और इस समिति के सदस्य के रूप में पिछली समिति का कोई विशेषज्ञ सदस्य नहीं होगा।

8.17 ऐसे 'पुनर्विलोकन' पर लिए गए निर्णय पर आगे और कोई पुनर्विचार या पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। तथापि आवेदक संस्था के लिए यह अनुज्ञेय होगा कि वह संस्था को विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में घोषित किए जाने की मांग करते हुए पुनः आवेदन करे, जो 'पुनर्विलोकन' पर सम्बंधित संस्था को संसूचित किए गए सरकार के निर्णय की तिथि से दो वर्षों के अंतराल के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

8.18 आयोग अपनी वेबसाईट पर मासिक आधार पर प्रत्येक आवेदन की स्थिति घोषित करेगा। आगे, आयोग केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें केंद्र सरकार द्वारा इस विषय में जारी अधिसूचनाओं में अनुबद्ध शर्तों को पूरा करने के बारे में प्रगति रिपोर्ट दी जाएगी।

9.0 नवोन्मेषी (डी नोवो) कोटि के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई संस्था

9.1 इस कोटि के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में घोषणा की मांग करने वाली संस्था ज्ञान के उन अद्वितीय और उभरते हुए क्षेत्रों में - विशेषतः अध्ययन और अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में, जो वर्तमान संस्थाओं द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं, समर्पित होने के सत्यापनीय साक्ष्य और अग्रणी विशेषज्ञों द्वारा विधिमान्यकरण उपलब्ध कराएगी। केंद्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं को अधिमान दिया जाएगा बशर्ते कि वे देश की रणनीतिक

आवश्यकताओं को पूरी करती हों, सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा में संलग्न हों, जो कि शैक्षणिक समुदाय के प्रतिष्ठित समकक्षों के साथ परामर्श की भलीभाँति उपगत की हुई प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया गया हो। विशिष्ट सरकारी नीति के अधीन विनिर्दिष्ट या बजट घोषणा के अधीन क्षेत्रों में सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं को भी अधिमान दिया जाएगा। आवेदक इस प्रयोजन के लिए, एक विशिष्ट क्षेत्र में विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की स्थिति प्रदान करने के लिए औचित्य प्रस्तुत करेगा जिसके साथ वह ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में इसके द्वारा चलाए जा रहे/चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों के विस्तृत पाठ्य-विवरण प्रस्तुत करेगा।

9.1.1 जो नवोन्मेषी (डी नोवो) संस्थाएं अपने क्रियाकलाप का विस्तार करना चाहती हैं और सम्बंधित/पूरक क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहती हैं, वे विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के रूप में संस्था के अस्तित्व के पांच वर्षों की समाप्ति पर एक पुनर्विलोकन के पश्चात् सरकार द्वारा विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में इसकी घोषणा के उपरांत ऐसा कर सकती हैं। ऐसी संस्थाओं को केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी, और ऐसी अनुमति देने से पूर्व आयोग ऐसी संस्थाओं का समकक्षों द्वारा एक कठोर पुनर्विलोकन कराएगा।

9.1.2 नवोन्मेषी (डी नोवो) संस्थाएं इन विनियमों के खंड 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 के अधीन बताए गए पात्रता मानदंडों से छूट-प्राप्त होंगी।

परन्तु, संस्था को अपनी संदर्श योजना में खंड 4.1 से 4.9 तक में उल्लिखित प्राचलों को प्राप्त करने का समय-टांचा सम्मिलित करना चाहिए, जिसे संस्था की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

परन्तु यह और भी, कि संस्था को विश्वविद्यालय मानी गई संस्था घोषित करने वाली अधिसूचना के दिन खंड 4.3, 4.5 और 4.6 के अधीन दिए गए प्राचलों को संतुष्ट करना चाहिए।

9.1.3 नवोन्मेषी (डी नोवो) कोटि के अधीन आवेदक संस्था 15 वर्षों के लिए एक संदर्श योजना/रणनीतिक दृष्टि (विज़न) और अगले पांच वर्षों के लिए एक कार्य योजना और कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करेगी। आवेदन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

9.2 नवोन्मेषी (डी नोवो) कोटि के अधीन विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के रूप में घोषणा की मांग करने वाली संस्था से आवेदन प्राप्त हो जाने पर सरकार उसे नामंजूर कर सकेगी/लौटा सकेगी या उसे सामान्यतः 30 दिनों के अन्दर आयोग को सलाह के लिए भेज सकेगी। ऐसा निर्देश (रेफरेंस) प्राप्त होने पर, आयोग विनियम के खंड 8 में बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। तथापि, खंड 8 में बताई गयी प्रक्रिया के चरण तक बढ़ने से पहले, आयोग एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से, जिसके सदस्य सम्बद्ध विद्या-शाखा से होंगे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित होंगे, आवेदन की जांच करेगा। यदि अपेक्षित हो, तो इस समिति में सम्बद्ध सांविधिक परिषद् से एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जाएगा। आवेदक संस्था भी विशेषज्ञ समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण करेगी। समिति UGC के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली, आयोग की एक दूसरी विशेषज्ञ समिति द्वारा उस संस्था के निरीक्षण का विनिश्चय करने से पूर्व, यह सिफारिश करेगी कि यह ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों की संस्था है या नहीं, और संस्था को नवोन्मेषी (डी नोवो) कोटि के अधीन माना जा सकता है या नहीं। आयोग, सामान्यतः इस समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने के 45 दिनों के अन्दर, इस समिति की अनुशंसाओं की जांच करेगी और अपनी सलाह सरकार को भेजेगी।

9.3 सलाह प्राप्त होने पर केंद्र सरकार खंड 8 में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, और इस बात से संतुष्ट होने पर कि संस्था इन विनियमों में बताई गयी आवश्यकताओं को पूरी करती है, सामान्यतः आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर, संस्था को नवोन्मेषी (डी नोवो) कोटि के अधीन अनंतिम रूप से विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था घोषित करते हुए अधिसूचना जारी करेगी।

इस तथ्य का, कि संस्था को अनंतिम होने की हैसियत प्राप्त है, संस्था द्वारा अपनी वेबसाईट पर, साथ ही आयोग द्वारा अपनी वेबसाईट पर, और इसकी प्रवेश विवरण-पत्रिका में, उल्लेख किया जाएगा ।

9.4 केंद्र सरकार, आयोग की सलाह पर, नवोन्मेषी (डी नोवो) कोटि के अधीन बनाई गयी विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था की घोषणा की संपुष्टि, संस्था को इस रूप में पांच वर्ष पूरा करने के बाद, एक अधिसूचना के रूप में करेगी । आयोग इस प्रयोजन के लिए एक बार दो वर्ष की समाप्ति पर और पुनः पांच वर्ष की समाप्ति से पूर्व, दो बार, सम्बंधित संस्था के पुनर्विलोकन के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित नामिका में से आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति/समितियों की निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर अपनी सलाह देगी । यदि केंद्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि संस्था विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए अर्ह नहीं है, तो यह ऐसी संस्था को तदनुसार, उसके कारणों को बताते हुए, सूचित करेगी ।

9.5 नवोन्मेषी (डी नोवो) कोटि के अधीन विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के रूप में एक नई संस्था (जो अभी संस्थापित की जानी है) की घोषणा के लिए प्रक्रिया

9.5.1 आवेदक एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) /कार्य योजना/रणनीतिक दृष्टि योजना और कार्यान्वयन योजना के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विहित प्रक्रिया फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा । आवेदन UGC की वेबसाईट पर ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

9.5.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामान्यतः आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर, या तो आवेदन नामंजूर कर देगा या आवेदक को लौटा देगा, या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)/कार्य योजना/रणनीतिक दृष्टि योजना और कार्यान्वयन योजना को UGC को, प्रस्ताव की व्यवहार्यता के विषय में सलाह के लिए, अग्रेषित कर देगा ।

9.5.3 आयोग एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से, जिसके सदस्य सम्बद्ध विद्या-शाखा से होंगे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित होंगे, आवेदन की जांच करेगा । यदि अपेक्षित हो, तो इस समिति में सम्बद्ध सांविधिक परिषद् से एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जाएगा । समिति, सामान्यतः इसे मामला निर्दिष्ट किए जाने के दो मास के अन्दर, यह सिफारिश करेगी कि यह ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों की संस्था है या नहीं और संस्था को आशय-पत्र (LoI) जारी करने के लिए नवोन्मेषी (डी नोवो) कोटि के अधीन माना जा सकता है या नहीं ।

9.5.4 साथ-साथ, UGC उस राज्य सरकार को उसकी अनापत्ति के लिए लिखेगी जहां संस्था का अवस्थित होना प्रस्तावित है ।

9.5.5 आयोग, सामान्यतः प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव के विषय में अपनी सलाह के साथ UGC विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

9.5.6 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामान्यतः आयोग की सलाह प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर, आशय-पत्र (LoI) जारी करेगा, या अन्य कार्रवाई करेगा ।

9.5.7 आवेदक सोसाइटी/न्यास/कंपनी आशय-पत्र (LoI) जारी किए जाने के 3 वर्ष के अन्दर योजनानुसार संस्था का संस्थापन करेगी और शैक्षणिक प्रचालनों को प्रारम्भ करने के लिए इसकी तैयारी की सूचना देगी ।

9.5.8 मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, शैक्षणिक प्रचालनों को प्रारम्भ करने के लिए इसकी तैयारी की सूचना प्राप्त होने पर मंत्रालय सामान्यतः ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर आयोग से इन विनियमों में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् अपनी सलाह प्रस्तुत करने के लिए कहेगी ।

9.5.9 मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगी ।

9.5.10 यदि कोई वर्तमान संस्था नवोन्मेषी (डी नोवो) कोटि के अधीन विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था की स्थिति के लिए आवेदन करती है किन्तु उसके पास इन विनियमों के अधीन अपेक्षित अवसंरचना नहीं है, तो उस मामले में ऐसी संस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विनियम 9.5.1 से 9.5.8 तक की प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करेगी।

10.0 निधीयन

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्थाओं के रूप में घोषित संस्थाएं अपने अनुरक्षण और विकास व्यय के लिए, जिनमें व्यय में वेतन और गैर-वेतन वृद्धियां और भावी प्रसार शामिल हैं, उन्हीं निधीयन स्रोतों से, जो उनका ऐसी घोषणा किए जाने के पूर्व में वित्तपोषण करते रहे हैं, निधियां प्राप्त करती रहेंगी। ऐसी संस्थाएं भी अपने वित्त की अनुपूर्ति कर सकती हैं। तथापि सरकार, अपनी नीति के अनुसार, दी जा रही निधियों को वापस ले सकती है।

11.0 मानकों को बनाए रखना

11.1 विश्वविद्यालय मानी जाने वाली कोई संस्था आयोग द्वारा या सम्बंधित सांविधिक/नियामक निकाय जैसे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI), भारतीय दन्त परिषद् (DCI), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE), भारतीय विधिज्ञ परिषद् (BCI), भारतीय परिचर्या परिषद् (INC), आदि द्वारा महाविद्यालय स्तर की संस्थाओं के लिए विहित अनुदेशों, शैक्षणिक और भौतिक अवसंरचना, शिक्षकों की अर्हताओं, आदि के मानकों को न्यूनतम से उच्चतर बनाए रखेगी, और जहां भी लागू हो, विभिन्न अध्ययन कार्यक्रम चलाने के लिए उनके अनुमोदन प्राप्त करेगी। इसका आयोग की सम्यक् रूप से गठित समिति(यों) द्वारा आवधिक रूप से अनुश्रवण किया जाएगा।

11.2 विश्वविद्यालय मानी गयी प्रत्येक संस्था का हर पांच वर्ष में एक बार, समय-समय पर आयोग द्वारा विहित मानदंडों पर आधारित, आजापक गहन बाह्य पुनर्विलोकन किया जाएगा।

परन्तु, यदि कोई संस्था दो लगातार चक्रों के लिए उच्चतम NAAC/NBA (सभी पात्र पाठ्यक्रमों के लिए) ग्रेड में रही है, तो संस्था द्वारा बाह्य समकक्ष पुनर्विलोकन क्रियाविधि के माध्यम से स्वयं पुनर्विलोकन किया जा सकता है।

11.3 संस्था प्रति वर्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिवर्ष विहित किए जाने वाले प्ररूप में, एक नियामक अनुपालन प्रमाणपत्र देगी, जिसे सरकार के अनुमोदन के अधीन विषय पर प्रदर्शित भी किया जाएगा।

11.4 यदि संस्था के विरुद्ध लगातार या गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो उस मामले में UGC सरकार का अनुमोदन ले कर संस्था के विरुद्ध एक जांच का आदेश जारी कर सकता है, और जांच के परिणाम के आधार पर आगे की कार्यवाही कर सकता है।

परन्तु, अपकरण, छल, छात्र/कर्मचारीवर्ग/प्राध्यापकवर्ग की गंभीर शिकायतों आदि के मामले में सरकार भी स्वप्रेरणा से UGC को जांच शुरू करने के लिए कह सकती है।

11.5 संस्था, सरकार को या इसके द्वारा अभिहित अभिकरणों को अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के लिए या सरकार के 'अपने महाविद्यालय को जानिए' पोर्टल पर विनिर्दिष्ट ब्यौरे लगाने के लिए या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अध्ययन के लिए संस्था के बारे में सभी अपेक्षित ब्यौरे उपलब्ध कराएगी।

11.6 संस्था प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचे (नेशनल इंस्टीच्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) में भाग लेगी और उसे अपनी वेबसाईट पर प्रमुखता से प्रकाशित करेगी।

11.7 संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उनके शैक्षणिक कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के 180 दिनों के अन्दर डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र/उपाधियां उन्हें दे दी जाएं।

12.0 नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/, विभाग/विद्यापीठ/केंद्र, परिसर-बाह्य केंद्र और अपतट परिसर

12.01 विश्वविद्यालय मानी गई कोई संस्था सामान्यातः अपने स्वयं के परिसर में प्रचालन करेगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में घोषित किया गया है, और अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र के अन्दर आने वाले अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाएगी।

12.02 यदि विश्वविद्यालय मानी गई कोई संस्था, जो NAAC द्वारा उच्चतम ग्रेड के साथ प्रत्यायित है या जिसके सभी पात्र पाठ्यक्रम NBAके उच्चतम ग्रेड के साथ प्रत्यायित हैं, अपने वर्तमान परिसर में/परिसर-बाह्य उन क्षेत्रों और विद्याशाखाओं में जो इसके वर्तमान शैक्षणिक ढाँचे का भाग हैं, नया पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/विद्यापीठ /केंद्र प्रारम्भ करने की इच्छा रखती है, तो वह ऐसे सहबद्ध क्षेत्रों में ऐसा कर सकती है। नया पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/विद्यापीठ, विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के सम्बंधित प्राधिकारियों और, जहां अपेक्षित हो, सम्बंधित सांविधिक परिषद्/परिषदों के अनुमोदन के उपरांत, और सम्बंधित सांविधिक परिषद् /परिषदों के सन्निध्यों के अनुसार सभी आवश्यक अवसंरचना और अन्य सुविधाएं सृजित करने के पश्चात् चलाया जाएगा। विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था अपने वर्तमान परिसर में/परिसर-बाह्य, विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के सक्षम प्राधिकारियों और सम्बंधित सांविधिक परिषद्/परिषदों का अनुमोदन प्रदान किए जाने के एक मास के अन्दर नया पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/विद्यापीठ /केंद्र प्रारम्भ करने के बारे में आयोग को सूचित करेगी।

अन्य सभी मामलों में, नया पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/विद्यापीठ /केंद्र प्रारम्भ/स्थापित करने के लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो इसे आवेदन करने के 60 दिनों के अन्दर प्रदान किया जाएगा।

12.03 विश्वविद्यालय मानी गई किसी संस्था को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने अनुमोदित भौगोलिक सीमाओं से बाहर और परिसर-बाह्य/अपतट परिसर प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी :

12.03.1 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में इसका अस्तित्व न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए रहा हो;

12.03.2 इसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जाते रहे हों;

12.03.3 इसने उत्कृष्ट और नवप्रवर्तनशील शिक्षण, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, मापांक संरचना, सतत आंतरिक मूल्यांकन, आदि जैसे शैक्षणिक और परीक्षा सुधार को व्यवहार में लाना शामिल हो, और सार्थक और उद्देश्यपूर्ण अनुसंधान और प्रसार कार्यक्रमों के लिए ख्याति अर्जित की हो;

12.03.4 इसका, शिक्षण के न्यूनतम मानकों, प्राध्यापक-वर्ग की अर्हता, छात्रों का अखिल-भारतीय स्तर पर योग्यता-आधारित प्रवेश और यथोचित फीस संरचना के बारे में आयोग और अन्य सांविधिक/नियामक निकायों के संगत विनियमों/सन्निध्यों के अनुरूप होनेका अच्छा पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड रहा हो;

12.03.5 इसने, नया पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/विद्यापीठ/केंद्र जहां लागू हो, प्रारम्भ करने के लिए सांविधिक/नियामक निकाय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया हो, और उक्त निकाय की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करने का वचनबंध दिया हो;

परन्तु, यदि सांविधिक/नियामक निकाय अपना अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व आयोग का अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहता हो, तो वह अनापत्ति प्रमाणपत्र आयोग द्वारा, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर प्रदान कर दिया जाएगा।

12.03.6 इसके पास राष्ट्रीय प्रत्यायन और निर्धारण परिषद् (NAAC) से उच्चतम प्रदत्त ग्रेड के साथ वर्तमान में वैध प्रत्यायन है;

12.03.7 इसके पास प्रस्तावित परिसर-बाह्य/अपतट परिसर स्थापित करने के लिए के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं ;

12.03.8 इसने विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का कोई परिसर-बाह्य केंद्र/अपतट परिसर स्थापित करने या चलाने के लिए किसी अन्य संगठन के साथ प्रत्यक्ष रूप से या गुप्त रूप से कोई विशेषाधिकार (फ्रैन्चाइजी) करार नहीं किया है;

12.03.9 परिसर-बाह्य केंद्र/केन्द्रों पर भूमि, अवसंरचना, संकाय और अन्य सुविधाएं सम्बंधित सांविधिक/नियामक निकाय की अपेक्षाओं को संतुष्ट करेंगी। परिसर-बाह्य केंद्र पर न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :

- i) न्यूनतम 500 वर्गमीटर का प्रशासनिक भवन
- ii) न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का शैक्षणिक भवन, जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यानाशालाएं और प्रयोगशालाएं शामिल हैं
- iii) शिक्षकों के लिए कुछ आवासीय भवन और छात्रों के लिए छात्रावास। छात्रावास सुविधाओं के लिए फर्शी क्षेत्रफल निवास के लिए प्रस्तावित प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्गमीटर होगा
- iv) अन्य केन्द्रीय सुविधाएं, जिनमें प्राध्यापकवर्ग, छात्रों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए खेल सुविधाएं
- v) संस्था में बिना किसी व्यवधान के पहुँचना सुगम होगा और उसमें समुचित सुरक्षा उपाय (अग्निशमन, इत्यादि) किए गए होंगे
- vi) संस्था में छात्रों, प्राध्यापकवर्ग, कर्मचारियों और अन्य सदस्यों के लिए परिसर के अन्दर पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं होंगी
- vii) अवसंरचना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन आवेदन में प्रस्तावित भावी प्रसार का, और इसके साथ छात्रावास के लिए भूमि और छात्रों के लिए सहबद्ध सुविधाओं का विचार करते हुए किया जाएगा। परिसर-बाह्य केंद्र में अवसंरचना की आवश्यकताओं को नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/विद्यापीठ /केंद्र प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा।

आस्तियां, विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के नाम में वैध रूप से रजिस्ट्रीकृत की जाएँगी। तथापि, यदि अचल संपत्ति विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था द्वारा पट्टे के रूप में प्राप्त की गई है, तो उस मामले में पता शाश्वत स्वरूप का होगा और प्रारम्भतः कम से कम 30 वर्षों के लिए होगा जिसे आगे बढ़ाया जा सकेगा;

12.03क विश्वविद्यालय मानी गयी किसी संस्था को परिसर-बाह्य केंद्र खोलने की अनुमति, विश्वविद्यालय मानी गई स्थिति मिलने के पांच वर्ष के पूर्व नहीं होगी और उसे अपनी अनुमोदित भौगोलिक सीमा के बाहर किसी भी पांच वर्ष की अवधि में दो से अधिक परिसर-बाह्य केंद्र खोलने की अनुमति नहीं होगी।

परन्तु, पांच वर्ष की अवधि में परिसर-बाह्य की संख्या के बारे में उपर्युक्त निर्बन्धन सरकार द्वारा स्थापित और प्रबंधित विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं पर नहीं होगा

परन्तु यह और भी, कि परिसर-बाह्य के अगले समुच्चय का अनुमोदन केवल तभी दिया जाएगा जब विश्वविद्यालय मानी गई संस्था और पहले से अनुमोदित परिसर-बाह्य केन्द्रों को भी NAAC/NBA से (सभी पात्र पाठ्यक्रमों के लिए) प्रत्यायन के वैध उच्चतम ग्रेड मिले हैं।

परन्तु यह और भी, कि उन इकाइयों को जिन्हें प्रथम अधिसूचना के समय सरकार द्वारा संघटक इकाइयों के रूप में अधिसूचित किया गया था, परिसर-बाह्य नहीं माना जाएगा। एक ही नगर/शहर/गाँव में स्थित परिसरों (परिसर-बाह्य या अन्य) को एक ही परिसर-बाह्य के रूप में माना जाएगा।

12.04 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा कोई परिसर-बाह्य केंद्र, आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही स्थापित किया जाएगा। जहां भी परिसर-बाह्य केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, केंद्र सरकार उससे सम्बंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार की राय पर भी विचार करेगी।

12.05 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का कोई अपतट परिसर आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से स्थापित किया जाएगा :

परन्तु, ऐसा अपतट परिसर संस्था द्वारा विश्वविद्यालय मानी गई स्थिति प्राप्त कर लेने के पांच वर्ष बाद ही प्रस्तावित किया जाएगा।

परन्तु, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अनापत्ति ली गई होगी।

परन्तु, उस देश को, जहां ऐसा अपतट परिसर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, अपेक्षा होगी कि ऐसी स्थापना के लिए इसके द्वारा अनुमोदन की स्वीकृति ली जाए, तब उस देश द्वारा स्वीकृत किए गए अनुमोदन के साथ केंद्र सरकार को आवेदन किया जा सकेगा।

परन्तु यह और भी, कियदि वह देश, जहां ऐसा अपतट परिसर स्थापित करना प्रस्तावित है, उपर्युक्त परंतुक में निर्दिष्ट उस देश का अनुमोदन स्वीकृत किए जाने के लिए, भारत सरकार की सहमति की अपेक्षा रखता है, तो केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर प्रस्ताव पर 'अनापत्ति' दे सकती है किन्तु ऐसी अनापत्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था को अपतट परिसर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति है। ऐसी विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था भी एक वचनबंध प्रस्तुत करेगी कि यह उस देश द्वारा, जहां अपतट परिसर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, विहित सभी विधियों, सन्धियों या मानकों का अनुपालन करेगी।

परन्तु यह और भी, कि विश्वविद्यालय मानी गई संस्था अपतट परिसर के मानक वैसे ही बनाए रखेगी जैसे कि इसके मुख्य परिसर के।

12.06.1 यदि विश्वविद्यालय मानी गई कोई संस्था कोई नया परिसर-बाह्य केंद्र/अपतट परिसर प्रारम्भ करने का आशय रखती है, और यदि इसने पहले ही प्राध्यापकवर्ग की नियुक्ति समेत अवसंरचना और अन्य सुविधाएं सृजित कर ली हैं, तो यह, केंद्र प्रारम्भ करने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम छह मास पूर्व सरकार को विहित प्ररूप में, दो प्रतियों में, कागज प्रतियों में साथ ही साथ UGC की वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन करेगी। सरकार आवेदन की प्रारम्भिक छानबीन के पश्चात्, प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर उसे नामंजूर/वापस या आयोग को उसकी सलाह के लिए अग्रेषित कर देगी।

12.06.2 यदि संस्था परिसर-बाह्य केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती है और उसने अभी तक इसकी अवसंरचना सृजित नहीं की है, तो इसे चाहिए कि प्रस्तावित अवसंरचना, निधियां, भूमि, वित्तीय व्यवहार्यता, आदि को शामिल करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव (दो प्रतियों में) सरकार को कागज प्रतियों में साथ ही साथ UGC की वेबसाईट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करे। सरकार, आवेदन की प्राथमिक छानबीन के पश्चात्, प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर उसे नामंजूर/वापस या आयोग को उसकी सलाह के लिए अग्रेषित कर देगी।

12.07.1 खंड 12.06.1 के अधीन किए गए आवेदन के मामले में, आयोग केंद्र सरकार को अपनी सलाह भेजने से पूर्व प्रस्तावित परिसर-बाह्य केन्द्रों का, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, कार्यक्रमों, वित्तीय व्यवहार्यता, आदि को सत्यापित

करने के लिए, स्थल पर निरीक्षण/सत्यापन करेगी। आयोग को चाहिए कि वह खंड 8.05, 8.06, 8.07, 8.07.1, 8.08, 8.09 और 8.10 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करे।

12.07.2 खंड 12.06.2 के अधीन किए गए आवेदन के मामले में, आयोग 9.5.3 से 9.5.5 तक में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय आशय-पात्र (LoI) जारी करेगा या अन्यथा कार्रवाई करेगा। LoI प्राप्त होने पर 9.5.7 से 9.5.9 तक में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

12.08 यदि ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है, तो उस मामले में विश्वविद्यालय मानी गई संस्था ऐसी अनुमति के लिए पुनः आवेदन करेगी, किन्तु वह इसके पूर्वतर आवेदन के नामजूर होने की तिथि से दो वर्ष के पूर्व नहीं होगा।

12.09 सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में परिसर-बाह्य केंद्र/अपतट परिसर विश्वविद्यालय मानी गई मूल संस्था द्वारा सीधे प्रशासित होगी।

12.10 नया विभाग/परिसर-बाह्य केंद्र/अपतट परिसर केवल वे ही अध्ययन कार्यक्रम चलाएगा जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था या जहां भी लागू हो, सम्बंधित सांविधिक/नियामक निकाय, जैसे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI), भारतीय दन्त परिषद् (DCI), भारतीय ओषध-निर्माण-विज्ञान परिषद् (PCI), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE), भारतीय विधिज्ञ परिषद् (BCI), भारतीय परिचर्या परिषद् (INC), आदि के समुचित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित हैं। विश्वविद्यालय मानी गई किसी वर्तमान संस्था की संघटक संस्था के रूप में परिधि के अंतर्गत लाई जाने के लिए प्रस्तावित उच्चतर विद्या की किसी नई या वर्तमान संस्था के मामले में, केवल वे छात्र जिनको ऐसी संस्था में, विश्वविद्यालय मानी गई वर्तमान संस्था की परिधि के अंतर्गत संस्था को लाने के विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन घोषणा की अधिसूचना की तिथि के बाद की किसी तिथि को प्रवेश दिया गया था, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा परीक्षा लिए जाने के लिए, और इसलिए, उनके अपने-अपने पाठ्यक्रमों या अध्ययन कार्यक्रमों के सफल समापन पर विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा डिग्री या कोई अन्य अर्हता प्रदान किए जाने के लिए पात्र होंगे।

12.11 किसी परिसर-बाह्य केंद्र परिसर/अपतट परिसर के समग्र निष्पादन का आयोग द्वारा द्विवार्षिक रूप से छह वर्षों के लिए और तत्पश्चात् पांच वर्ष बाद अनुश्रवण किया जाएगा और प्रबंधन, शैक्षणिक विकास और संवर्धन के विषय में उसके निदेश परिसर पर आबद्धाकर होंगे।

12.12 किसी अपतट परिसर के मामले में, मुख्य परिसर से और मुख्य परिसर को किए गए निधियों के प्रेषण भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों द्वारा शासित होंगे।

12.13 यदि विश्वविद्यालय मानी गयी किसी संस्था के परिसर/परिसर-बाह्य केंद्र का कृत्य आयोग द्वारा बताए गए मानकों को पूरा नहीं करता, और आयोग के निर्धारण के अनुसार, दो क्रमवर्ती पुनर्विलोकनों के लिए असंतोषजनक बना रहता है, तो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को, आयोग की सलाह पर, केंद्र सरकार द्वारा परिसर-बाह्य केंद्र/सम्बंधित परिसर को बंद कर देने का अनुदेश दिया जा सकेगा। आयोग विश्वविद्यालय मानी गई उन संस्थाओं के विरुद्ध, जो त्रुटिपूर्ण हैं, ऐसे केन्द्रों/परिसरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर भी कार्रवाई शुरू कर सकता है। आयोग, छात्रों के हित में, उस केंद्र/परिसर को, उसमें ऐसे अनुदेश की तिथि को नामांकित छात्रों के अंतिम बैच के उत्तीर्ण हो जाने तक चलने की अनुमति दे सकता है। विश्वविद्यालय मानी गई संस्था, केंद्र/परिसर के प्राध्यापकवर्ग/कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाएगी। केंद्र/परिसर के बंद होने की स्थिति में, उसकी आस्तियां और देयताएं विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को वापस हो जाएंगे।

12.14 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जहां भी सांविधिक परिषदों द्वारा अपेक्षित है, परिसर-बाह्य केंद्र/अपतट परिसर स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को 'सिद्धांत रूप में अनापत्ति' दे सकता है। विश्वविद्यालय मानी

गई संस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 'सिद्धांत रूप में अनापत्ति' के लिए आवेदन करेगी। मंत्रालय, सामान्यतः प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर, उस अनुरोध को सलाह हेतु आयोग के पास भेजेगा। आयोग, प्रस्ताव की व्यवहार्यता के बारे में संतुष्ट होने के उपरांत, मंत्रालय का पत्र प्राप्त होने के सामान्यतः 60 दिनों के अन्दर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 'सिद्धांत रूप में अनापत्ति' जारी करने के लिए अपनी सलाह भेज देगा। ऐसी अनापत्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को परिसर-बाह्य केंद्र/अपतट परिसर स्थापित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुमति है। ऐसे सभी मामलों में, आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन औपचारिक प्रस्ताव/प्रस्तावों की परीक्षा की जाएगी। विश्वविद्यालय मानी गई संस्था, ऐसे प्रस्ताव/प्रस्तावों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व, ऐसे परिसर-बाह्य केंद्र/केन्द्रों/अपतट परिसर में इसके पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश नहीं देगी।

12.15 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था छात्रों को दी जाने वाली डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र/कोई अन्य अवार्ड पर परिसर/परिसर-बाह्य/संघटक इकाई/संघटक संस्था का नाम उसके अवस्थान के साथ उल्लिखित करेगी।

13.0 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की परिधि के अंतर्गत अन्य संस्थाओं का सम्मिलित होना

13.01 विश्वविद्यालय मानी गई कोई संस्था, अनुच्छेद 8.12 के अधीन यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में इसकी घोषणा की पुष्टि के पश्चात्, एक ही प्रबंधन के अधीन वर्तमान संस्थाओं को इसकी संघटक संस्था के रूप में सम्मिलित करने के लिए आयोग द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन कर सकती है। आवेदन UGC की वेबसाईट पर ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जाएगा।

13.02 विश्वविद्यालय मानी गई सभी संस्थाएं उन शर्तों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगी जिनके बारे में समय समय पर आयोग आग्रह करे, ताकि शिक्षा का विशेषाधिकार-करण (फ्रैन्चाइजिंग) न हो सके।

13.03 यदि एक ही प्रबंधन के अधीन वर्तमान कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, तो सम्बद्ध विश्वविद्यालय से इसके असम्बद्ध हो जाने के बाद ही इसे विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था की परिधि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। सम्बद्ध विश्वविद्यालय भी इस आशय की अपनी सहमति प्रदान करेगा कि उस विशेष संस्था/संस्थाओं के छात्र, जिनका इसके अंतर्गत पहले से ही नामांकन किया गया है, वे इसके सम्बद्धन के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए अपने पाठ्यक्रमों का अनुसरण करते रहेंगे और वह इन छात्रों को उन पाठ्यक्रमों के, जिनका वे वर्तमान में ऐसी संस्था/संस्थाओं में अनुसरण कर रहे हैं, सफल समापन पर डिग्री प्रदान करेगा।

13.04 ऐसी संस्थाओं के पास, या तो राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से प्रदान किए गए उच्चतम ग्रेड के साथ प्रत्यायन होगा, जो वर्तमान में वैध हो, या इसके सभी पात्र पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) या समय समय पर आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त प्रत्यायन बोर्ड द्वारा, प्रदान किए गए उच्चतम ग्रेड के साथ, प्रत्यायित किए जाएंगे जो वर्तमान में वैध हो।

13.05 कोई विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था, जिसका आशय किसी संस्था को संघटक संस्था के रूप में अपनी परिधि के अंतर्गत लाने का है, वह एक प्रस्ताव आयोग द्वारा विहित प्ररूप में, दो प्रतियों में, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी, जो इस बात के अधीन होगा कि उक्त संस्था इन विनियमों में बताए गए पात्रता मानदंड और अन्य संगत शर्तों को पूरी करती हो। आवेदन UGC की वेबसाईट पर ऑनलाइन भी प्रस्तुत की जाएगी।

13.06 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सामान्यतः प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर, प्रस्ताव को लौटा देगा/नामंजूर कर देगा या प्रस्ताव सलाह के लिए आयोग को निर्दिष्ट करेगा।

13.07 तब आयोग इस प्रकार प्राप्त प्रस्ताव की जांच के लिए अनुच्छेद 8.05 से 8.07 तक के अधीन वर्णित प्रक्रिया को अपनाएगा।

13.08 आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपयुक्त सिफारिश करने के पूर्व सभी सम्बद्ध कारकों और पहलुओं को अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से सत्यापित करेगा।

13.09 आयोग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश करने से पूर्व विशेषज्ञ समिति की निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशों और उसके साथ साथ सम्बंधित सांविधिक/नियामक निकाय की राय/टिप्पणियों की, और यदि राज्य सरकार की कोई राय है तो उसकी, प्रक्रियानुसार जांच की जाएगी।

13.10 नामंजूर किए जाने पर, केंद्र सरकार तदनुसार संस्था को सूचित करेगी।

13.11 अनुच्छेद 8 में विहित प्रक्रिया के सम्बद्ध कदम उठाने के बाद, केंद्र सरकार उस संस्था को विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की परिधि के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने को अधिसूचित करेगी जो इस बात से संतुष्ट होने पर किया जाएगा कि विश्वविद्यालय मानी गई संस्था ने :

क) उत्कृष्ट और नवप्रवर्तनशील शिक्षण के लिए, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण अनुसंधान के लिए, मापांक संरचना, सतत आंतरिक मूल्यांकन, आदि जैसे शैक्षणिक और परीक्षा सुधारों को व्यवहार में लाने के लिए और प्रसार कार्यक्रमों के लिए ख्याति अर्जित की हो;

ख) अनुदेशों के न्यूनतम मानक, प्राध्यापक-वर्ग की अर्हताओं, छात्रों का अखिल-भारतीय स्तर पर योग्यता-आधारित प्रवेश और यथोचित फीस संरचना के बारे में आयोग और सम्बंधित सांविधिक/नियामक निकायों के सम्बद्ध विनियमों/सन्धियों के अनुरूप होने का अच्छा पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड रखा हो।

13.12 किसी संस्था के विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की परिधि के अंतर्गत आने पर विश्वविद्यालय मानी गई संस्था उस संस्था में नामांकित छात्रों को, सम्बंधित संस्था द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से स्वयं को असम्बद्ध कर लेने के उपरांत ही डिग्री प्रदान कर सकेगी। वे छात्र, जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की परिधि के अंतर्गत इस संस्था के सम्मिलित हो जाने के पूर्व से उसमें नामांकित हैं, उस विश्वविद्यालय से अपनी डिग्रियां प्राप्त करेंगे जिससे वह संस्था उनके नामांकन के समय सम्बद्ध थी।

13.13 किसी संस्था के विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की परिधि के अंतर्गत आ जाने पर, यह विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था के किसी परिसर-बाह्य केंद्र की बराबरी पर हो जाएगी, और इन विनियमों के वे सभी अनुच्छेद जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं के परिसर-बाह्य केंद्रों से सम्बंधित हैं, इस पर लागू होंगे।

परन्तु, यदि परिधि के अंतर्गत की संस्था उसी नगर में अवस्थित है जहां विश्वविद्यालय मानी गई संस्था अवस्थित है, तो उस संस्था को मुख्य परिसर का भाग माना जाएगा। यदि यह किसी अन्य नगर/शहर/गाँव में अवस्थित है तो उसे परिसर-बाह्य केंद्र माना जाएगा।

13.14 उस संस्था की समस्त चल और अचल संपत्ति साथ ही साथ संस्था की वर्तमान जनशक्ति और इसके अभिलेख (उन छात्रों से सम्बंधित अभिलेखों को छोड़ कर जो पहले से वहां पंजीकृत हैं जब तक कि वे संस्था से उत्तीर्ण न हो जाएं) अधिसूचना से पूर्व विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को अंतरित कर दिए जाएंगे।

13.15 यदि कोई संस्था, जो एक ही पंजीकृत सोसाइटी/न्यास/कंपनी के अधीन नहीं है, किसी विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की परिधि के अंतर्गत आने की इच्छुक है, तो वह मामले के अनुसार, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम या न्यास

अधिनियम की प्रक्रिया के अनुसार उस सोसाइटी/न्यास/कंपनी को आवेदन कर उसका भाग बन जाएगी। तदुपरांत, वह सोसाइटी/न्यास/कंपनी उसे विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की परिधि के अंतर्गत लाने के लिए इन विनियमों का अनुसरण करेगी।

13.16 यदि विश्वविद्यालय मानी गई किसी संस्था का किसी संस्था को इसकी परिधि के अंतर्गत लाने का आवेदन किसी भी कारण से नामंजूर हो जाता है, तो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था पुनः आवेदन करने के लिए पात्र होगी, किन्तु यह इसके ऐसे पिछले आवेदन के नामंजूर किए जाने की तिथि से दो वर्ष के पूर्व नहीं होगा।

14.0 संयुक्त कार्यक्रम

14.1 विश्वविद्यालय मानी गई कोई संस्था आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही भारत में और विदेश में अन्य विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं के साथ संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम चला सकेगी। प्रस्तावित संयुक्त कार्यक्रम आयोग के उन अधिनियमों और नियमों के अनुरूप होंगे जो समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों को लागू होंगे।

परन्तु, यदि संस्था उद्योग के साथ या अनुसंधान प्रयोजनों के लिए सहयोग करती है, तो ऐसी कोई अनुमति अपेक्षित नहीं होगी।

14.2 ऐसे कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए जाएंगे।

14.3 संयुक्त कार्यक्रमों का आज्ञापक निर्धारण और प्रत्यायन किया जाएगा।

15.0 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का सभी के लिए उपलब्ध होना

15.1 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था में प्रवेश और नियोजन भारत के सभी नागरिकों को, मूलवंश, धर्म, जाति और भारत में आवास का क्षेत्र/स्थान का विचार किए बिना उपलब्ध होगा।

15.2 सभी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ, जैसा कि विश्वविद्यालय स्तर की क्रमशः सार्वजनिक और निजी वित्तपोषित संस्थाओं को लागू हैं, विश्वविद्यालय मानी गई समुचित कोटि की संस्थाओं को लागू होंगे।

16.0 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का ऐकिक होना

किसी संस्था के “विश्वविद्यालय मानी गई संस्था” के रूप में घोषित हो जाने पर, वह ऐकिक स्वरूप की होगी और किसी अन्य संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगी।

17.0 आरक्षण नीति

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था तत्समय प्रवृत्त संसद के किसी अधिनियम के अनुसार, प्रवेश और भर्ती में आरक्षण नीति को कार्यान्वित करेगी।

18.0 दूर शिक्षा

UGC (विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं) विनियम, 2010 की अधिसूचना के बाद घोषित विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं को मुक्त और दूर अधिगम रीति से पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं होगी।

परन्तु, जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं, UGC के अनुमोदन से, पहले से ही मुक्त और दूर अधिगम रीति से कार्यक्रम चला रही हैं, उन्हें UGC द्वारा पुनः अनुमोदन दिए जाने के अधीन ऐसे कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति होगी।

19.0 विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की बैठक

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था विनियमों के अनुसार अपने सभी प्राधिकरणों/निकायों, जैसे कि प्रबंधन बोर्ड, विद्या परिषद्, आदि की नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करेगी और ऐसी प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त संस्था की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

20.0 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग

विश्वविद्यालय मानी गई कोई संस्था अपने नाम के आगे 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगी किन्तु उसके आगे लघु कोष्ठक में "माना गया विश्वविद्यालय" शब्दों का प्रयोग कर सकेगी।

21.0 नाम पद्धति में कतिपय शब्दों के प्रयोग का प्रतिषेध

एकमात्र केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित और नियंत्रित शैक्षणिक संस्थाएं ही अपने अपने नामों के पहले "भारतीय/राष्ट्रीय संस्थान" (या तो अंगरेजी में या देशी भाषा में) शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं।

अन्य सभी संस्थाओं को अपने अपने नामों के पहले "भारतीय/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संस्थान" (या तो अंगरेजी में या देशी भाषा में) शब्दों के प्रयोग से वर्जित किया गया है।

22.0 विनियमों के उल्लंघन के परिणाम

22.1 केंद्र सरकार/आयोग को यह अधिकार होगा कि वह विश्वविद्यालय मानी गई संस्था, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, इसकी परीक्षाओं, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा चलाए या किए जा रहे शिक्षण और अन्य कार्य का निरीक्षण कराए, और केंद्र सरकार/आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के किसी विषय के बारे में जांच कराए।

22.2 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का, आयोग द्वारा स्वयमेव या किसी अन्य प्रामाणिक जानकारी या किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत/स्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण करने के पश्चात् और विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय मानी गई संस्था ने इन विनियमों के किसी उपबंध का या आयोग द्वारा जारी किसी निदेश का उल्लंघन किया है, तो आयोग सम्बंधित विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को निदेश दे सकेगा कि वह आयोग द्वारा विनिश्चित की जाने वाली अवधि के लिए नए छात्रों को प्रवेश न दे या आयोग द्वारा विनिश्चित की जाने वाली अवधि के लिए प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या को कम कर दे, और जान-बूझ कर इन विनियमों का लगातार उल्लंघन किए जाने के मामले में, केंद्र सरकार को यह सलाह दे सकेगा कि संस्था को विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में अधिसूचित करने वाली घोषणा का प्रत्याहरण कर ले। इस प्रकार प्रत्याहरित घोषणा की स्थिति में, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की समस्त चल और अचल संपत्तियों का अंतरण उस सोसाइटी /न्यास/कंपनी द्वारा नियंत्रित होगा जिसके अधीन वह विश्वविद्यालय मानी गई संस्था पंजीकृत है। प्रथम उल्लंघन के लिए यह प्रत्याहरण एक शैक्षणिक वर्ष के लिए निर्बन्धित हो सकेगा जिसे दुबारा उल्लंघन किए जाने पर बढ़ा कर पांच शैक्षणिक वर्षों के लिए किया जा सकेगा। तथापि, गंभीर और जान-बूझ कर किए गए उल्लंघन के लिए विश्वविद्यालय मानी गई स्थिति को स्थायी रूप से प्रत्याहरित कर दिया जाएगा

परन्तु, यदि विश्वविद्यालय मानी गई उस संस्था को अधिसूचित करने वाली घोषणा का प्रत्याहरण किया गया है जो सार्वजनिक निधि से वित्तपोषित विश्वविद्यालय मानी गई संस्था है, तो उस मामले में, उस विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की समस्त चल और अचल संपत्तियां, मामले के अनुसार, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को अंतरित हो जाएगी।

परन्तु यह और भी, कि उपर्युक्त उपबंध, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 के अधीन दिए गए किसी दंड के उपबंध का अपवर्जन नहीं करेंगे।

यदि विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के परिसमापन या विघटन पर, इसके सभी ऋण और देयताओं के चुकाए जाने के बाद, जो कुछ भी संपत्ति बची रहती है, तो वह उपर्युक्त उपबंधों के द्वारा शासित होगी।

22.3 माने गए विश्वविद्यालय की स्थिति के प्रत्याहरण की स्थिति में, इस विशिष्ट स्थिति के लिए लागू या अवधारित ऐसे पूर्व उदाहरणों और परिपाटियों के अनुसार, छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए साथ साथ कार्रवाई शुरू की जाएगी।

22.4 यदि विश्वविद्यालय मानी गई कोई संस्था, 'विश्वविद्यालय मानी गई संस्था' की स्थिति से स्वयं का या अपने संघटकों का प्रत्याहरण करना चाहती है, तो वह केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से ऐसा कर सकेगी। ऐसा प्रत्याहरण तब से प्रभावित होगा जब तत्समय नामांकित छात्रों का अंतिम बैच विश्वविद्यालय मानी गई संस्था से उत्तीर्ण हो जाए।

23.0 पुराने प्रस्तावों पर विचार

सभी प्रस्ताव (चाहे वे विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में घोषणा की मांग करने के लिए हों, या परिसर-बाह्य केंद्र/अपतट परिसर स्थापित करने के लिए हों या अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की परिधि के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए हों) जो आयोग में या तो लंबित/प्रक्रियाधीन हों या केंद्र सरकार को प्राप्त हुए हों, इन विनियमों द्वारा शासित होंगे।

परन्तु, यदि किसी संस्था ने अपना प्रस्ताव सरकार को 20 मई 2016 के पूर्व प्रस्तुत किया है, और लिखित में ऐसा चाहता है, तो उसके आवेदन पर UGC (विश्वविद्यालय मानी गई संस्था) विनियम, 2010 के अधीन प्रक्रिया की जाएगी। तथापि, इसे यह वचनबंध देना होगा कि वह अधिसूचना के दो वर्षों के अन्दर UGC (विश्वविद्यालय मानी गई संस्था) विनियम, 2016 का अनुपालक बन जाएगा, जो न होने की स्थिति में मानी गई विश्वविद्यालय की स्थिति का सरकार द्वारा प्रत्याहरण कर लिया जाएगा और उसे इन विनियमों के अधीन नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा।

उपाबंध-1

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली

1. प्रत्येक संस्था को, जो UGC अधिनियम की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में घोषित होना चाहती है, एक सोसाइटी/न्यास /कंपनी के रूप में प्रस्तावित विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नाम और शैली में पंजीकृत किया जाएगा।
2. ऐसी प्रत्येक संस्था, असंदिग्धार्थी रूप से, निम्नलिखित को उपदर्शित करेगी :
 - i) नाम : विश्वविद्यालय मानी जाने हेतु प्रस्तावित संस्था के नाम के साथ, सोसाइटी /न्यास /कंपनी का नाम।
 - ii) कार्यालय: सोसाइटी /न्यास /कंपनी का पंजीकृत कार्यालय; संस्था का आधिकारिक पता।
 - iii) उद्देश्य: विश्वविद्यालय मानी जाने हेतु प्रस्तावित संस्था के उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किए जाएंगे। वे उद्देश्य विश्व विद्यालय मानी जाने हेतु प्रस्तावित संस्था के छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अच्छी तरह से परिनिश्चित और ज्ञात होंगे।
 - iv) ऊपर उपवर्णित उद्देश्यों को विधि में पूर्ण प्रकृति का माना जाएगा।

3. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के कार्यक्रम

- 3.1 उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से संस्था निम्नलिखित को सूचित करेगी :

- (i) प्रस्तावित अध्ययन और अनुसंधान कार्यक्रम एवं अध्ययन की ऐसी शाखाओं में शिक्षण प्रदान करने की सुविधाएं जैसी वह संस्था विद्या के अभिवर्धन और ज्ञान के प्रसार के लिए उपयुक्त समझे;
- (ii) जिन व्यक्तियों ने अनुमोदित अध्ययन और/या अनुसंधान कार्यक्रम संतोषजनक तरीके से पूरे कर लिए हैं, उनके लिए डिग्री और डिप्लोमा और/या प्रमाण पत्र का स्वरूप और परीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए विहित की गई योजना।
- (iii) अन्य शैक्षणिक योजनाओं का विवरण, जैसे कि कुलाध्यक्षवृत्ति (विजिटरशिप), अध्येतावृत्ति (फेलोशिप), पुरस्कार और पदक।

4. संस्था का प्रबंधन

4.1 आवेदन के समय, प्रथम प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के, जिन्हें संस्था का प्रबंधन तब तक के लिए सौंपा गया है जब तक कि नियमों के अनुसार विभिन्न प्राधिकरणों को गठित नहीं किया जाता, नाम, पते और व्यवसाय, उनके सहमति-पत्रों के साथ दिया जाएगा।

4.2 प्रबंधन बोर्ड एक सुसंहृत और समांगी निकाय होगा ताकि यह तत्परता से सुचिंतित निर्णय ले सके और उन्हें कार्यान्वित कर सके और संकटपूर्ण स्थितियों को कारगर तरीके से संभाल सके।

4.3 प्रबंधन बोर्ड विनियमों के खंड 5.7 के अनुसार होगा। प्रबंधन बोर्ड की सदस्यता की अवधि और इसकी शक्तियां निम्नलिखित होंगी :

4.3.1 प्रबंधन बोर्ड के सभी सदस्य, पदेन सदस्यों और शिक्षण में लगे प्राध्यापकवर्ग को छोड़ कर, तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनः नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होंगे।

4.3.2 प्रबंधन बोर्ड में प्राध्यापकवर्ग के सदस्य दो वर्षों की अवधि के लिए, या उतनी अवधि के लिए जब तक वे प्राध्यापकवर्ग में बने रहते हैं, जो पहले हो, पद धारण करेंगे।

4.4 प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां

प्रबंधन बोर्ड प्रबंधन का प्रधान अंग और विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, नामतः :

- i) शासी परिषद् की सलाह पर विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के शैक्षणिक कार्य के लिए प्रभाग और विभाग स्थापित करना और उन्हें अध्ययन, शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्रों का विनिधान करना;
- ii) शिक्षण के और शैक्षणिक पदों का सृजन करना, आयोग और सम्बंधित सांविधिक निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित, उनकी संख्या, संवर्गों और अर्हताओं का और वित्त समिति के परामर्श से ऐसे पदों की परिलब्धियों का निर्धारण करना;
- iii) चयन समिति की सिफारिशसे यथा-आवश्यक आचार्यों (प्रोफेसर), सह-आचार्यों (एसोशियेट प्रोफेसर), सहायक आचार्यों (असिस्टेंट प्रोफेसर) और अन्य शैक्षणिक प्राध्यापकवर्ग को नियुक्त करना;
- iv) विद्या परिषद् (एकेडमिक काउंसिल) की सलाह से विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के आचार्यों (प्रोफेसर), सह-आचार्यों (एसोशियेट प्रोफेसर) और सहायक आचार्यों (असिस्टेंट प्रोफेसर) के कर्तव्यों और सेवा-शर्तों को अधिकथित करना;

- v) अभ्यागत अध्येताओं (विजिटिंग फेलो) और अभ्यागत आचार्यों (विजिटिंग प्रोफेसर) की नियुक्ति के उपबंध करना;
- vi) अधिकथित संवर्गों के निबंधनों के अनुसार प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पद सृजित करना और वित्त समिति के परामर्श से उनकी नियुक्तियां करना;
- vii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के शिक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवर्ग के हितलाभ लिए, वे पेंशन, बीमा, भविष्य-निधि और उपदान गठित करनाजिन्हें यह ठीक समझे, और कर्मचारिवर्ग और छात्रों के हितलाभ के लिए संघ, संस्थाएं, निधियां, न्यास और प्रकल्पित हस्तांतरणों की स्थापना और संभाल में सहायता देना;
- viii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना,और जहां आवश्यक हो, उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई करना;
- ix) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के कर्मचारियों और छात्रों की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना और उनका न्यायनिर्णयन करना;
- x) कुलपति को अनुपस्थिति छुट्टी स्वीकृत करना और अनुपस्थिति की अवधि में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इंतजाम करना;
- xi) परीक्षाओं और परीक्षणों के परिणामों के आधार पर डिग्रियों और डिप्लोमाओं के प्रदान किए जाने को अनुमोदित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक उपाधियां और सम्मान प्रदान करना;
- xii) विद्या परिषद् और वित्त समिति के परामर्श से परीक्षकों, अनुसूचकों (मॉडरेटर), सारणीकारों, परीक्षाओं के लिए नियुक्त ऐसे अन्य कार्मिकों की परिलब्धियों और यात्रा एवं अन्य भत्तों को नियत करना;
- xiii) इस प्रयोजन हेतु बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, जिनमें यात्रा अध्येतावृत्तियाँ शामिल हैं, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;
- xiv) यदि कोई सोसाइटी/न्यास/कंपनी है, तो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की ओर से, उसे अधिग्रहण, प्रबंधन, और किसी अचल संपत्ति के निपटान के विषयों में सलाह देना;
- xv) किसी भूमि या भवन या निर्माण को, जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो,उन निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें यह ठीक और उपयुक्त समझे, खरीदना, पट्टे पर लेना, या उपहार के रूप में स्वीकार करना, और ऐसे किसी भवन या निर्माण को संरचित या परिवर्तित करना;
- xvi) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की ओर से किसी अचल संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना ;

परन्तु, प्रबंधन बोर्ड, प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी के अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की किसी चल या अचल संपत्ति के स्वामित्व का किसी भी प्रकार से अंतरण या परिवर्तन नहीं करेगा ;

- xvii) यदि कोई सोसाइटी/न्यास/कंपनी है तो उसके परामर्श से, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के, या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहीत किए जाने वाले, हस्तांतरण, सरकारी प्रतिभूतियों का अंतरण, प्रति-हस्तांतरण, बंधक, पट्टे, बांड, अनुज्ञप्तियाँ और करार निष्पादित करना ;
- xviii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु निधियों के लिए अपील जारी करना, और उद्देश्यों के उपबंधों से संगत, अनुदान, दान, अभिदाय, उपहार, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, फीस एवं अन्य रकम ग्रहण करना, अनुदान और दान देना, पुरस्कार, छात्रवृत्तियाँ आदि प्रदान करना ;
- xix) यदि कोई सोसाइटी/न्यास/कंपनी है तो उसके परामर्श से, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की किन्हीं संपत्तियों और आस्तियों पर आधारित रकम या बांड, बंधक, वचनपत्र (प्रामिसरी नोट) या अन्य बाध्यताओं या प्रतिभूतियों पर, या बिना किन्हीं प्रतिभूतियों के, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जिन्हें वह ठीक और विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की निधियों में से दिए जाने योग्य समझे, रकम जुटाने और उधार ली गई रकम का प्रतिसंदाय और मोचन करने से आनुषंगिक सभी व्यय जुटाना और उधार लेना ;
- xx) भारत सरकार के एवं अन्य वचनपत्र (प्रामिसरी नोट), विनिमय-पत्र, चेक या अन्य परक्राम्य लिखतों को लिखना और स्वीकार करना और बनाना और बट्टा मंजूर करना और परक्रामण करना ;
- xxi) निधि रखना, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :
- (क) केंद्र या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार/सरकारों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी रकम ;
- (ख) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था से प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार ;
- (ग) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था से अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत, या अंतरणों के रूप में प्राप्त सभी रकम ;
- (घ) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था से किसी अन्य प्रकार से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी रकम ;
- xxii) किसी एक या अधिक अनुसूचित बैंकों में विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का खाता या खातों को खोलना और उसे चलाने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करना ;
- xxiii) निधियों को जमा सभी रकम अनुसूचित बैंकों में जमा करना या उनको वित्त समिति के परामर्श से निवेश करना ;
- xxiv) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की निधियों को या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को सौंपी गई रकम को ऐसी प्रतिभूतियों में या उन पर, या इस प्रकार से जो यह ठीक समझे, निविष्ट करना और समय-समय पर किसी निवेश का अंतर्विनिमय करना ;
- xxv) विनियमों/उप-विधियों द्वारा यथा-विहित प्ररूप में, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखना और वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना, जिसमें प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए तुलन-पत्र सम्मिलित होगा ;
- xxvi) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के राजस्व, वित्त, लेखाओं, निवेशों, संपत्तियों, कामकाज का प्रबंध, विनियमन और प्रशासन करना, और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं को नियुक्त करना जो यह ठीक समझे ;
- xxvii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक भवन, परिसर (प्रिमाईसेज), फर्नीचर, साज-सामान (फिटिंग्स), उपस्कर, उपकरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना ;
- xxviii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के प्राध्यापकवर्ग और कर्मचारिवर्ग के लिए आवास तथा छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करना और उनका रखरखाव और प्रबंध करना ;

- xxix) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के छात्रों के लिए, अन्य अभिकरणों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा प्रबंधित छात्रावासों का अभिज्ञान करना और उन पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखना;
- xxx) ऐसी समितियों को ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों के साथ, जैसा प्रबंधन बोर्ड ठीक समझे, नियुक्त करना और इन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित करना जैसा यह ठीक समझे ;
- xxxii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के किसी कार्य-संचालन के लिए या किसी लिखत के निष्पादन के लिए, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के अटर्नी के रूप में किसी व्यक्ति को ऐसी शक्तियों के साथ नियुक्त करना जो यह ठीक समझे ;
- xxxiii) गामी वर्ष के लिए लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकों को नियुक्त करना ;
- xxxiiii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के लिए एक संप्रतीक चुनना और एक सामान्य मुद्रा (सील) रखना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और प्रयोग का प्रबंध करना ;
- xxxv) इसके द्वारा या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के कुलपति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्मित समिति या उपसमिति को इसकी सभी या कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित करना
- xxxvi) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के सभी प्रशासनिक मामलों को, जो अन्यथा विशेष रूप से उपबंधित नहीं हैं, संचालित करना ;
- xxxvii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के निर्बाध और दक्ष कार्य-संचालन के लिए सभी आवश्यक निर्णय लेना ।

4.5 प्रबंधन बोर्ड की बैठकें :

- (i) प्रबंधन बोर्ड एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठकें करेगा। प्रबंधन बोर्ड की किसी बैठक की कम से कम 15 दिनों की नोटिस दी जाएगी। प्रबंधन बोर्ड की बैठक के लिए आठ (8) सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।
- (ii) प्रबंधन बोर्ड की प्रत्येक बैठक की इसके अध्यक्ष द्वारा, और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने गए व्यक्ति द्वारा, अध्यक्षता की जाएगी।
- (iii) प्रबंधन बोर्ड के, इसके अध्यक्ष समेत, प्रत्येक सदस्यका एक मत (वोट) होगा और बोर्ड की बैठकों में साधारण बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। बराबर मत आने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।
- (iv) कोई कामकाज, जो प्रबंधन बोर्ड के लिए करना आवश्यक हो, उस पर इसके सदस्यों में उपयुक्त संकल्प परिचालित करते हुए किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित और साधारण बहुमत से अनुमोदित कोई संकल्प उतना ही प्रभावी और बाध्यकर होगा, मानो ऐसा संकल्प बोर्ड की बैठक में पारित किया जा चुका हो।
- (v) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति बैठक के उपरांत यथासंभव शीघ्र विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

4.6 सदस्यता की समाप्ति

यदि कुलपति के अलावे कोई सदस्य, और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सदस्य, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकृत करता/करती है, या बिना समुचित अनुपस्थिति छुट्टी के, प्रबंधन बोर्ड की तीन क्रमागत बैठकों में उपस्थित नहीं होता/होती है, तो वह प्रबंधन बोर्ड का/की सदस्य नहीं रह जाएगा/जाएगी।

4.7 प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्थायी समिति और तदर्थ समिति का गठन

4.7.1 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नियमों के उपबंध के अध्याधीन, प्रबंधन बोर्ड संकल्प द्वारा, ऐसी स्थायी समिति या तदर्थ समिति, या उन प्रयोजनों के लिए उन शक्तियों से युक्त समितियां जो बोर्ड विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के किसी कृत्य को करने के लिए या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के किसी मामले के बारे में जांच करने, रिपोर्ट देने और सलाह देने के लिए ठीक समझे, गठित कर सकेगा।

4.7.2 प्रबंध बोर्ड, स्थायी समिति या तदर्थ समिति में ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगा जिनको यह उपयुक्त समझे।

4.8 प्रबंधन बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन

प्रबंध बोर्ड, संकल्प द्वारा, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के कुलपति या किसी अन्य पदधारी या स्थायी समिति या तदर्थ समिति को अपनी वे शक्तियां जो यह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा, किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति या सम्बंधित पदधारी या स्थायी समिति या तदर्थ समिति द्वारा की गई कार्रवाई प्रबंधन बोर्ड की अगली बैठक में रिपोर्ट की जाएगी।

5. नामिका (पैनल) का गठन

(i) खंड 5.7 के अधीन प्रबंधन बोर्ड में और खंड 3.1 (उपाबंध 2) के अधीन वित्त समिति में UGC प्रतिनिधि को नामनिर्देशित करने के लिए, UGC द्वारा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक खोज समिति गठित की जाएगी। ऐसी खोज समिति प्रत्येक दो वर्ष पर बनाई जाएगी।

(ii) सरकार, खोज समिति का गठन करते समय, UGC की सिफारिशपर, प्रबंधन बोर्ड में होने वाले सदस्य और वित्त समिति में होने वाले सदस्य के लिए अलग-अलग, अर्हता, अनुभव, आयु, आदि के पात्रता मानदंड अधिकथित करेगी।

(iii) खोज समिति उन संस्थाओं की, जिनमें UGC को नामनिर्देशिती प्रदान करने हैं, संख्या की दोगुनी संख्या में, प्रबंधन बोर्ड और वित्त समिति के लिए अलग-अलग, नामों की नामिका (पैनल) चुनेगी। नामों की नामिका (पैनल) की वैधता दो वर्ष के लिए होगी किन्तु यदि खोज समिति दो वर्षों में कोई बैठक नहीं कर पाती है तो उसे केंद्र सरकार के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(iv) कोई व्यक्ति दो से अधिक समितियों में नामनिर्देशित नहीं किया जा सकता, या तो प्रबंधन बोर्ड में या वित्त समिति नामनिर्देशित किया जा सकता है।

(v) UGC नामों की वर्तमान में अनुमोदित नामिका में से अपना प्रतिनिधि वित्त समिति या प्रबंधन बोर्डमें चुनेगी, परन्तु, ऐसा प्रतिनिधि सम्बंधित पिछले पांच वर्षों में विश्वविद्यालय मानी गई संस्था में किसी अन्य समिति में या अन्य क्षमता में, जैसे कि प्राध्यापकवर्ग, प्रशासनिक पद आदि, में सहबद्ध नहीं होना चाहिए।

(vi) प्रबंधन बोर्ड और वित्त समिति के लिए नामों की नामिका, समिति में नामनिर्देशन के ब्यौरे के साथ, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

उपाबंध-2

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के अन्य प्राधिकरण

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के निम्नलिखित अन्य प्राधिकरण होंगे :

1. विद्या परिषद्
2. योजना और अनुश्रवण बोर्ड
3. वित्त समिति
4. पाठ्य बोर्ड
5. ऐसे अन्य प्राधिकरण जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के प्राधिकरणों के नियमों द्वारा घोषित किए जाएं

1. विद्या परिषद्(AC)

1.1 विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और, नियमों के उपबंध के अध्याधीन, शिक्षण के मानक, अनुसंधान और प्रशिक्षण, पाठ्य विवरण के अनुमोदन, अनुसंधान क्रियाकलाप का समन्वय,

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के अन्दर परीक्षा और परीक्षण पर नियंत्रण रखेगी और उनके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्य और कृत्य संपादित करेगी जो संस्था के नियमों द्वारा विहित किए जाएं या उसे सौंपे जाएं।

1.2 विद्या परिषद् की संरचना

विद्या परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनेगी, नामतः :

1. कुलपति अध्यक्ष
2. प्रति-कुलपति (यदि कोई हो)
3. संकायाध्यक्ष
4. विभागाध्यक्ष
5. विभागाध्यक्षों से इतर सभी आचार्य (प्रोफेसर)
6. वरिष्ठता के चक्रानुक्रम से, विभागाध्यक्षों से इतर, विभागों से दो सह-आचार्य (असोशिएट प्रोफेसर)
7. वरिष्ठता के चक्रानुक्रम से विभागों से दो सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर)
8. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्रियों में से या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के क्रियाकलाप से सम्बंधित किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की सेवा में न हों
9. विद्या परिषद् द्वारा उनके विशिष्ट ज्ञान के लिए सहयोजित तीन व्यक्ति जो प्राध्यापकवर्ग के सदस्य न हों
10. रजिस्ट्रार, जो विद्या परिषद् का सचिव होगा

टिपण्णी : विभिन्न कोटियों का प्रतिनिधित्व केवल चक्रानुक्रम से होगा और निर्वाचन द्वारा नहीं होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परिषद् की सदस्यता में किसी विशेष संकाय की प्रबलता न हो।

1.3 सदस्यता की अवधि :

पदेन सदस्यों से इतर सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

1.4 विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य :

विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, नामतः:

- i. शैक्षणिक रुचि के विषयों पर, स्वयमेव या प्रबंधन बोर्ड के अनुरोध पर या विभाग/संकाय द्वारा प्रस्तावित विषयों पर, विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना;
- ii. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के शैक्षणिक कार्य पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना और शिक्षण की पद्धतियों, मूल्यांकन और शैक्षणिक मानकों में अभिवृद्धि के बारे में निदेश देना;
- iii. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के अन्दर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, समय-समय पर ऐसे अनुसंधानों की रिपोर्टें प्राप्त करना;
- iv. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की डिग्री और डिप्लोमा दिलाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करना
- v. उप-विधियों के अनुरूप परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रबंध करना

- vi. विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षकों, अनुसूचीकों (मॉडरेटर), सारणीकारों और ऐसे अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करना;
- vii. परीक्षाओं के समुचित मानक बनाए रखना;
- viii. विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं की डिग्रियों और डिप्लोमाओं का अभिज्ञान करना और विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की डिग्रियों और डिप्लोमाओं के साथ तुल्यता निर्धारित करना;
- ix. विभागीय समन्वय के उपाय सुझाना;
- x. निम्नलिखित के विषय में प्रबंधन बोर्ड को अनुशंसाएं प्रदान करना :
 - क) शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण के मानकों में अभिवृद्धि के उपाय;
 - ख) अध्येतावृत्तियों, यात्रा अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों, पुरस्कारों की संस्था;
 - ग) प्रबंधन बोर्ड को विभागों/केन्द्रों की स्थापना या उत्सादन की सिफारिश करना ; और
 - घ) प्रवेश, परीक्षाओं, अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्तियों को प्रदान करना, फीसमाफी, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, आवास आदि उनके बारे में नियम बनाना जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के शैक्षणिक कृत्य के अंतर्गत आते हैं,
- xi. ऐसे विशिष्ट मामलों पर सलाह देने के लिए जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, उपसमितियां नियुक्त करना;
- xii. उपसमितियों की अनुशंसाओं पर विचार करना और हर मामले द्वारा अपेक्षित परिस्थित के अनुसार कार्रवाई करना;
- xiii. विभागों/केन्द्रों के क्रियाकलाप का आवधिक पुनर्विलोकन करना और शिक्षण के मानकों को बनाए रखने और उनकी अभिवृद्धि करने के दृष्टिकोण से उपयुक्त कार्रवाई करना;
- xiv. प्रबंधन बोर्ड को शिक्षक पदों (आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य) को संस्थित करने की सिफारिश करना; और
- xv. ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्य पूरे करना जो इसे नियमों के द्वारा प्रदत्त किए जाएं या इस पर अधिरोपित किए जाएं ।

1.5 विद्या परिषद् की बैठक :

- i. विद्या परिषद् की बैठक उतनी बार होगी जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु एक शैक्षणिक वर्ष में तीन से कम बार नहीं होगी । विद्या परिषद् की किसी बैठक की कम से कम 15 दिनों की नोटिस दी जाएगी ।
- ii. विद्या परिषद् के कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों से विद्या परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी ।
- iii. इसके अध्यक्ष समेत, प्रत्येक सदस्यका एक मत (वोट) होगा और विद्या परिषद् की बैठकों में साधारण बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे । बराबर मत आने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

iv. कोई कामकाज, जो विद्या परिषद् के लिए करना आवश्यक हो, सिवाय ऐसे के जो इसकी बैठक में रखा जाना हो, उस पर इसके सदस्यों में उपयुक्त संकल्प परिचालित करते हुए किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित और साधारण बहुमत से अनुमोदित कोई संकल्प उतना ही प्रभावी और बाध्यकर होगा, मानो ऐसा संकल्प विद्या परिषद् की बैठक में पारित किया जा चुका हो, परन्तु यह तभी, जब विद्या परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों ने संकल्प पर अपनी राय अभिलिखित की हो।

2.0 योजना और अनुश्रवण बोर्ड :

2.1 योजना और अनुश्रवण बोर्ड, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का प्रधान योजना बोर्ड होगा और विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगा।

2.2 कुलपति, योजना और अनुश्रवण बोर्ड का अध्यक्ष होगा। रजिस्ट्रार इसका सचिव होगा। इसमें सात आंतरिक सदस्य और तीन बाहरी प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हो सकेंगे, जिनमें एक UGC का नामनिर्देशित होगा।

2.3 योजना और अनुश्रवण बोर्ड का गठन, शक्तियां और कार्य नियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

2.4 योजना और अनुश्रवण बोर्ड को प्रबंधन बोर्ड और विद्या समिति को किसी भी विषय पर, जो यह विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे, सलाह देने का अधिकार होगा।

2.5 योजना और अनुश्रवण बोर्ड की अनुशंसाओं को प्रबंधन बोर्ड के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। शैक्षणिक मामलों से सम्बंधित प्रस्तावों पर विद्या परिषद् द्वारा प्रक्रिया की जाएगी।

3.0 वित्त समिति (FC) :

3.1 वित्त समिति की संरचना :

वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिल कर बनेगी :

1. कुलपति - अध्यक्ष।
2. प्रति-कुलपति।
3. सोसाइटी/न्यास/कंपनी द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति।
4. प्रबंधन बोर्ड के दो नामनिर्देशित, जिनमें से एक बोर्ड का सदस्य होगा
5. यदि संस्थाएं केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित हों या केंद्र सरकार से सीधे या इसके अभिकरणों के माध्यम से अपने व्यय के 50% के बराबर या उससे अधिक (पिछले तीन वर्षों के लेखाओं के औसत पर आधारित) अनुदान प्राप्त कर रही हों तो उस मामले में केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि (अपना सम्बंधित मंत्रालय) जो भारत सरकार के अवर सचिव के रैंक से कम का न हो। अन्य सभी विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं में UGC एक प्रतिनिधि नामनिर्देशित करेगा। UGC अपना प्रतिनिधि खोज समिति के माध्यम से चयनित नामों की नामिका में से नामनिर्देशित करेगा। खोज समिति, नामों की नामिका का चयन करने के लिए, उपाबंध-1 के खंड 5.0 में यथा-उल्लिखित विवरण और प्रक्रिया के अनुसार बनाई जाएगी।

6. यदि विश्वविद्यालय मानी गई संस्था राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही है, तो उस मामले में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि

7. वित्त अधिकारी - सचिव

3.2 वित्त समिति की पदावधि :

वित्त समिति के, पदेन सदस्यों से इतर, सभी सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3.3 वित्त समिति की शक्तियां और कार्य :

- (i) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के वार्षिक लेखाओं और वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उनको प्रबंधन बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना ;
- (ii) वार्षिक बजट और संशोधित प्राक्कलनों पर विचार करना और प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करना ;
- (iii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की आय और संसाधनों पर आधारित वर्ष के सकल आवर्ती व्यय और सकल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना ;

टिपण्णी : विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा, बजट में प्रावधान किए गए व्यय से इतर कोई भी व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के बिना नहीं किए जाएंगे ।

3.5 वित्त समिति की बैठकें :

वित्त समिति, लेखाओं की परीक्षा करने और व्यय के प्रस्तावों की जांच करने के लिए वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें करेगी । वित्त समिति की बैठक के लिए पाँच (5) सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

4.0 पाठ्य बोर्ड :

4.1 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के प्रत्येक विभाग के लिए एक पाठ्य बोर्ड होगा ।

4.2 प्रत्येक संकाय/विभाग का पाठ्य बोर्ड निम्नलिखित से मिल कर बनेगा :

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष -- अध्यक्ष
2. संकाय/विभाग के सभी आचार्य (प्रोफेसर)
3. वरिष्ठता के चक्रानुक्रम से, संकाय/विभागके दो सह-आचार्य (असोशिएट प्रोफेसर)
4. वरिष्ठता के चक्रानुक्रम से, विभागों से दो सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर)

5. अधिक से अधिक दो व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान के लिए सहयोजित किए जाएंगे, जिनमें सम्बंधित वृत्ति या उद्योग से लिए गए व्यक्ति शामिल हैं

4.3 पाठ्य बोर्ड की शक्तियां और कार्य विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नियमों द्वारा विहित किए जाएंगे

5.0 चयन समिति :

5.1 आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और ऐसे अन्य पदों के लिए, जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं और समय-समय पर यथा-संशोधित उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के उपाय, 2010 के विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार विहित किए जाएं, नियुक्ति के लिए प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति होगी ।

5.2 प्रत्येक चयन समिति, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं और समय-समय पर यथा-संशोधित उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के उपाय, 2010 के विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार गठित की जाएगी ।

5.3 चयन समिति की बैठकें :

(क) चयन समिति की बैठकें, जब कभी आवश्यक हो, चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएंगी ।

(ख) चयन समिति के चार सदस्य, जिनमें कम से कम दो विशेषज्ञ हों, गणपूर्ति बनाएंगे

(ग) यदि प्रबंधन बोर्ड चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ हो, तो वह उसके कारणों को अभिलिखित करेगा और इसे एक उच्च शक्तिप्राप्त समिति के उपयुक्त पुनर्विलोकन की अपेक्षा होगी ।

6.0 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के पदधारी :

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के निम्नलिखित पदधारी होंगे :

- क) कुलाधिपति
- ख) प्रति-कुलाधिपति
- ग) कुलपति
- घ) प्रति-कुलपति
- ङ) रजिस्ट्रार
- च) वित्त अधिकारी
- छ) परीक्षा नियंत्रक
- ज) संकायाध्यक्ष
- झ) विभागाध्यक्ष
- ञ) अन्य ऐसे पदधारी जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नियमों में विहित किए जाएं

6.1 कुलाधिपति और प्रति-कुलाधिपति

6.1.1 कुलाधिपति : विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का एक कुलाधिपति होगा जो, उपस्थित रहने पर, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा किन्तु मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं होगा। कुलाधिपति, जो प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाएगा, 5 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा और एक और अवधि के लिए पात्र होगा।

जहां कुलाधिपति को, व्यक्तियों को प्राधिकरणों के लिए नामनिर्देशित करने की शक्ति प्रदान की गई है, वह जहां तक आवश्यक हो, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अभिरुचियों को निरूपित करने वाले व्यक्तियों को नामनिर्देशित करेगा/गी।

6.1.2 प्रति-कुलाधिपति : विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का प्रायोजक निकाय प्रति-कुलाधिपति के रूप में भी एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा जिसकी भूमिका इन विनियमों में कुलाधिपति को सौंपे गए कार्यों को तब, जब कुलाधिपति उन्हें करने के लिए उपलब्ध नहीं हो, करने तक सीमित होगी। प्रति-कुलाधिपति, यदि ऐसा नियुक्त हो, कुलाधिपति की पदावधि के सह-विस्तारी अवधि तक के लिए पद धारण करेगा और अधिकतम दो अवधि के लिए पद धारण करने के लिए पात्र होगा।

व्याख्या : यदि कोई व्यक्ति पांच वर्ष से कम अवधि के लिए पद धारण करता है, तो उसे भी इस प्रयोजन के लिए अवधि के रूप में माना जाएगा।

6.2 कुलपति :

“(i) कुलपति विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और कुलाध्यक्ष (विजिटर)/कुलाधिपति (चांसलर) द्वारा, एक खोज-और-चयन समिति द्वारा सुझाई गई तीन नामों की नामिका में से नियुक्त किया जाएगा।

कुलपति के रूप में उच्चतम स्तर की दक्षता, सत्यनिष्ठा, सदाचार और सांस्थानिक प्रतिबद्धता के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त किया जाने वाला कुलपति एक प्रख्यात शिक्षाशास्त्री होगा जिसका विश्वविद्यालय प्रणाली के आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव हो या किसी प्रतिष्ठित अनुसंधान और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में समकक्ष पद का दस वर्षों का अनुभव हो।

कुलपति के चयन के लिए खोज-और-चयन समिति (SCSC) की प्रक्रिया/संरचना निम्नलिखित होगी :

- I. जहां, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का प्रबंध नियंत्रण केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास है, वहां कुलपति, मामले के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया जाएगा ।
- II. जहां, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का सरकार द्वारा या इसके अभिकरणों द्वारा वित्तपोषण 50% या उससे अधिक हो (पिछले तीन वर्ष के लेखा के औसत पर आधारित), वहां खोज-और-चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :

क) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती

ख) केंद्र सरकार का एक नामनिर्देशिती, जो UGC के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई प्रख्यात शिक्षाशास्त्री होगा

ग) प्रबंधन बोर्ड का एक नामनिर्देशिती

- III. जहां, वित्तपोषण इसके व्यय के 50% से कम हो, वहां खोज-और-चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :

क) कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती, जो समिति का अध्यक्ष होगा

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती

ग) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के सिंडीकेट/कार्यपालक परिषद्/प्रबंधन बोर्ड का एक नामनिर्देशिती

- (ii) कुलपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा । वह दूसरी अवधि के लिए पात्र होगा, परन्तु किसी भी मामले में वह 70 वर्ष की आयु होने के बाद पद धारण नहीं करेगा।

परन्तु, 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी, वह उतने समय तक पद पर बना रहेगा जो छह मास से अधिक नहीं होगा या जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर लिया जाए और वह कार्यग्रहण न कर ले, जो भी पहले हो ।

- (iii) मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अन्यथा किसी कारण से कुलपति का पद रिक्त हो जाने के मामले में और बीमारी या किसी अन्य कारण से उसके अनुपस्थित होने के मामले में, नए कुलपति के नियुक्त किए जाने तक या वर्तमान कुलपति के कार्य पर आ जाने तक, वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के कार्यों का निष्पादन करेगा ।

- (iv) कुलपति, प्रायोजक या प्रबंधक सोसाइटी/न्यास/कंपनी और/या प्रायोजक या प्रबंधक सोसाइटी/न्यास कंपनी के अध्यक्ष या सदस्यों का निकट संबंधी नहीं होगा ।

6.3 कुलपति की शक्तियां :

- i) कुलपति, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी होगा ।
- ii) कुलपति, प्रबंधन बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त समिति, योजना और अनुश्रवण बोर्ड और चयन समितियों का पदेन अध्यक्ष होगा ।
- iii) कुलपति को विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक बुलाने या बुलाया जाना कारित करने की शक्ति होगी ।
- iv) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले पर तत्काल कार्यवाई अपेक्षित है, तो वह इसके विनियमों और नियमों के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के किसी भी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा

और ऐसी कार्रवाई कर सकेगा या ऐसी कार्रवाई करने हेतु अग्रसर होगा और उसके द्वारा ऐसे मामलों पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट सम्बंधित प्राधिकारी को देगा ।

परन्तु, यदि उपर्युक्त खंड (ii) में यथा-उल्लिखित सम्बंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह इस मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

परन्तु यह और भी, कि यदि विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की सेवा में रहने वाला कोई व्यक्ति उक्त खंड के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से पीड़ित है, तो उसे ऐसे निर्णय के विरुद्ध प्रबंधन बोर्ड को, उसे ऐसी कार्रवाई की सूचना दी जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर, अपील करने का अधिकार होगा और तब प्रबंधन बोर्ड एक पश्चातवर्ती बैठक में बैठक बुलाएगा और कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि करेगा या उसे उपांतरित करेगा या उसे उलट देगा ।

v) यह कुलपति का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के विनियमों और नियमों का समुचित अनुपालन और क्रियान्वयन किया जा रहा है; और उसे इस बारे में आवश्यक शक्तियां होंगी ।

vi) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के समुचित अनुरक्षण और अनुशासन से सम्बंधित सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी ।

vii) कुलपति को यह शक्ति होगी कि वह प्रबंधन बोर्ड की सहमति और अनुमोदन से अपनी किन्हीं शक्तियों को अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को पुनः प्रत्यायोजित कर दे ।

viii) कुलपति उन सब अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो उसे प्रबंधन बोर्ड द्वारा सौंपी जाएं ।

ix) कुलपति ऐसी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे कृत्य निष्पादित कर सकेगा जो विनियमों, नियमों और उप-विधियों द्वारा विहित की जाएं ।

6.4 कुलपति का हटाया जाना :

यदि विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के कुलपति के पास इन विनियमों और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं और समय-समय पर यथा-संशोधित उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के उपाय, 2010 के अधीन भी यथा-अपेक्षित अर्हता नहीं हो, या वह इन विनियमों में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया हो, या उसने कोई वित्तीय/प्रशासनिक अनौचित्य किया हो, तो कुलपति को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति की सिफारिश पर, उचित प्रक्रिया के पश्चात् हटाया जा सकता है । आयोग, जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति को निदेश देगा कि वह कुलपति को हटा दे । तथापि, सरकार नियंत्रित संस्था के मामले में, आयोग कुलपति को हटाने के बारे में अपनी सलाह भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के अपने सम्बंधित मंत्रालय को भेजेगा ।

6.5 प्रति-कुलपति :

(i) प्रति-कुलपति का पद, प्रबंधन बोर्ड और केंद्र सरकार के अनुमोदन से सृजित किया जा सकेगा ।

(ii) प्रति-कुलपति को कुलपति की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(iii) प्रति-कुलपति, कुलपति की पदावधि के सह-विस्तारी अवधि तक के लिए और कुलपति के प्रसाद पर पद धारण करेगा ।

(iv) प्रति-कुलपति की, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा विहित की गई शक्तियां और कर्तव्य होंगे ।

6.6 रजिस्ट्रार :

(i) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और प्रबंधन बोर्ड द्वारा, चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाएगा जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-

1. कुलपति - अध्यक्ष
2. कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती
3. प्रबंधन बोर्ड का एक नामनिर्देशिती

4. प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का कर्मचारी न हो

(ii) रजिस्ट्रार की सेवा की परिलब्धियां और अन्य निबंधन और शर्तें विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नियमों के द्वारा यथा-विहित होंगी ।

- (iii) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो या जब रजिस्ट्रार बीमारी या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित हो, तब रजिस्ट्रार के कर्तव्य और कार्य उस व्यक्ति के द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।
- (iv) रजिस्ट्रार प्रबंधन बोर्ड, विद्या परिषद् और योजना और अनुश्रवण बोर्ड का पदेन सचिव होगा, किन्तु इनमें से किसी भी प्राधिकरण का सदस्य नहीं माना जाएगा।
- (v) रजिस्ट्रार कुलपति को सीधे उत्तरदायी होगा और उसके निदेशों के अधीन कार्य करेगा।
- (vi) रजिस्ट्रार के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :
1. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के अभिलेखों और निधियों और ऐसी अन्य संपत्ति का, जो प्रबंधन बोर्ड उसके प्रभार के सुपुर्द करे, अभिरक्षक होना;
 2. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के प्राधिकारियों की ओर से शासकीय पत्र-व्यवहार करना;
 3. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के प्राधिकारियों की ओर ऐसे किन्हीं प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त सभी समितियों और उप-समितियों की बैठकें बुलाने की सूचना जारी करना;
 4. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के सभी प्राधिकारियों की ओर ऐसे किन्हीं प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त सभी समितियों और उप-समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त रखना;
 5. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए इंतजाम करना और उनका पर्यवेक्षण करना;
 6. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करना और अभिवचन करना इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना;
 7. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की ओर से करार करना, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करना;
 8. विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के भवनों, उद्यानों, कार्यालय, कारों और अन्य वाहनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अध्ययन-कक्षों, उपस्कर और अन्य संपत्तियों के रक्षोपाय और अनुरक्षण करना;
 9. ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना जो नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो प्रबंधन बोर्ड और कुलपति द्वारा समय समय पर सौंपे जाएं।

6.7 वित्त अधिकारी :

- (i) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (ii) वित्त अधिकारी की सेवा की परिलब्धियां और अन्य निबंधन और शर्तें विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नियमों के द्वारा यथा-विहित होंगी।
- (iii) वित्त अधिकारी, कुलपति के निदेशों के अधीन कार्य करेगा और कुलपति के माध्यम से प्रबंधन बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होगा।

- (iv) वह, वित्त समिति और प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने हेतु वार्षिक बजट, प्राक्कलनों और लेखा विवरणों के बनाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।
- (v) वह, प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रण के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की निधियों और निवेशों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

6.8 परीक्षा नियंत्रक :

- (i) परीक्षा नियंत्रक, प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (ii) परीक्षा नियंत्रक की सेवा की परिलब्धियां और अन्य निबंधन और शर्तें विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नियमों के द्वारा यथा-विहित होंगी।
- (iii) परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा और मूल्यांकन के बारे में प्रबंधन बोर्ड, विद्या परिषद् और कुलपति के सभी विशिष्ट निदेशों का अनुपालन हो।
- (iv) परीक्षा नियंत्रक, प्रबंधन बोर्ड में एक स्थायी आमंत्रित होगा।

6.9 संकायाध्यक्ष :

सहबद्ध विषयों से सम्बंधित विभाग संकायों में समूहित किए जा सकेंगे। प्रत्येक संकाय की अध्यक्षता संकायाध्यक्ष करेगा।

6.10 विभागाध्यक्ष :

- (i) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था में प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा विभाग के आचार्यों में से नियुक्त किया जाएगा।
परन्तु, यदि विभाग में कोई आचार्य न हो या विभाग में केवल एक ही आचार्य हो जिसकी विभागाध्यक्ष के रूप में अवधि समाप्त हो रही हो, तो कुलपति किसी सह-आचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा।
- (ii) विभागाध्यक्ष की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष होगी और वह एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा/होगी, किन्तु दो क्रमागत अवधियों के लिए नहीं।
- (iii) विभागाध्यक्ष की शक्तियां और कार्य विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

7.0 शक्तियों का प्रत्यायोजन :

इन विनियमों और नियमों के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का कोई प्राधिकारी या अधिकारी, प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से, अपनी शक्तियों को किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या अपने नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति को सौंप सकेगा और यह इन शर्तों के अध्यक्षीन होगा कि इस प्रकार सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले प्राधिकारी या अधिकारी में ही निहित बना रहेगा।

8.0 वरिष्ठता सूची :

- (क) इन नियमों के अनुसार, जब भी किसी व्यक्ति को वरिष्ठता के चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का कोई पद धारण करना हो या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य बनना हो, तो ऐसी वरिष्ठता विश्वविद्यालय मानी गई संस्था में उस ग्रेड में उस व्यक्ति के लगातार सेवाकाल के अनुसार निर्धारित होगा जो और वह ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा जो प्रबंधन बोर्ड समय-समय पर विहित करे।
- (ख) यह रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक वर्ग/संवर्ग के उन व्यक्तियों के बारे में, जिन पर इन नियमों के उपबंध लागू होते हैं, पूर्वगामी खंड के उपबंध के अनुसार एक सम्पूर्ण और अद्यतन वरिष्ठता सूची तैयार करे और बनाए रखे।
- (ग) यदि किसी विशेष वर्ग/संवर्ग में दो या अधिक व्यक्तियों का लगातार सेवाकाल बराबर हो या किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता के विषय में संदेह हो, तो रजिस्ट्रार अपनी धारणा पर और ऐसे किसी व्यक्ति के अनुरोध पर वह मामला बोर्ड को प्रस्तुत करेगा जिसका निर्णय अंतिम और आबद्धाकर होगा।

9.0 सदस्यता के विषय में विवाद :

यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से नामनिर्देशित या नियुक्त किया गया है या नहीं या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के किसी प्राधिकरण या समिति का सदस्य होने के लिए पात्र है या नहीं, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर निर्णय अंतिम और आबद्धाकर होगा।

10.0 शिकायत निवारण क्रियाविधि :

व्यक्तिगत शिकायतों के लिए, विश्वविद्यालय मानी गई प्रत्येक संस्था में एक शिकायत निवारण क्रियाविधि होगी जैसे कि UGC द्वारा विहित की जाए।

10.0क विशेष उपबंध :

विश्वविद्यालय मानी गई प्रत्येक संस्था में UGC सन्निधियों के अनुसार निम्नलिखित विशेष उपबंध होंगे :-

- (i) रैगिंग निरोध प्रकोष्ठ
- (ii) विभेद निरोध प्रकोष्ठ
- (iii) लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ
- (iv) यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति
- (v) सभी स्थानों में निर्बाध प्रवेश की स्थिति

10.0ख UGC के सन्निधियों के अनुसार, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को विकल्प आधारित आकलन प्रणाली (चोइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) के अंतर्गत अन्य संस्थाओं से अर्जित आकलन (क्रेडिट्स) पाने की अनुमति होगी।

10.0ग विश्वविद्यालय मानी गई संस्था, ज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक तीन वर्ष पर पाठ्यक्रमों का आशोधन करेगी।

10.0घ विश्वविद्यालय मानी गई संस्था, UGC/भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी/अधिसूचित नियमों, विनियमों, सन्निधियों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, निदेशों आदि का पालन करेगी।

10.0ङ आयोग, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को किसी विधि या सरकारी नीति के क्रियान्वयन के लिए या किसी विधि या नीति के उल्लंघन के मामले में निदेश जारी कर सकता है।

11.0 त्यागपत्र :

किसी प्राधिकरण का, उसके पदेन सदस्य से इतर, कोई सदस्य रजिस्ट्रार को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है और वह त्यागपत्र, मामले के अनुसार, कुलाधिपति या प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाते ही प्रभाव में आ जाएगा।

12.0 बैठकों का कार्यकारी अध्यक्ष :

जहां विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के किसी प्राधिकरण या उस प्राधिकरण की किसी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु अध्यक्ष के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया हो, या उसके लिए उपबंध किया गया अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपस्थित सदस्य अपने बीच से एक सदस्य को उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकते हैं।

13.0 कतिपय कार्रवाइयों/निर्णयों का विधिमान्यकरण :

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के किसी प्राधिकरण या किसी निकाय या किसी समिति की कोई कार्रवाई या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति है।

14.0 निरर्हता :

(क) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने के लिए उस रूप में चुने जाने के लिए निरर्ह होगा :

- i) यदि विकृत चित्त का/की है
- ii) यदि वह अनुन्मोषित दिवालिया है
- iii) यदि उसे नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है
- iv) यदि उसे UGC विनियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया है

(ख) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति किसी उपर्युक्त निरर्हता के अधीन है या रहा है या नहीं, तो यह प्रश्न निर्णय के लिए कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

15.0 आकस्मिक रिक्तियों को भरना :

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के किसी प्राधिकरण या किसी समिति के (पदेन सदस्यों से इतर) सदस्यों में होने वाली आकस्मिक रिक्तियां, जैसे ही उस प्राधिकरण या व्यक्ति के लिए, जिसने उस व्यक्ति को नियुक्त या सहयोजित किया था जिसके स्थान पर रिक्ति हुई है, सुविधाजनक होगा, भर ली जाएंगी, और उस आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति उस प्राधिकरण या समिति का उस अवशिष्ट अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसके स्थान को उसने भरा है सदस्य होता।

16.0 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के शैक्षणिक क्रियाकलाप का पुनर्विलोकन :

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों का, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् या आवश्यक होने पर उससे पहले, आयोग द्वारा नियुक्त समिति के द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा।

17.0 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का आयोग द्वारा निरीक्षण :

i) आयोग, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था, उसके भवनों, उपस्करों, साज-सामानों, प्रयोगशालाओं और उपकरणों, साथ ही ली जा रही परीक्षाओं, किए जा रहे शिक्षण और अन्य कार्यों का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें वह निर्देशित करे, निरीक्षण करवा सकेगा, और यदि आवश्यक हो, तो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के प्रशासन या वित्त से जुड़े किसी मामले के बारे में जांच करा सकेगा।

ii) आयोग, प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को, निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना देगा, और ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय मानी गई संस्था को, वह जैसा आवश्यक समझे, अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा।

iii) जहां, आयोग द्वारा निरीक्षण या जांच कराई गई है, वहां विश्वविद्यालय मानी गई संस्था एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हकदार होगी जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुने जाने का अधिकार होगा।

iv) आयोग ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के विषय में अपनी ऐसी सलाह के साथ, जो वह देना चाहे, कुलपति को संसूचित कर सकेगा, जो उसे प्रबंधन बोर्ड को संसूचित करेगा।

v) प्रबंधन बोर्ड निरीक्षण या जांच के परिणाम और विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के प्रस्तावों के बारे में उक्त संसूचन पर पर्याप्त रूप से विचार करेगा और आयोग को, यदि वह कोई कार्रवाई की जानी प्रस्तावित करता है या उसने कोई कार्रवाई की है, तो उसे संसूचित करेगा।

vi) जहां प्रबंधन बोर्ड युक्तियुक्त समय के अन्दर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करता जो आयोग के लिए संतोषजनक हो, तो आयोग, प्रबंधन बोर्ड द्वारा इसके लिए दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर समुचित विचार करने के उपरांत ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे, और प्रबंधन बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा

18.0 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की आय और संपत्ति का इसके उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल होना :

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की आय और संपत्तिकमात्र उस विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के उद्देश्यों के संवर्धन के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी।

19.0 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की आय और संपत्ति के, लाभ के रूप में, भुगतान और अंतरण पर पाबंदी :

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की आय और संपत्ति का कोई भाग, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उन व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के सदस्य हैं या किसी समय रहे हैं, या उनमें से या उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों को लाभांश, बोनस, या अन्यथा रूप में किसी भी तरह लाभ के रूप में प्रदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, परन्तु इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उसके किसी सदस्य को या किसी अन्य व्यक्ति को विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की की गई किसी सेवा के बदले में या यात्रा या अन्य भत्ते के और ऐसे ही अन्य प्रभार के सद्भावपूर्वक किए गए भुगतान या पारिश्रमिक को निवारित नहीं करेगी।

20.0 निधियां, लेखे, लेखा परीक्षाएं और वार्षिक रिपोर्ट :

i) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के लेखे विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नाम में रखे जाएंगे, और प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी के नाम में नहीं रखे जाएंगे। विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के लेखे प्रबंधन बोर्ड द्वारा अधिकथित रूप में रखे जाएंगे और आयोग द्वारा यदि कोई नियम विहित किए गए हैं तो उनके अनुरूप होंगे। केंद्र या राज्य सरकार या उनके अभिकरणों द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित हो रही संस्थाओं के मामले में, विश्वविद्यालय मानी गई ऐसी संस्थाओं के लेखाओं का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा परीक्षा की जा सकेगी। लेखाओं का आयोग द्वारा भी निरीक्षण किया जा सकेगा।

ii) वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखाओं की विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी।

परन्तु, वित्तीय अनौचित्य या गबन या विश्वविद्यालय/प्रबंध सोसाइटी के लेखाओं से निधियों के अवैध अपयोजन या विनियमों के उपबंध के विरुद्ध वसूल की जा रही फीस की युक्तियुक्त रूप से विश्वसनीय रिपोर्ट मिलने के मामले में आयोग, आयोग द्वारा चुने गए चार्टर्ड एकाउंटेंट से, अतिरिक्त लेखा परीक्षा कराने के आदेश कर सकेगा और लेखा परीक्षा के आधार पर आगे की कार्रवाई, जो वह ठीक समझे, कर सकेगा।

iii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था द्वारा वार्षिक रिपोर्टें और लेखापरीक्षा रिपोर्टें लेखा-वर्ष के समाप्त हो जाने के नौ मास के अन्दर आयोग को प्रस्तुत की जाएंगी।

21.0 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाके नियम :

आयोग के विनियमों और नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन, प्रबंधन बोर्ड को, इसमें निहित सभी अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के नियम बनाने की शक्ति होगी जो निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध करेंगे:

- i) शिक्षण के विभागों की स्थापना;
- ii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं, और प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रम अधिकथित करना;
- iii) शैक्षणिक अवार्ड (जैसे की डिग्रियां और डिप्लोमाएं) और सम्मान (डिस्टिंक्शन) स्वीकृत करना;
- iv) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था में छात्रों का प्रवेश और उनका इस रूप में नामांकन;
- v) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और परीक्षाओं, डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए प्रभारित फीस;
- vi) परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की नियुक्ति और उनके परिणामों का अनुमोदन और प्रकाशन;
- vii) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का प्रदान किए जाना संस्थापित करना, और उनकी शर्तें विहित करना;
- viii) छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
- ix) कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना;
- x) छात्र निवासों की स्थापना और आवास की परिस्थितियाँ और छात्रों का स्वास्थ्य;
- xi) कर्मचारीवृन्द की सेवा का वर्गीकरण, परिलब्धियां, नियुक्ति की पद्धति और निबंधनों और शर्तों का निर्धारण;
- xii) विद्या परिषद् की ऐसी अन्य शक्तियां, कार्य और कर्तव्य जो अन्यत्र उल्लिखित नहीं हैं;
- xiii) योजना और अनुश्रवण बोर्ड का गठन, शक्तियां और कार्य;
- xiv) पाठ्य बोर्ड की शक्तियां और कार्य;
- xv) शिकायत निवारण क्रियाविधि की संरचना, शक्तियां और कार्य;
- xvi) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के अन्य अधिकारियों के रूप में विहित करना;
- xvii) कुलपति की ऐसी अन्य शक्तियां और कार्य जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं;
- xviii) रजिस्ट्रार की सेवा की परिलब्धियां, निबंधन और शर्तें;
- xix) वित्त अधिकारी की सेवा की परिलब्धियां, निबंधन और शर्तें;

- xx) पदधारियों, शिक्षकों, और अन्य कर्मचारियों की पेंशन, भविष्य निधि, बीमा, आदि का गठन;
- xxi) विशेष केन्द्रों की स्थापना;
- xxii) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के कार्य के लिए आवश्यक मानी गई किसी समिति या निकाय का सृजन, संरचना और कार्य;
- xxiii) बजट प्राक्कलन तैयार करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया;
- xxiv) किसी प्राधिकरण या समिति की बैठक बुलाने की प्रक्रिया;
- xxv) किसी प्राधिकरण या किसी समिति की किसी बैठक में पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को अधिकथित करना;
- xxvi) विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के प्राधिकरण के रूप में किसी अन्य निकाय का गठन;
- xxvii) किसी प्राधिकारी या अधिकारी को शक्तियों का प्रत्यायोजन;
- xxviii) अन्य सभी मामले इन विनियमों या नियमों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं किन्तु आवास की परिस्थिति, स्वास्थ्य, अनुशासन, प्रवेश, छात्रों का नामांकन, परिस्थितियाँ, नियुक्तियों की पद्धति, परीक्षकों के कर्तव्य, परीक्षाओं का संचालन और उनका मानक या किसी पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कोई नियम विद्या परिषद् से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे।

22.0 निर्वचन खंड :

आयोग के विनियमों या नियमों के निर्वचन की बाबत कोई मत-विरोध होने की स्थिति में आयोग की राय अंतिम होगी।

23.0 विधिक कार्यवाहियां :

- i) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 6 के प्रयोजन के लिए, वह व्यक्ति, जिसके नाम में विश्वविद्यालय मानी गई संस्था वाद ला सकती है, या वाद में लाई जा सकती है, रजिस्ट्रार होगा।
- ii) केंद्र सरकार या आयोग या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के किसी पदधारी या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के प्राधिकरण के किसी सदस्य के विरुद्ध, इनमें से किन्हीं विनियमों के अनुसरण में जो कुछ किया गया हो या करने के लिए तात्पर्यित हो या आशयित हो, उसके बारे में कोई वाद या विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

24.0 विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के कार्य को शासित करने वाले नियमों में परिवर्तन, संशोधन और परिवर्धन :

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के कार्य को शासित करने वाले किसी नियम या उपविधि में प्रबंधन बोर्ड द्वारा या ऐसे अन्य सक्षम निकाय द्वारा, ऐसा प्रभाव डालने वाला परिवर्तन, संशोधन और परिवर्धन, जो इन विनियमों के उपबंधों के विरोध में हो या इनका अपाय करता हो, नहीं किया जा सकेगा; और नियमों और उप-विधियों में कोई परिवर्तन, संशोधन और परिवर्धन, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या तत्समय प्रवृत्त सुसंगत लोक न्यास अधिनियम (पब्लिक ट्रस्ट एक्ट) या कंपनी अधिनियम के उपबंध के अनुसार आयोग के अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं किया जाएगा।

प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./166 (113)]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2016

**UGC [INSTITUTIONS DEEMED TO BE UNIVERSITIES] REGULATIONS, 2016.—
F. No. 1-3/2016(CPPPI/DU) PREAMBLE.—**

To regulate, in an orderly manner, the process of declaration of institutions as deemed to be universities; preventing institutions of dubious quality from being so declared; and, further to maintain quality of higher education imparted by institutions deemed to be universities consistent with the ideals of the concept of a university; the University Grants Commission, in exercise of powers conferred under clauses [f] & [g] of sub-section [1] of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, hereby, makes the following Regulations namely:-

1.0 SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT

- 1.1 These Regulations may be called the UGC [Institutions Deemed to be Universities] Regulations, 2016.
 1.2 These Regulations shall apply to every institution seeking declaration as an institution deemed to be university under the Act as also, albeit prospectively, to an institution which has been declared as an institution deemed to be university under Section 3 of the UGC Act, 1956.
 1.3 They shall come into force with effect from the date of their notification in the Official Gazette.
 1.4 These Regulations shall replace the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 and its subsequent amendments.

2.0 DEFINITIONS

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- 2.01 “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 [Act 3 of 1956].
 2.02 “Campus” means Campus of the institution deemed to be university at its headquarters, wherein its major facilities, faculty, staff, students and its Academic Departments are located in a city /town /village in India. ‘Off-Campus centre’ means an approved (by the Central Government) centre of the institution deemed to be university beyond its Campus in the country. Headquarters includes all the campuses situated in the same city/town/village.
 2.03 “Commission” means the University Grants Commission (UGC) constituted under the Act or any other body empowered to regulate an institution deemed to be university under any law for the time being in force.
 2.04 “Committee of Experts” means a Committee appointed by the Commission consisting of academics, researchers or other experts in the relevant fields of knowledge and notified under these Regulations for such purpose as it may specify; and there may be as many Committees of Experts as the Commission may determine for different purposes.
 2.05 “Constituent Institution” means an institution operating under the administrative, academic and financial control of the sponsoring body and declared as such under the Notification.
 2.06 “Constituent Unit” means those units of the Institution which were existing at the time of submission of proposal to be declared as an Institution Deemed to be University.
 2.07 “*De-novo* Institution” means an institution with the focus on teaching and research in unique and ‘emerging areas of knowledge’, so determined by peers of the academic community.
 2.08 “Emerging area of knowledge” in the context of *De-Novo* Institutions means such areas which are considered desirable and useful but not currently taught in the country.
 2.08 “Government” means the Central Government, unless the context so specifies.
 2.10 “Institution” means an institution for higher education engaged in teaching and research at the undergraduate, post-graduate or higher levels.

- 2.11 “Institution deemed to be university” means an institution for higher education so declared, on the recommendation of the Commission, by the Central Government under Section 3 of the Act.
- 2.12 “Necessary Infrastructure” means infrastructure as required under the norms of concerned Statutory Body/Commission.
- 2.13 “Processing Fee” means the charges that have to be paid by the applicant institution to the Commission along with the application for processing such application. This amount shall take into account the expenditure to be incurred by the Commission for processing an application that shall include onsite visits of Expert Committees of the Commission. The Commission shall prescribe the processing fee and revise it from time to time.
- 2.14 “Notification” means a notification issued by the Central Government in the Official Gazette declaring an institution for higher education, as an institution deemed to be university u/s 3 of the Act.
- 2.15 “Sponsoring body” means a body being a charitable or a not-for-profit Society/Trust/Company under Section 8 of Companies Act 2013 making an application for declaring an institution under its administrative, academic and financial control as a deemed to be university.
- 2.16 “Statutory body/authority/council” means a body constituted under any law for the time being in force for determining or maintaining standards of quality in the relevant areas of higher education and bodies known as All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), National Council for Teacher Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), Indian Nursing Council (INC), or any other such regulatory body established under an Act of Parliament, shall be the Statutory bodies for the purposes of these Regulations.

3.0 OBJECTIVES OF AN INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY

The objectives for which an institution is declared by the Government as an institution deemed to be university shall be:

- 3.1 To provide for higher education leading to excellence and innovations in such branches of knowledge as may be deemed fit primarily at post-graduate and research degree levels fully conforming to the concept of university, namely, University Education Report (1948) and the Report of the Committee on Renovation and Rejuvenation of Higher Education in India (2009) and the Report of the Review Committee for Deemed to be Universities (2009).
- 3.2 To engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the higher education system.
- 3.3 To provide for high quality teaching and research and for the advancement of knowledge and its dissemination through various research programmes undertaken in-house by full time faculty/research scholars (PhDs and Post Doctoral) in diverse disciplines.
- 3.4 To enable creation of institutions deemed to be university under the ‘*de novo*’ category devoted to unique and emerging areas of knowledge, not being pursued by conventional or existing institutions - particularly in specific areas of study and research preferably sponsored by the Government of a State/UT or the Central Government regarded as important for strategic needs of the country or for the preservation of our cultural heritage, so determined by a well laid-out process of wide consultation with eminent peers of academic community.

4.0 ELIGIBILITY CRITERIA FOR AN INSTITUTION TO BE DECLARED AS AN INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY

An institution applying to be declared as an institution deemed to be university shall have to meet the following stipulations:-

(a) Eligibility criteria

- 4.1 Has been accredited with highest grade by NAAC and/or by NBA continuously for two cycles and again gets highest grade in the third cycle continuously (five year cycle). In case of NBA, such accreditation should be for all its eligible courses.

OR

Should have the highest NAAC/NBA category at the time of application, and in the immediately previous NAAC/NBA cycle, and should be in top 20 in any specific category or in top 100 of overall ranking of National Institute Ranking Framework (NIRF) ranking at the time of application and in immediately previous two years. In case of NBA, such accreditation should be for all its eligible courses.

- 4.2 Has demonstrated the characteristics of a university through diverse curricular provisions, contribution to teaching; and, verifiable research output.
- 4.3 Has under graduate and atleast five post graduate departments in existence for 3 years with research programmes.
- 4.4 Shall be engaged in research activity, publications and scholarly works and shall have doctoral/post-doctoral research programmes. The faculty in Humanities, Social Sciences, Languages shall have atleast 10 publications and Faculty of Sciences/Medicine/Engineering shall have at least 15 publications per year in refereed journals listed by UGC and having an impact factor.
- 4.5 Shall have adequate number of full-time fully qualified faculty for teaching and research as per UGC/concerned Statutory Council(s) norms.
- 4.6 Shall possess the necessary infrastructure for quality research and seamless access to modern information resources.
- 4.7 Shall have a proven record of securing merit-based extramural research funding from various public/private agencies.
- 4.8 Shall have a record of extension services and societal engagement.
- 4.9 Each constituent unit included in the original proposal shall have continuous accreditation for two cycles with the highest grade offered and also gets valid highest grade for third cycle, either from National Assessment and Accreditation Council (NAAC) and/or all its eligible courses shall be accredited continuously for two cycles (five year each) with the highest grade offered and also gets highest grade in the third cycle, which is currently valid, by National Board of Accreditation (NBA) or an accreditation agency recognized by the Commission from time to time.
- 4.10 Shall undertake not to offer any programme in the distance mode.
- (b) Conditions
- 4.11 The applicant institutions shall be a not-for-profit organization and shall not be engaged in commercialization of higher education.
- 4.12 The applicant institution shall not have violated any of the provisions of any of the statutes/guidelines of UGC/any Statutory Authority in the period of five years preceding the date of submission of the application seeking status of an institution deemed to be university.
- 5.0 **GOVERNANCE SYSTEM FOR AN INSTITUTION TO BE DECLARED AS AN INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY**

An institution to be declared as a deemed to be university shall adhere to the following criteria:

- 5.1 The proposed institution deemed to be university shall be registered as a not-for-profit Society under the Societies Registration Act, 1860 or as a not-for-profit Trust under the Public Trust Act, or as a not-for-profit company under section 8 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the Managing Society/Trust/Company), which shall be owned by a not-for-profit Society registered under the Societies Registration Act, or a not-for-profit Trust registered under the Public Trust Act, or a not-for-profit company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the Sponsoring Society/Trust/Company), or in case of a Government controlled deemed to be university, by the Government:

Provided that the members/trustees/promoters of a Managing Society/Trust/Company of a deemed to be a university, not being a Government Controlled deemed to be university, shall not be directly or indirectly connected with the members/trustees/promoters of the sponsoring Society/Trust/Company.

- 5.2 Among the authorities of the deemed to be universities, there shall be a Chancellor who shall be appointed by the sponsoring Society/Trust/Company and shall be a distinguished public figure.
- 5.3 The Sponsoring body of deemed to be universities may also appoint a person as a Pro Chancellor, whose role would be limited to carrying out the tasks assigned to the Chancellor in these Regulations, when the latter is not available for carrying out the same.
- 5.4 The highest governing body of the deemed to be university shall be a Board of Management to be headed by the Vice Chancellor. This body shall consist of a minimum of ten members and a maximum of fifteen members.
- 5.5 The Board of Management of the institution shall be independent of the sponsoring Society/Trust/Company and managing Society/Trust/Company with full autonomy to perform its academic and administrative responsibilities. The number of representative(s)/nominee(s) of the Sponsoring Society/Trust/Company on the Board of Management shall be limited to a maximum of four.
- 5.6 The Board of Management shall consist of eminent persons capable of contributing to and upholding university ideals and traditions.
- 5.7 There shall be a Board of Management consisting of the following: -
- i) Vice-Chancellor.....Chairperson.
 - ii) Pro Vice-Chancellor (wherever applicable).
 - iii) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority).
 - iv) Three eminent academics as nominated by the Chancellor, who shall have worked at the rank of professor and shall neither be from the Institution or the sponsoring body nor be their relatives.
 - v) A representative of Government (respective Central Government Ministry/respective State Government) who shall be an eminent academic not below the rank of Professor, in case the institutions are controlled and managed by Government or receiving grants more than or equal to 50% of its expenditure (based on average of previous three year account) from the Government directly or through its agencies. In all other Deemed to be Universities, the UGC shall nominate a representative. The UGC will nominate its representative from a panel of names selected through a Search Committee. The Search Committee will be formed as per details & procedure as mentioned in Clause 5.0 of **Annexure I** of these Regulations for selecting the panel of names.
 - vi) Two teachers (from Professors, Associate Professors) by rotation based on seniority
 - vii) One teacher by rotation of the rank of Assistant Professor.
 - viii) Maximum of four nominees of the sponsoring Society/trust/company
 - ix) The Registrar, who shall be the Secretary

The term of membership of the Board of Management and its powers are as shown in **Annexure 1**.

- 5.8 The Vice Chancellor shall be an eminent academic and shall be appointed in the manner laid down under clause 6.2 in **Annexure 2**.
- 5.9 All other authorities of the deemed to be university shall be as described in **Annexure 2**.
- 5.10 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the governance system and management structure of a Government Controlled institution Deemed to be University may be in accordance with the decision of the Central Government or the State Government, as the case may be.

6.0 **ADMISSIONS AND FEES STRUCTURE**

- 6.1 No institution deemed to be university shall, for admission in respect of any course or programme of study conducted in such institution, accept payment towards admission fee and other fees and charges:-
- (a) which is a capitation fee or donation in whatever nomenclature or form;
 - (b) other than such fee or charges for such admission, which has been declared by it in the prospectus for admission against any such seat, and on the website of the institution, Provided if there are any fees prescribed in accordance with the Fee Regulations framed by the Government or by the Commission from time to time, then the fees or other charges for admission shall not exceed the same;

(c) without a proper receipt in writing issued for such payment to the concerned student admitted in such institution.

6.2 (1) No institution deemed to be university shall charge any fee for an admission test other than an amount representing the reasonable cost incurred by it in conducting such test:

Provided further that an institution deemed to be university shall not engage in commercialization of education in any manner whatsoever, and shall provide for equity and access to all deserving students.

(2) In case an admitted student does not join the institution within 7 days of opening of the Institution, the Institution shall refund:

a) In case the student informs of his intention not to join the institution at least 7 days before the start of the academic session, then 100% of the fees collected minus the processing charges, which shall not be more than Rs 10000, or any other amount fixed by UGC. The same shall be refunded within 15 days of receipt of information from the student.

b) In case no such information is given by the student but the Institution is able to fill up the seat so vacated, then 100% of the fees collected minus the processing charges, which shall not be more than Rs 10000, or any other amount fixed by UGC. The same shall be refunded within 15 days of request of refund from the student or the expiry of 30 days after opening of academic session, whichever is later.

c) In case no such information is given by the student and the Institution is not able to fill up the seat even by the end of 30 days after the opening of academic session, then 50% of the fees collected minus the processing charges, which shall not be more than Rs 10000, or any other amount fixed by UGC. The same shall be refunded within 15 days of request of refund from the student or the expiry of 30 days after opening of academic session, whichever is later.

(3) If a student joins the Institution, and then leaves it in mid-session then the entire fees collected shall be forfeited.

6.3 Admission of students to an institution deemed to be university, public or private, shall be made in the following manner :

(i) In case the appropriate statutory authority has specified the process of selection for admission to any course, or programme of study in any institution which includes conducting competitive admission test for ascertaining the competence of any person to pursue such course or programme of study, in that case, no person shall be admitted to such course or programme of study in such institution, except through an admission test conducted by a recognized body or such institution or a group of institutions if such institution or group of institutions have been so authorised by the Central Government or a State Government or any statutory authority.

(ii) In case the process of selection for admission to any course or programme of study in any institution including conducting competitive admission test has not been specified under sub-clause (i), in that case, no person shall be eligible for admission to such course or programme of study in such institution except through inter se merit to be specified in the prospectus of each institution and the inter se merit so arrived at shall be published on the website of the institution, along with the scores attained by all individuals in each of the parameters taken into reckoning for arriving at such inter-se list :
Provided that admission of Non-Resident Indians (NRI)/Persons of Indian Origin (PIO)/Foreign students to institutions deemed to be universities shall be governed by the Guidelines/Regulations framed by the Commission in this behalf from time to time.

6.4 Every institution deemed to be university shall –

- (a) maintain the records of the entire process of selection of candidates, and preserve such records for a minimum period of five years;
- (b) exhibit such records on its website; and
- (c) be liable to produce such record, whenever called upon to do so by any statutory authority or by the Government under any law for the time being in force.

6.5 Every institution deemed to be university shall publish, before expiry of sixty days prior to the date of the commencement of admission to any of its courses or programmes of study, a prospectus containing the

following for the purposes of informing those persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely :-

- (i) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or a programme of study, and the other terms and conditions of such payment;
- (ii) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or programme of study and the time within, and the manner in, which such refund shall be made to the student;
- (iii) the number of seats approved in respect of each course or programme of study for the academic year for which admission is proposed to be made;
- (iv) the conditions of eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or programme of study, where so specified by the institution;
- (v) the educational qualifications specified by the relevant statutory authority/body, or by the institution, where no such qualifying standards have been specified by any statutory authority;
- (vi) the process of admission and selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or programme of study and the amount of fee to be paid for the admission test;
- (vii) details of the teaching faculty, including therein the educational qualifications and teaching experience of every member of its teaching faculty and also indicating therein whether such member is on regular basis or visiting basis;
- (viii) the minimum pay and other emoluments payable for each category of teachers and other employees;
- (ix) the ranking of the Institution under National Institutional Ranking Framework for the last three years (if available)
- (x) information in regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation, library, hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the institution;
- (xi) broad outline of the syllabus specified by the appropriate statutory body or by institution, as the case may be, for every course or programme of study, including the teaching hours, practical sessions and other assignments;
- (xii) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution, and, in particular, such discipline relating to prohibition of ragging of any student or students and the consequences thereof and for violating the provisions of any regulation in this behalf made under the University Grants Commission Act, 1956 or any other law for the time being in force.

Provided that the institution deemed to be university shall publish information referred to in items (i) to (xi) of this clause on its website, and the attention of the prospective students and the general public shall be drawn to such publication on the website through advertisements displayed prominently in the different newspapers and through other media;

Provided further that the institution deemed to be university may publish prospectus in accordance with this clause at any time before the expiry of sixty days specified under this clause.

- 6.6 Every institution deemed to be university shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than reasonable cost of its publication and distribution and no profit be made out of this publication, distribution or sale of prospectus.
- 6.7 No institution deemed to be university shall, directly or indirectly, demand or charge or accept, capitation fee or demand any donation, by way of consideration for admission to any seat or seats in a course or programme of study conducted by it.
- 6.8 No person shall, directly or indirectly, offer or pay capitation fee or give any donation, by way of consideration either in cash or kind or otherwise, for obtaining admission to any seat or seats in a course or programme of study in any institution deemed to be university.
- 6.9 No institution deemed to be university, who has in its possession or custody, of any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a person for the purpose of seeking admission in such institution, shall refuse to return such degree, certificate award or other document

with a view to induce or compel such person to pay any fee or fees in respect of any course or programme of study which such person does not intend to pursue or avail any facility in such institution.

6.10 In case a student, after having admitted to an institution deemed to be university, for pursuing any course or programme of study in such institution, subsequently withdraws from such institution, no institution in that case shall refuse to refund such percentage of fee deposited by such student and within such time as has been mentioned in the prospectus of such institution.

6.11 No institution deemed to be university shall, issue or publish-

- (a) any advertisement for inducing students for taking admission in the institution, claiming to be recognized by the appropriate statutory authority where it is not so recognized; or
- (b) any information, through advertisement or otherwise in respect of its infrastructure or its academic facilities or of its faculty or standard of instruction or academic or research performance, which the institution, or person authorized to issue such advertisement on behalf of the institution knows to be false or not based on facts or to be misleading.

6.12 On being declared an institution deemed to be university, an institution shall admit students to its approved academic programme, under its enrolment, only from the academic session that follows the Notification issued by the Central Government:

Provided that enrolment of students to the institution, for any reason whatsoever, in anticipation of the declaration as an institution deemed to be university or inclusion of the institution under the ambit of an institution deemed to be university, shall render the application invalid:

Provided further that the students already on the rolls of the institution prior to the date of application for declaration as an institution deemed to be university or its inclusion under the ambit of an institution deemed to be university shall continue to be students, for all purposes, of the affiliating university with whom they have already been enrolled, and shall also be awarded degree only by that affiliating university.

7.0 INFRASTRUCTURE AND OTHER FACILITIES

7.1 It shall have the necessary financial and infrastructural viability for administering and maintaining the institution as an institution deemed to be university and the management capable of contributing to the university ideals and traditions and enhancing the quality of teaching, research and extension activities.

7.2 It shall have the following minimum infrastructure and other facilities:

7.2.1 Land and Buildings:-

- i) Administrative Building of at least 1,000 sq. meters.
- ii) Academic Building, including library, lecture theatres and laboratories, of at least 15,000 sq. meters, of which the central library alone being of about 2000 sq. meters.
- iii) Some residential accommodation for teachers, guest house and hostel accommodation for students shall be in existence at the time of applying for declaration as an institution deemed to be university. Hostel accommodation shall be gradually increased to at least 25% of the students within 3 years of existence of institution deemed to be university. The floor area for hostel facilities shall be 10 sq. mts. per student proposed to reside.

Provided that if the Institution is proposed to be set up in metropolitan area/urban area and if the proposed Institution has space constraints, the hostel facilities for students and residential facilities for academic and non-academic staff can be established at a place within 5 km radius from the main campus.

- iv) The minimum requirement for open space shall be 40% of the total area of the Institution.
- v) The minimum area for playground having multi sports facilities shall be 25,000 sq. mts.
- vi) The Institution shall have adequate health care facility within the campus for students, faculties, staff or any other members.
- vii) The Institute shall have barrier free approach and appropriate safety measures (fire fighting, etc.).
- viii) Equipment, Books, Journals and other infrastructural facilities:

Equipment, Books and Journals of the institution shall be commensurate with the size and activities of the institution and shall satisfy the requirements of the Statutory/Regulatory body concerned. The institution shall also have Broadband Connectivity of appropriate level in order to cater to the needs of

- self learning/virtual experiments/hands on techniques as well as provide electronic access to journals, books and other learning materials.
- ix) In case of multi-disciplinary Institution, the aggregate land requirement shall be the sum of the land area prescribed by various Statutory Councils for all courses. In case the institution is engaged in conducting professional programmes of study, the prevailing norms and standards of the respective Statutory Body for building infrastructure shall be applicable, in addition to the above.
- x) The infrastructure requirement shall be evaluated taking into consideration the future expansion proposed in the application along with requirement of land for hostel and allied facilities for the student. The infrastructure requirement shall be ensured before starting new courses/programme/department/school/centre in the existing campus.

7.3 Academic Programmes

7.3.1

- Academic program shall offer sufficient scope for interdisciplinary learning and research
- Delivery of program shall be based on innovative teaching and learning process and evaluation system
- Shall be supported by adequate qualified faculty as per the norms of UGC/concerned Statutory Council(s).

- 7.3.2 It shall have under graduate and at least five postgraduate academic Departments in existence for at least 3 years with every Department having in position a minimum permanent faculty of one Professor, two Associate Professors and four Assistant Professors for general courses and in case of courses in other disciplines such as Engineering & Technology, Medicine, Dental, Nursing, Pharmacy, Physiotherapy etc. the faculty shall be as per the norms and guidelines of the respective Statutory Council having the qualifications and pay scales prescribed by the Commission/respective Statutory Council together with the necessary supporting technical and ministerial staff as per the norms and standards laid down by the respective Statutory body.

Provided that for the first three years after notification as a deemed university, instead of a Professor, the Institution may appoint an Associate Professor or Assistant Professor, keeping the overall number of faculty as a minimum of seven per Department.

- 7.3.3 It shall have counselling facilities for weaker students and for students with different abilities and special teaching learning assistance programmes for such students.

7.4 Financial Viability:

The financial viability of the institution shall be verifiable by the audited statements of accounts of the institution for the previous five years immediately preceding the date of application for declaration as deemed to be university

7.5 Corpus Fund:

- 7.5.1 In the case of Institutions not maintained or financed by the Government, the following Corpus Fund shall be created and maintained permanently in the name of the proposed institution deemed to be university by way of irrevocable Government Securities or other forms approved by the Commission:

- a. For institutions conducting professional programmes, such as Engineering & Technology, Medicine – Rs. 15.00 crore
- b. For institutions conducting programmes, such as Management, Law, Education – Rs.8.00 crore
- c. For institutions conducting other programmes – Rs.7.00 crore
- d. For institutions conducting both professional and other programmes – Rs. 18.00 crore
- e. For institutions under *de novo* category – Rs. 40 crore

- 7.5.2 The Corpus fund shall not be liquidated without prior permission of the Commission

- 7.5.3 The Commission shall have the power to direct any upward revision of the Corpus Fund from time to time. The extent of corpus fund shall be reviewed by the Commission every five years and any upward revision so ordered shall not exceed the rate of inflation (measured through Wholesale Price Index) for that period.

- 7.5.4 The interest accrued on the Corpus Fund may be used only for the purpose of development of the institution deemed to be university.

- 7.5.5 In the event of withdrawal of declaration of 'deemed to be university' status or dissolution of the Managing Society/Trust/Company of the institution deemed to be university, the Corpus Fund shall stand transferred to the Commission for meeting the liabilities, if any :

Provided that in case of a public funded deemed to university, the Corpus Fund shall be transferred to the Central Government or the State Government, as the case may be.

- 7.5.6 The provisions related to corpus fund shall be applicable only to those deemed universities which come into existence after notification of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010. However, in the case of Government Controlled institutions, the commitment of the State/UT or the Central Government to fund them continuously shall be considered as sufficient.

- 7.6 All movable and immovable properties of the institution or institutions that form the integral part of the proposed institution deemed to be university shall remain legally vested in the name of the institution in the manner as recognized under the Transfer of Property Act, 1882 or any other law which may be in force. The land and other assets of the Institution shall be transferred legally by the sponsoring Trust/Society/Company to the institution deemed to be university within one year of the declaration of the Institution as Deemed to be University. The sponsoring Trust/Society/Company shall give an undertaking alongwith the application to the effect that the land and other assets shall be transferred legally to the Institution Deemed to be University within one year of the notification declaring the Institute as Deemed to be University. However, in case the immovable property has been acquired by the institution by way of lease, the lease shall be perpetual in nature and initially for at least 30 years which shall be extended further.

Provided that if such transfer of property does not take place within the one year period then the provisional status of deemed university shall be withdrawn by the Government.

- 7.7 The income and property of the institution, howsoever derived, shall be utilized only for the promotion of the objectives of the institution including its growth and development. No portion of the income/property of the institution shall be paid or transferred, directly or indirectly by way of profit, to the persons who were/are members of the institution, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith or remuneration to any member thereof or to any other person in return for any service rendered to the institution or for travelling, halting and other similar charges, and all such expenditure shall be appropriately reflected in the accounts of the institution, maintained for the purpose.

8.0 **PROCEDURE FOR BEING DECLARED AS AN INSTITUTION DEEMED TO BE A UNIVERSITY**

- 8.01 The institution fulfilling the minimum eligibility criteria as laid down in these Regulations for considering proposals for declaration as an institution deemed to be a university may send its application in duplicate in the prescribed Proforma to the Secretary, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India. The application shall also be submitted online on UGC website. Processing fees for each application shall be paid to the Commission by way of a Demand Draft drawn in favour of The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg New Delhi 110002.
- 8.02 It shall submit a certificate as also an undertaking along with its application to the effect that the professional programmes already being conducted by it, if any, have the approval of the relevant Statutory/Regulatory bodies like AICTE, MCI, DCI, NCTE, BCI, INC, etc., along with a duly attested copy of the letter of approval granted to it by such bodies. In addition, each application shall be accompanied by an essentiality certificate from the State Government concerned, wherever necessary.
- 8.03 It shall also submit, along with its application, a certificate from the affiliating university/affiliating universities, as the case may be, to the effect that the students already admitted in the institution or institutions that is/are to become integral part of the proposed institution deemed to be University institution enrolled under the said affiliating university/affiliating universities shall continue to be the students of that university for all purposes under the existing terms and conditions till they complete the relevant academic programmes.
- 8.04 The Ministry of Human Resource Development after preliminary scrutiny of the proposal, may return/reject or forward the application to the Commission for its advice, normally, within 30 days of the receipt of application.
- 8.05 The Commission shall make a preliminary scrutiny of the application submitted by the institution and, if necessary, write to the institution pointing out the lacuna(e), if any, and call, normally within 60 days for receipt of reference from Government, for clarification/additional information/requisite documents. As far as possible, such clarification/additional information/requisite documents shall be asked at the first instance itself and not in a piecemeal manner. If information is not received as asked for, then UGC would be liberty to recommend

rejection of the application without taking further steps laid down in these Regulations. The Commission shall also write to the State/UT Government concerned to elicit the latter's views on the application.

- 8.06 The Commission shall examine the application with the help of an Expert Committee constituted by Chairman UGC from a standing panel of names approved by the Commission. The Committee of Experts shall not include any sitting member of the Commission. The Expert Committee so constituted shall have one member as representative of the concerned Statutory Council(s), who may have the authorization to remit the advice.
- 8.07 The Expert Committee shall, *inter alia*,
- a) scrutinize and examine the application in detail;
 - b) visit the Institution, hold discussions with its major stake holders and make on the spot assessment of its academic viability to function as an institution adhering to the concept and ideals of a university as enunciated in these Regulations;
 - c) ascertain the academic and research excellence based on available records;
 - d) give specific information on matters like performance of students who have graduated, research scholars registered for PhD, sponsored research projects completed and on-going, research publications in indexed journals, faculty having PhD, etc., for the past five years;
 - e) verify its records to ascertain its financial viability; and
 - f) submit a report to the Commission to enable it to advise the Government appropriately, normally within three months of the matter being referred to it.
- 8.07.1 The visit of the Expert Committee to the Institution shall be video recorded and uploaded on the website of the UGC within 24 hours of the visit being completed.
- 8.08 The report of the Expert Committee shall be examined by the Commission along with the views of the State/UT Government, if any, and the Statutory/Regulatory body concerned and thereafter, the Commission shall submit its advice to the Ministry of Human Resource Development for the Ministry's consideration, normally within forty five days of receipt of the report of the Expert Committee. The report of the Statutory body to the Commission shall indicate not merely the fulfilment of minimum requirements for the institution's performance as a college, but shall include its assessment of the achievements of the institution in high standards of education and research as well as its capability to promote innovation and excellence commensurate with the status as a university in contrast to a conventional professional college. The report of the statutory body shall also indicate the minimum necessary requirement for its courses/programmes as issued from time to time.
- 8.09 The advice of the Commission shall state the reasons for advising the Central Government to declare the institution as an institution deemed to be university or otherwise, along with the number and names of institutions to be part of the institution deemed to be university.
- 8.10 The Commission, in its final recommendations to the Central Government, shall apprise the Government regarding submission of necessary documents related to transfer of moveable and immovable assets in the name of the proposed institution deemed to be university and other conditions, if any.
- 8.11 Each State/UT Government shall formulate a transparent policy for giving its views under article 8.05 and shall send their considered comments, in the proforma prescribed by the Commission, within 60 days, to the Commission and the Central Government, with a copy to the institution concerned. In case no such comments are received by the Commission within 60 days of the issue of the letter, it shall be presumed that the State/UT Government have no comments to offer on the application.
- 8.11.1 The State/UT Government recommending the proposal would have to indicate its willingness to safeguard the interest of the students admitted to the proposed deemed to be university in the event it ceases to exist as such, for any reason whatsoever.
- 8.12 Having been satisfied that the institution fulfills all the requirements as laid down in these Regulations the Central Government may, normally within 60 days of receipt of the report of the Commission, issue a notification under Section 3 of the Act, declaring such institution as an institution deemed to be university. This declaration would initially be made for a period of five years. Confirmation of the declaration of the 'deemed to be university' would be based on a review of the institution deemed to be university's compliance and the institution's satisfactory performance with the provisions of these Regulations.

- 8.13 If on the advice of the Commission, the Central Government comes to the conclusion that the institution does not qualify to be declared as a institution deemed to be university, it may inform the institution accordingly stating reasons there for.
- 8.13.1 In case the Government disagrees with the recommendation of the Commission, the Government shall provide reasons in writing and its decision shall be final.
- 8.14 The decision not to declare an institution as an institution deemed to be university shall be considered for review not before one year from the date of the earlier decision only on a specific request for review made by the institution concerned to the Central Government. Institutions may request the Central Government for such a review only after having rectified the deficiencies based on which the Central Government had rejected its earlier application/proposal.
- 8.15 The Central Government may refer the matter to the Commission for the latter's advice.
- 8.16 The Commission shall then initiate the process of review, in the manner prescribed in this Regulation as per articles 8.05 through 8.07 above, for scrutiny and evaluation of the revised application by constituting a new Expert Committee. This Committee shall be at least of the same size as the previous one that had recommended rejection earlier, with no expert member from the previous Committee as its member.
- 8.17 The decision taken on such a 'review' shall not be reconsidered or reviewed further. It is however permissible for the applicant institution to re-apply seeking declaration as an institution deemed to be university after a gap of not less than two years from the date on which the decision of the Government on the 'review' was communicated to the institution concerned.
- 8.18 The Commission shall post information about the status of each application on a monthly basis on its website. Further, the Commission shall submit an annual report to the Central Government giving a progress report on the fulfillment of the conditions stipulated in the notifications issued by the Central Government in this regard.

9.0 **INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY UNDER THE *de novo* CATEGORY**

- 9.1 An institution seeking declaration as an institution deemed to be University under this category shall provide verifiable evidence and validation by leading experts in the field of being devoted to unique and emerging areas of knowledge not being pursued by existing institutions – particularly in specific areas of study and research. Institutions sponsored by the Central/State/UT Government shall be given preference provided they address to the strategic needs of the country, engage in preservation of cultural heritage, so determined by a well laid out process of consultation with the eminent peers of the academic community. Government owned institutions in areas specified under specific Government policy or under budget announcement shall also be given preference. For this purpose, the applicant shall give justification for grant of deemed university status in a specialised area, along with detailed syllabi of the courses and research programmes conducted/to be conducted by it in the emerging areas of knowledge.
- 9.1.1 *De novo* institutions desiring to expand their activities and enter into related/complementary areas shall do so after its declaration as an institution deemed to be university is confirmed by the Government following a review at the end of five years of the institution's existence as an institution deemed to be university. Such institutions shall have to seek prior permission of the Central Government, which shall cause the Commission to subject such institutions to a rigorous peer review before according such permission.
- 9.1.2 *De-novo* Institutions shall be exempted from the eligibility criteria as stipulated under Clauses 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 4.7, 4.8 and 4.9 of these Regulations.
- Provided that the Institution should include in their perspective plan the time frame for achieving the parameters mentioned in Clauses 4.1 to 4.9, which shall be put on the website of the institution.
- Provided further that the Institution should be satisfying the parameters under Clauses 4.3, 4.5 and 4.6 on the day of notification declaring it as deemed university.
- 9.1.3 Applicant Institution under de-novo category shall submit a perspective plan/Strategic vision for 15 years and an Action Plan and implementation Plan for next five years. The application shall also be submitted online on UGC website.

9.2 On receipt of an application from an institution seeking declaration as an institution deemed to be university under the *de novo* category, the Government shall reject/return or forward the same to the Commission normally within 30 days for advice. On receipt of such reference, the Commission shall follow the procedures laid down in Clause 8 of the Regulations. However, before proceeding to the stage of the process as laid down in Clause 8, the Commission shall examine the application with the help of an Expert Committee with members in the relevant discipline, who shall be nominated by the Chairman, UGC. The Committee shall also include a representative from the relevant Statutory Council, if required. The applicant institution shall also make a presentation before the Expert Committee. The Committee shall make a recommendation whether or not it is an institution in emerging areas of knowledge and whether or not the institution can be considered under the *de-novo* category before deciding on a visit to the institution by another Expert Committee of the Commission to be constituted by the Chairman, UGC. The Commission shall examine the recommendations of the Committee and send its advice to Government, normally within 45 days, of the report of the Committee.

9.3 On receipt of advice, the Central Government may follow the procedure in Clause 8 and, after being satisfied that the institution fulfills the requirements as laid down in these Regulations, may issue a notification, normally within 60 days of receipt of the report of the Commission, declaring the institution provisionally as an institution deemed to be university under the *de novo* category.

The fact that the Institution has a provisional status should be mentioned by the Institution on its website, as well by the Commission on its website, and its admission prospectus.

9.4 The Central Government may, on the advice of the Commission, confirm the declaration of an institution deemed to be university made under the *de novo* category, by way of a notification, after completion of five years of the institution as such. The Commission shall render its advice for this purpose on the basis of performance reports of Expert Committee(s) appointed by the Chairman of the Commission from the panel of names approved by the commission to review the institution concerned twice, once at the end of two years and, again, before the end of five years. If the Central Government comes to the conclusion that the institution does not qualify to be declared as an institution deemed to be university, it may inform such institution accordingly stating reasons there for.

9.5 **Procedure for declaration of a new (yet to be established) Institution as Deemed to be University under de-novo category:-**

9.5.1 The applicant shall submit the application in the form of a Detailed Project Report (DPR)/Action Plan/Strategic Vision Plan and Implementation Plan the Ministry of Human Resource Development along with the prescribed processing fee. The application shall also be submitted online on UGC website.

9.5.2 The Ministry of Human Resource Development shall, normally within 30 days of the receipt of application, either reject or return the application to the applicant or forward the Detailed Project Report (DPR)/Action Plan/Strategic Vision Plan and Implementation Plan to the UGC for advice on feasibility of the proposal.

9.5.3 The Commission shall examine the application with the help of an Expert Committee with members in the relevant discipline, who shall be nominated by the Chairman, UGC. The Committee shall also include a representative from the relevant Statutory Council, if required. The applicant institution shall also make a presentation before the Expert Committee. The Committee shall make a recommendation, normally within two months of the matter being referred to it, whether or not it is an institution in emerging areas of knowledge and whether or not the institution can be considered under the *de-novo* category for issue of Letter of Intent (LoI).

9.5.4 Simultaneously, the UGC would address to the State Government, where the Institute is proposed to be located, asking for its no objection.

9.5.5 The Commission shall submit, normally within 30 days of receipt, the report of the UGC Expert Committee alongwith its advice on the proposal to the Ministry of Human Resource Development.

9.5.6 The Ministry of Human Resource Development shall issue, normally within 60 days of receipt of advice of the Commission, a Letter of Intent (LoI), or otherwise.

9.5.7 The applicant Society/Trust/Company will set up the Institution and indicate its readiness for commencing academic operations, as per the plan within 3 years of issue of the LoI.

9.5.8 Once the indication for readiness for commencing academic operations is received in the Ministry of Human Resource Development, the Ministry shall ask, normally within 30 days of receipt of such indication, the Commission to submit its advice after following the procedure elaborated in these Regulations.

9.5.9 The Ministry of Human Resource Development shall take the final decision on the proposal as per the provisions of these Regulations.

9.5.10 In case of an existing institution apply for Deemed to be University status under *de-novo* category but not having the infrastructure required under these Regulations, such institution may apply to the Ministry of Human Resource Development as per the procedure at Regulations 9.5.1 to 9.5.8.

10.0 FUNDING

Institutions which are declared as institutions deemed to be universities shall continue to receive the funds for their maintenance and developmental expenditure, including the salary and non-salary increases in expenditure and the future expansion, from the same funding sources which have been funding them prior to such declaration. Such Institutions may also supplement their finances. However, Government as per its policy can withdraw the funds being given.

11.0 MAINTENANCE OF STANDARDS

11.1 An institution deemed to be university shall maintain standards, higher than the minimum, of instruction, academic and physical infrastructure, qualifications of teachers, etc. as prescribed for college level institutions by the Commission or by the Statutory/Regulatory body concerned, such as All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), National Council for Teachers Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), Indian Nursing Council (INC), etc. and shall obtain their approval for running various programmes of study, wherever applicable. This shall be periodically monitored by the duly constituted Committee (s) of the Commission.

11.2 There shall be a mandatory intensive external review of every deemed to be university once in every five years based on the criteria prescribed by the Commission from time to time.

Provided that if an institution has been in the highest NAAC/NBA (for all eligible courses) grade for two continuous cycles, the review can be done by the Institution itself through external peer review mechanism.

11.3 The Institution shall give a regulatory compliance certificate every year in the format prescribed by UGC every year, which shall also be displayed on the subject to approval of the Government.

11.4 In case there have been found to be persistent or serious complaints being received against an institution, the UGC can order an inquiry against the institution, after taking approval of the Government, and take further action based on the result of the inquiry.

Provided that Government also can suo moto ask UGC to initiate an inquiry in such cases of malfeasance, cheating, serious student/staff/faculty complaints, etc.

11.5 The Institution shall provide to the Government, or to the agencies designated by it, all required details regarding the Institution for the All India Survey of Higher Education or for posting of specified details on the Know Your College Portal of the Government or for any other study approved by the Government.

11.6 The Institution shall participate in the National Institutional Ranking Framework every year and publish the same on its website prominently.

11.7 The Institution shall ensure that degrees/diplomas/certificates/awards are given to the passing out students within 180 days of completion of their academic programme.

12.0 NEW COURSES/PROGRAMMES/, DEPARTMENTS/SCHOOL/CENTRE, OFF-CAMPUS CENTRES AND OFF-SHORE CAMPUSES

12.01 An institution deemed to be university shall normally operate within its own main Campus as is declared by the Central Government in the notification and conduct approved programmes of study falling within the area of its specialization.

12.02 If an institution deemed to be university, accredited by NAAC with highest grade or all eligible courses accredited with the highest grade of NBA, wishes to start new Course/Programme/Department/School/Centre in its existing campus/off-campus in areas and disciplines that form a part of its existing academic framework, it may do so in such allied fields. The new course/programme/Department/School shall be started after the approval of the respective authorities of the Deemed to be University and the concerned Statutory Council(s), wherever required, and after creating all the necessary infrastructure and other facilities as per the norms of concerned statutory council(s). Institution Deemed to be University shall inform the Commission about starting of a new course/programme/department/school/centre in its existing campus/off-campus within one month of

the grant of approval by the competent authorities of the Deemed to be University and concerned Statutory Council(s).

In all other cases, prior approval of Commission shall be required to start/establish a new course/programme/Department /school/centre, which shall be given within 60 days of the application made to it.

12.03 An institution deemed to be university may be allowed to operate beyond its approved geographical boundaries and start Off-Campus(es)/off-shore campus(es) under the following conditions:

12.03.1 It has been in existence as an institution deemed to be university for a minimum period of five years;

12.03.2 It has been conducting post-graduate programmes and research;

12.03.3 It has earned a reputation for excellent and innovative teaching, which, inter alia, includes practicing academic and examination reforms like introducing modular structure, continuous internal evaluation, etc. and for meaningful and purposeful research and extension activities;

12.03.4 It has a good track record of conforming to the relevant Regulations/norms of the Commission and other Statutory/Regulatory bodies regarding minimum standards of instruction, qualification of faculty, merit-based admission of students on an all India basis and reasonable fee structure;

12.03.5 It has obtained prior approval of the Statutory/Regulatory body to start the new course/department/programme/school/centre, wherever applicable, and undertakes to comply with all the requirements of the said body;

Provided if the Statutory/Regulatory body requires a No Objection Certificate from the Commission before giving its approval, the same shall be given by the Commission within 30 days of receipt of such request.

12.03.6 It has a currently valid accreditation from National Accreditation and Assessment Council (NAAC) with the highest grade offered;

12.03.7 It has adequate financial resources for starting the proposed off-Campus Centre/off-shore campus;

12.03.8 It has not entered into any franchise agreement, either overtly or covertly, with any other organization for establishing and running the off-Campus Centre/off-shore Campus of the institution deemed to be university;

12.03.9 Land, Infrastructure, faculty and other facilities at the off-campus centre(s) shall satisfy the requirements of the Statutory/Regulatory Council(s) concerned. The following shall be the minimum requirement in the off-campus centre:-

- i) Administrative Building of at least 500 sq. meters.
- ii) Academic Building, including library, lecture theatres and laboratories, of at least 5,000 sq. meters.
- iii) Some residential accommodation for teachers and hostel accommodations for students. The floor area for hostel facilities shall be 10 sq. meters per student proposed to reside.
- iv) Other central facilities including sports facilities for faculty, students and non-teaching staff.
- v) The Institute shall have barrier free approach and appropriate safety measures (fire fighting, etc.).
- vi) The Institution shall have adequate health care facility within the campus for students, faculties, staff or any other members.
- vii) The infrastructure requirement shall be evaluated taking into consideration the future expansion proposed in the application along with requirement of land for hostel and allied facilities for the student. The infrastructure requirement shall be ensure before starting new courses/programme/department/school/centre in the off-campus.

The assets shall be legally registered in the name of the Institution Deemed to be University. However, in case the immovable property has been acquired by the Deemed to be University by way of lease, the lease shall be perpetual in nature and initially for at least 30 years which shall be extended further;

12.03A An institution deemed to be university shall be allowed to open an off-campus not before five years of getting a deemed university status and shall be allowed to create not more than two off-campus in any period of five years beyond its approved geographical boundaries.

Provided that the above restriction with regard to the number of off-campus in a period of five years shall not apply to the Institutions Deemed to be Universities that are established and managed by the Government.

Provided further that approval for next set of off-campus would be given only if the Institution Deemed to be University and the off-campus approved earlier also have valid highest grade of accreditation from NAAC/NBA (all eligible courses).

Provided further that those units which were notified by the Government as Constituent Units at the time of first notification shall not be treated as off-campus. Campuses (whether off-campus or other) in the same city/town/village shall be treated as one off-campus/campus.

- 12.04 An off-Campus Centre campus shall be established by an institution deemed to be university with the prior approval of the Central Government, on the recommendation of the Commission. The Central Government shall also consider the views of the State/UT Government concerned where the off-Campus Centre is proposed to be established.
- 12.05 An off-shore Campus of an institution deemed to be university shall be established with the prior permission of the Central Government, on the recommendation of the Commission:
 Provided that such off-shore campus shall be proposed only five years after the Institution has attained a deemed University status.
 Provided that there is No Objection from the Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs.
 Provided that the country, where such off-shore Campus is proposed to be established, requires grant of approval by it for such establishment, then the application to the Central Government for permission shall be made along with the approval granted by that country:
 Provided further that if the country where such off-shore Campus is proposed to be established requires prior concurrence of the Government of India for the approval, referred to the above *proviso*, of that country to be granted, then the Central Government, on the recommendation of the UGC, may give a 'No Objection' to the proposal but such 'No Objection' shall not be construed as permission of the Central Government to the institution deemed to be university to establish an off-shore Campus. Such an institution deemed to be university shall also submit an undertaking that it shall comply with all laws, norms or standards prescribed by that country where the off-shore Campus is proposed to be established.
 Provided further that the Institution Deemed to be University shall maintain the standards at the off-shore campus as similar to that at its main campus.
- 12.06.1 An institution deemed to be university intending to start a new off-Campus Centre/off-shore campus and, if it has already created infrastructure and other facilities including appointment of faculty, then, it shall apply to the Government in the prescribed proforma, in duplicate, at least six months prior to the proposed date of starting the Centre in hard copies as well as online on the UGC website. The Government after preliminary scrutiny of application shall, within 60 days of receipt, reject/return or forward the proposal to the Commission for its advice.
- 12.06.2 In case, the institution proposes to establish an off-campus and has not yet created its infrastructure, then it should submit a detailed proposal (in duplicate) including details of proposed infrastructure, funds, land, financial viability, etc. to the Government in hard copies as well as online on the UGC website. The Government would, after preliminary scrutiny of the application, shall, within 60 days of receipt, reject/return or forward the proposal to the Commission for its advice.
- 12.07.1 In case of application made under Clause 12.06.1, the Commission shall undertake a spot visit /verification of the proposed off-Campus(es) to verify the infrastructure facilities, programmes, faculty, financial viability, etc. before sending its advice to the Central Government. The Commission should follow the procedure laid down in Clause 8.05, 8.06, 8.07, 8.07.1, 8.08, 8.09 and 8.10.
- 12.07.2 In case of application made under Clause 12.06.2, the Commission shall follow the procedure given in 9.5.3 to 9.5.5 and MHRD shall issue LOI, or otherwise. On getting of LOI, the procedure as mentioned in 9.5.7 to 9.5.9 shall be followed.
- 12.08 In case such permission is not granted, the institution deemed to be university may re-apply for such permission, but not before two years from the date of rejection of its earlier application.
- 12.09 The off-Campus Centre/off-shore campus shall be directly administered by the parent institution deemed to be university in all the academic, administrative and financial matters.

- 12.10 The new Department/off-Campus Centre/off-shore campus shall offer only those programmes of study which are approved by the appropriate authorities of the institution deemed to be university and the statutory/regulatory body concerned such as All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), Pharmacy Council of India (PCI), National Council for Teachers Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), Indian Nursing Council (INC), etc. wherever applicable. In case of any new or existing institution of higher learning proposed to be brought under the ambit as a constituent institution of any existing institution deemed to be university, only those students who were admitted in such institutions on a date subsequent to the date of notification of the declaration under Section 3 of the UGC Act 1956 in regard to bringing the institution under the ambit of the existing institution deemed to be university, shall be eligible for being examined by the institution deemed to be university and therefore, for the award of degree or any other qualification by the institution deemed to be university on successful completion of their respective courses or programmes of study.
- 12.11 The over-all performance of an off-Campus Centre Campus/off-shore campus shall be monitored by the Commission biennially for six years and subsequently after five years and whose directions on management, academic development and improvement shall be binding on the Campus.
- 12.12 In the case of an off-shore Campus, the remittances of funds from/to the main Campus shall be governed by the Reserve Bank of India rules.
- 12.13 If the functioning of the Campus/off-Campus Centre of an institution deemed to be university does not meet the standards stipulated by the Commission and remains unsatisfactory for two consecutive reviews, as assessed by the Commission, the institution deemed to be university may be instructed by the Central Government, on the advice of the Commission, to close down the off-Campus Centre/Campus concerned. The Commission may initiate action against erring institutions deemed to be universities even on the basis of complaints received against such Centres/Campuses. In the interest of the students, the Commission may allow the Centre/Campus to function till the last batch of students enrolled therein, as on the date of such instruction, passes out. The institution deemed to be university shall take appropriate steps to safeguard the interests of the faculty/staff at the Centre/Campus. In the event of closure of the Centre/Campus, the assets and liabilities thereof shall revert to the institution deemed to be university.
- 12.14 The Ministry of Human Resource Development may give an 'in-principle No Objection' to the institution deemed to be university for establishing an off-Campus Centre/off-shore campus, wherever required by the Statutory Councils. The Institution deemed to be university shall apply to the Ministry of Human Resource Development for the 'in-principle No Objection'. The Ministry shall forward, normally within thirty days of receipt, the request to the Commission for its advice. The Commission, after satisfying itself about the viability of the proposal, shall forward, normally within 60 days of receipt of Ministry's letter, its advice to the Ministry of Human Resource Development for issuance of 'in-principle No Objection'. Such 'No Objection' shall not be construed as permission of the Ministry of Human Resource Development to the institution deemed to be university to establish an off-Campus Centre/off-shore campus. In all such cases, formal proposal(s) shall be examined by the Commission under these Regulations. The institution deemed to be universities shall not admit student(s) to its course(s) in such off-Campus Centre(s)/off-shore campus before the permission is granted by the Ministry of Human Resource Development to such proposal(s).
- 12.15 The Institution Deemed to be University shall mention the name with location of campus/off campus /constituent unit/Constituent institution on degree/diploma/certificate/any other award given to the student.
- 13.0 **INCLUSION OF OTHER INSTITUTIONS UNDER THE AMBIT OF INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY**
- 13.01 An institution deemed to be university may apply, in the proforma prescribed by the Commission, for inclusion of institutions existing under the same management as its constituent institution after confirmation of its declaration as an institution deemed to be university, as mentioned under article 8.12. The application shall also be submitted online on UGC website.
- 13.02 All institutions deemed to be universities shall necessarily comply with the conditions that the Commission may insist upon in this regard from time to time, to prevent franchising of education.
- 13.03 If an institution existing under the same management is affiliated to a university, it shall be included in the ambit of the institution deemed to be university only on its disaffiliation from the affiliating university. The affiliating university shall also give its consent to the effect that the students of that particular institution(s) who have already been enrolled under it, shall continue to pursue their courses under its affiliation for all purposes and that

it shall also award degrees to these students upon successful completion of the courses they are presently pursuing at such institution(s).

- 13.04 Such institution shall have accreditation with the highest grade offered, which is currently valid, either from National Assessment and Accreditation Council (NAAC) or all its eligible courses shall be accredited with the highest grade offered, which is currently valid, by National Board of Accreditation (NBA) or an accreditation agency recognized by the Commission from time to time.
- 13.05 An institution deemed to be university intending to bring an institution within its ambit as its constituent institution shall submit a proposal, in duplicate, in the proforma prescribed by the Commission, to the Secretary, Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) Government of India, subject to the said institution fulfilling the eligibility criteria and other relevant conditions stipulated under these Regulations. The application shall also be submitted online on UGC website.
- 13.06 The Ministry of Human Resource Development, Government of India shall return/reject or refer the proposal to the Commission for advice normally within 30 days of receipt of the proposal.
- 13.07 The Commission shall then adopt the procedure described under articles 8.05 to 8 .07 to examine the proposal so received by it.
- 13.08 The Commission shall verify all the relevant factors and aspects through its Expert Committee before making a suitable recommendation to the Ministry of Human Resource Development, Government of India.
- 13.09 The inspection report as well as the recommendation of the Expert Committee along with the opinion/comments of the Statutory/Regulatory body concerned and the views, if any, of the State Government concerned shall be examined by the Commission as per procedure before making recommendation to the Ministry of Human Resource Development, Government of India.
- 13.10 If rejected, the Central Government shall inform the institution, accordingly.
- 13.11 After taking the relevant steps of the procedure prescribed in article 8, the Central Government shall notify the inclusion of the institution under the ambit of the institution deemed to be university on being satisfied that institution deemed to be university has:
- a) earned a reputation for excellent and innovative teaching, for meaningful and purposeful research, for practicing academic and examination reforms like modular structure, continuous internal evaluation, etc. and for extension activities; and
 - b) a good track record of conforming to the relevant Regulations/norms of the Commission and the Statutory/Regulatory body concerned regarding minimum standards of instruction, qualifications of teachers, merit-based admission of students on an all India basis and reasonable fee structure.
- 13.12 On an institution coming under the ambit of the institution deemed to be university, the institution deemed to be university shall award degrees only to the students enrolled in the institution after the institution concerned disaffiliates itself from the affiliating university. The students enrolled in such an institution prior to its inclusion under the ambit of the institution deemed to be university, shall, receive their degrees from the university to which the institution was affiliated at the time of their enrolment.
- 13.13 Once an institution comes under the ambit of an institution deemed to be university, it shall be at par with an off-Campus of the institution deemed to be university, and all articles of these Regulations relating to off-Campus Centres of institutions deemed to be universities shall be applicable to it.
- Provided that if the institution under the ambit is located in the city where the headquarters of the Institution Deemed to be University is located, the institution would be treated as part of the main campus. If it is located in some other city/town/village, it would be treated as an off-campus centre.
- 13.14 The entire movable and immovable property as well as the existing manpower of the institution and its records (except those pertaining to the students who had already registered till they pass out of the Institution) shall be transferred to the institution deemed to be university before the notification.
- 13.15 If an institution, not being under the same registered Society/Trust/Company, is desirous of coming under the ambit of an institution deemed to be university, it shall apply to the Society/Trust/Company and become a part of the Society/Trust, as per procedure of Societies Registration Act or Trust Act, as the case may be. Thereafter,

the Society/Trust/Company shall follow these Regulations to bring it under the ambit of the institution deemed to be university.

- 13.16 If the application of an institution deemed to be university for bringing an institution under its ambit is rejected for any reason whatsoever, the institution deemed to be university shall be eligible to re-apply, but not before two years from the date of the rejection of its earlier such application.

14.0 **JOINT PROGRAMMES**

- 14.1 An institution deemed to be university may conduct joint academic programme(s) with other Universities/institutions deemed to be universities in India and abroad with the prior approval of the Commission. The proposed joint programme(s) shall conform to the Acts and Rules of the Commission that shall apply to such programmes from time to time.

Provided that no such permission shall be required in case the Institution goes for collaboration with industry or for research purposes.

- 14.2 There shall be sufficient safeguards so as to protect the interests of students enrolled in such programmes.

- 14.3 The joint programmes shall be subjected to mandatory assessment and accreditation.

15.0 **INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY OPEN TO ALL**

- 15.1 Admission and employment in an institution deemed to be university shall be open to all citizens of India regardless of race, religion, caste or creed and the area/place of residence in India.

- 15.2 All policies and procedures, as applicable to the university level institutions of public and privately funded institutions respectively, shall apply to the appropriate category of institutions deemed to be universities.

16.0 **INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY TO BE UNITARY**

Once an institution is declared as “institution deemed to be university”, it shall be Unitary in nature and shall not affiliate any other institution.

17.0 **RESERVATION POLICY**

The institution deemed to be university shall implement the reservation policy in admissions and recruitment, in accordance with any Act of Parliament for the time being in force.

18.0 **DISTANCE EDUCATION**

Institutions Deemed to be Universities declared after the notifications of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 shall not be allowed to offer courses in the open and distance learning mode.

Provided that the Institutions Deemed to be Universities which are already offering programmes through open and distance learning mode, with the approval of UGC, shall be permitted to continue such programmes subject to further approval by the UGC.

19.0 **MEETINGS OF UNIVERSITY AUTHORITIES**

The institution deemed to be university shall conduct meetings of all its authorities/bodies, like Board of Management, Academic Council, etc. at regular intervals as per the Regulations and the minutes of each such meeting shall be displayed in the website of the institution.

20.0 **USE OF THE WORD ‘UNIVERSITY’**

An Institution deemed to be University shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the words “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

21.0 **PROHIBITION OF USE OF CERTAIN WORDS IN NOMENCLATURE**

Educational institutions established and controlled by the Central Government alone may prefix the words, “Indian/National Institute” (either in English or in vernacular) with their respective names.

All other institutions are barred from prefixing the words “Indian/National/International Institute” (either in English or in vernacular) with their respective names.

22.0 CONSEQUENCES OF VIOLATION OF REGULATIONS

22.1 The Central Government/Commission shall have the right to cause an inspection of the institution deemed to be university, its buildings, laboratories, its examinations, teaching and other work conducted or done by the institution deemed to be university, and to cause an enquiry to be made, if considered necessary by the Central Government/UGC, in respect of any matter of the institution deemed to be university.

22.2 After conducting an inspection of the institution deemed to be university by the Commission on its own or on the basis of any other authentic information or report received from any other reliable source(s) and after considering the explanation submitted by the institution deemed to be university, if the Commission is satisfied that the institution deemed to be university has violated any of the provisions of these Regulations or any directives issued by the Commission, the Commission may direct the concerned institution deemed to be university not to admit new students for the period to be decided by the Commission or reduce the number of students to be admitted for the period to be decided by the Commission and in case of deliberate continuous violation of these Regulations, may advise the Central Government for withdrawal of the declaration notifying the institution as an institution deemed to be university. In the event of such withdrawal of the declaration, the transfer of the entire movable and immovable properties of the institution deemed to be university shall be governed by the Society/Trust /Company Act under which the Institution Deemed to be University is registered. For first violation, the withdrawal may be restricted to one academic session which can be extended up to five academic sessions for repeated violations. However, for serious and deliberate violation, the status of deemed to be university shall be withdrawn permanently.

Provided that in case of a withdrawal of declaration notifying the institution as a deemed to be university of a public funded deemed to be university, the entire movable and immovable properties of the institution deemed to be university shall stand transferred to the Central Government/State Government/UT Government, as the case may be.

Provided further that the above provisions are not to the exclusion of the provision of any punishment given under Section 24 of the University Grants Commission, 1956.

If on the winding up or dissolution of the institution deemed to be university there remains, after the satisfaction of all its debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall be governed by the above provisions.

22.3 In the event of the withdrawal of the deemed university status, action shall be simultaneously initiated to protect the interests of the students according to such precedents and practices as applicable or determined for the specific situation.

22.4 If an institution deemed to be university wishes to withdraw itself or its constituents from the status of ‘institution deemed to be university’, it may do so with the prior permission of the Central Government. Such withdrawal shall take effect only after the last batch of students then enrolled, passes out of the institution deemed to be university.

23.0 CONSIDERATION OF OLD PROPOSALS

All proposals (whether seeking declaration as an institution deemed to be university or seeking approval for establishing off-Campus Centres/off-shore Campus(es) or inclusion of other institutions in the ambit of the institution deemed to be university), which are either pending/in process in the Commission or have been received by the Central Government, shall be governed by these Regulations.

Provided if an institution has submitted its proposal to Government before 20th May 2016, and desires so in writing, its application would be processed under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010. However, it would have to give an undertaking to become compliant with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 within two years of the notification, failing which the deemed university status would be withdrawn by the Government and he would have to apply afresh under these Regulations.

Annexure-1**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NEW DELHI**

1. Every institution seeking to be declared as an institution deemed to be university under Section 3 of the UGC Act shall be registered as a Society/Trust/Company in the name and style of the proposed institution deemed to be university.

2. Each such institution shall indicate, unambiguously, the following:

i) Name: The name of the Society/Trust/Company, along with the name of the proposed institution deemed to be university.

ii) Office: The registered office of the Society/Trust/Company; the official address of institution.

iii) Objectives: The objectives of the proposed institution deemed to be university shall be clearly enunciated. The objectives shall be well-defined and well known to the students, teachers and non-teaching staff of the proposed institution deemed to be university.

iv) The objectives as set forth above shall be regarded in law to be charitable in nature.

3. Programmes of the institution deemed to be university:

3.1 In keeping with objectives, the institution shall spell out the following:

(i) The proposed programmes of study and research and facilities to provide for instruction in such branches of study as the institution deems appropriate for the advancement of learning and dissemination of knowledge;

(ii) The nature of Degrees and Diplomas and/or Certificates to persons who have satisfactorily completed the approved programmes of study and/or research and the scheme prescribed for examination and evaluation.

(iii) Details of other academic schemes such as visitor-ship, fellowship, prizes, and medals.

4. Management of the Institution:

4.1 The names, addresses, and occupation of the members of the first Board of Management to whom the management of the institution is entrusted till the various authorities are constituted in accordance with the Rules, shall be furnished at the time of application along with their letter of consent.

4.2 The Board of Management shall be a compact and homogeneous body enabling it to promptly take and implement well considered decisions and to effectively handle crisis situations.

4.3 The Board of Management shall be as per clause 5.7 of the Regulations. The term of membership of the Board of Management and its powers shall be as follows:

4.3.1 All the members of the Board of Management other than the ex-officio members and the members of the teaching staff shall hold office for a term of three years and shall be eligible for reappointment.

4.3.2 Members of teaching staff in the Board of Management shall hold office for a period of 2 years or till such time as they continue to be members of the teaching staff, whichever is earlier.

4.4 Powers of the Board of Management:

The Board of Management shall be the principal organ of Management and principal executive body of the institution deemed to be university and shall have the following powers, namely:

i) To establish, on the advice of the Academic Council, Divisions and Departments for the academic work and functions of the institution deemed to be University and to allocate areas of study, teaching and research to them;

- ii) To create teaching and academic posts, to determine the number, cadres and qualifications thereof as approved by the Commission, and statutory body concerned and the emoluments of such posts in consultation with the Finance Committee;
- iii) To appoint such Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff as may be necessary on the recommendation of the Selection Committee;
- iv) To lay down the duties and conditions of service of the Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other academic staff of the institution deemed to be university in consultation with the Academic Council;
- v) To provide for appointment of Visiting fellows and Visiting Professors;
- vi) To create administrative, ministerial and other necessary posts in terms of the cadres laid down and to make appointment thereof in consultation with the Finance Committee;
- vii) To constitute, for the benefit of the teaching, academic, technical, administrative and other staff, such pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and aid in the establishment and support of Association, Institutions, Funds, Trusts and conveyances calculated to benefit the staff and the students of the Institution deemed to be University;
- viii) To regulate and enforce discipline among the employees of the institution deemed to be university and to take appropriate disciplinary action, wherever necessary;
- ix) To entertain and adjudicate upon and, if thought fit, to redress any grievances of the employees and students of the institution deemed to be university;
- x) To grant leave of absence to the Vice-Chancellor and to make necessary arrangements for carrying on his/her functions during the period of absence;
- xi) To approve the award of Degrees and diplomas based on the results of examinations and tests and to confer, grant or award Degrees, Diplomas, Certificates and other academic titles and distinctions;
- xii) To fix the emoluments and travelling and other allowances of examiners, moderators, tabulators and such other personnel appointed for examinations in consultation with the Academic Council and the Finance Committee;
- xiii) To institute Fellowships, including Travel Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals and Prizes in accordance with the Rules to be framed for the purpose;
- xiv) To advise the Society/Trust/Company (if any) on matters regarding acquisition, management and disposal of any immovable property on behalf of the institution deemed to be university;
- xv) To purchase, take on lease or accept as gift or otherwise any land or buildings or works which may be necessary or convenient for the purpose of the institution deemed to be university, on such terms and conditions as it may deem fit and proper, and to construct or alter and maintain any such building(s) or work(s);
- xvi) To transfer or accept transfers of any movable property on behalf of the institution deemed to be university;

Provided that the Board of Management shall not transfer or alter ownership in any manner whatsoever of any movable or immovable property of the institution deemed to be university without the approval of the sponsoring Society/Trust/Company.

- xvii) To execute in consultation with the Society/Trust/Company (if any) conveyance, transfer Government Securities, re-conveyances, mortgages, leases, bonds, licenses and agreements in respect of property, movable or immovable, belonging to the institution deemed to be university or to be acquired for the purposes of the institution deemed to be university;
- xviii) To issue appeals for funds for carrying out the objectives of the institution deemed to be university and, consistent with the provisions of the objectives, to receive grants, donations, contributions,

- gifts, prizes, scholarship, fees and other moneys, to give grants and donations, to award prizes, scholarships, etc.;
- xix) To raise and borrow in consultation with the Society/Trust/Company (if any) money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based on any of the properties and assets of the institution deemed to be university, or without any securities, upon such terms and conditions as it may think fit and to pay out of the funds of the institution deemed to be university, all expenses incidental to the raising of money and to repay and redeem the money borrowed;
- xx) To draw and accept and make and endorse discount and negotiate Government of India's and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;
- xxi) To maintain a fund to which shall be credited:
- (a) all moneys provided by the Central or State/UT Government(s) /University Grants Commission;
 - (b) all fees and other charges received by the institution deemed to be university;
 - (c) all money received by the institution deemed to be university as grants, gifts, donations, benefactions, bequest or transfers and
 - (d) all money received by the institution deemed to be university in any other manner or from any other source;
- xxii) To open account or accounts of the institution deemed to be university with anyone or more scheduled banks and to lay down the procedure for operating the same;
- xxiii) To deposit all moneys credited to the funds in scheduled banks or to invest them in consultation with the Finance Committee;
- xxiv) To invest the funds of the institution deemed to be university or money entrusted to the institution deemed to be university in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;
- xxv) To maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statements of Accounts, including the balance sheet for every previous financial year, in such form as may be prescribed by the Regulations/Bye-Laws;
- xxvi) To manage, regulate and administer the revenue, the finance, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the institution deemed to be university and for that purpose to appoint such agent or agents as it may deem fit;
- xxvii) To provide building or buildings, premises, furniture, fittings, equipments, appliances and other facilities required for carrying on the work of the institution deemed to be university;
- xxviii) To establish, maintain and manage residencies for faculty and staff and hostels for the students of the institution deemed to be university;
- xxix) To recognize and maintain control and supervision on hostels owned and managed by other agencies for the students of the institution deemed to be university and to rescind such recognition;
- xxx) To appoint such committees for such purpose and with such powers as the Board of Management may think fit and to co-opt such persons on these Committees as it thinks fit;
- xxxi) To appoint in order to execute an instrument or transact any business of the institution deemed to be university, any person as attorney of the institution deemed to be university with such powers as it may deem fit;
- xxxii) To appoint Auditor(s) for the ensuing year;

- xxxiii) To select an emblem and to have a common seal for the institution deemed to be university and to provide for the custody and use of such seal;
- xxxiv) To delegate all or any of its powers to any Committee or sub- Committee constituted by it or the Vice-Chancellor of the institution deemed to be university or any other person;
- xxxv) To conduct all administrative affairs of the institution deemed to be university not otherwise specifically provided for;
- xxxvi) To take all necessary decisions for the smooth and efficient functioning of the institution deemed to be university.

4.5 Meetings of the Board of Management:

- (i) The Board of Management shall meet at least four times a year. Not less than 15 days' notice shall be given of a meeting of the Board of Management. Eight (8) members shall make the quorum for a Board of Management meeting.
- (ii) Every meeting of the Board of Management shall be presided over by its Chairman and in his/her absence, by a member chosen by the members present, from amongst themselves.
- (iii) Each member of the Board of Management, including its Chairman, shall have one vote and decisions at the meetings of the Board shall be taken by simple majority. In case of a tie, the Chairman shall have a casting vote.
- (iv) Any business which it may be necessary for the Board of Management to perform may be carried out by circulating appropriate resolution thereon among its members and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Board.
- (v) A copy of the proceedings of each meeting shall be furnished to the Chancellor of the institution deemed to be university as soon as possible after the meeting.

4.6 Termination of Membership:

If a member other than the Vice-Chancellor, and those representing the teachers, accepts a full time appointment in the Institution deemed to be University or does not attend three consecutive meetings of the Board of Management, without proper leave of absence, he/she shall cease to be a member of the Board of Management.

4.7 Constitution of Standing Committee and Ad-hoc Committee by the Board of Management:

- 4.7.1 Subject to the provision of the Rules of the Institution deemed to be University, the Board of Management may, by a resolution, constitute such Standing Committee or Ad hoc Committee or Committees for such purposes and with such powers as the Board may think fit for discharging any function of the institution deemed to be university or for inquiring into, reporting and advising upon any matter of the Institution deemed to be University.
- 4.7.2 The Board of Management may co-opt such persons on the Standing Committees or Ad-hoc Committees, as it may consider suitable.

4.8 Delegation of Powers of the Board of Management:

The Board of Management may, by a resolution, delegate to the Vice Chancellor or any other officer of the institution deemed to be university of the Standing Committee or the Ad-hoc Committee such of its powers as it may deem fit subject to the condition that the action taken by the Vice Chancellor or the officer concerned or the Standing Committee or the Ad-hoc Committee concerned in the exercise of the powers so delegated shall be reported at the next meeting of the Board of Management.

5. Constitution of Panel:

- (i) For constituting panel of names for nominating a UGC representative in the Board of Management under clause 5.7 and in Finance Committee under clause 3.1 (Annexure-2) of the Regulations, a Search Committee shall be

constituted by the UGC with the prior approval of the Central Government. Such Search Committee shall be formed every two years.

- (ii) The Government while constituting the Search Committee shall lay down the eligibility criteria of qualification, experience, age, etc. separately for member to be in Board of Management and in Finance Committee on the recommendation of UGC.
- (iii) The Search Committee shall select a panel of names equal to two times the number of Institutions in which UGC has to give nominee, separately for Board of Management and Finance Committee. The validity of panel of names shall be for two years but the same can be extended with the approval of Central government, if Search Committee fails to meet in two years.
- (iv) A person cannot be nominated in more than two Committees either in Board of Management or in Finance Committee.
- (v) UGC shall select its representative in Finance Committee or Board of Management from the existing approved panel of names provided that such representative should not be associated with the Deemed to be University concerned in any other Committee(s) or in other capacity such as faculty, administrative post, etc. in the last five years.
- (vi) Panel of names for Board of Management and Finance Committee shall be displayed on the website of Commission along with the details of nomination in the committee.

Annexure- 2

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NEW DELHI

Other Authorities of the institution deemed to be university

The following shall be the other authorities of the institution deemed to be university:

1. Academic Council
2. Planning and Monitoring Board
3. Finance Committee
4. Board of Studies
5. Such other authorities as may be declared by the Rules to be authorities of the institution deemed to be university

1. Academic Council (AC):

1.1 The Academic Council shall be the principal academic body of the institution deemed to be university and shall, subject to the provision of the Rules, have the control over and be responsible for the maintenance of standards of teaching, research and training, approval of syllabus, co-ordination of research activities, examinations and tests within the institution deemed to be university and shall exercise such powers and perform such other duties and functions as may be prescribed or conferred upon it by the Rules of the institution.

1.2 Composition of the Academic Council:

The Academic Council shall consist of the following persons, namely:

1. Vice Chancellor Chairperson
2. Pro Vice-Chancellor (if any)
3. Dean(s) of Faculties
4. Heads of the Departments
5. All Professors other than the Heads of the Departments.
6. Two Associate Professors from the Departments other than the Heads of the Departments by rotation of seniority
7. Two Assistant Professors from the Departments by rotation of seniority
8. Three persons from amongst educationists of repute or persons from any other field related to the activities of the Institution deemed to be University who are not in the service of the Institution deemed to be University, nominated by the Vice-Chancellor
9. Three persons who are not members of the teaching staff, co-opted by the Academic Council for their specialized knowledge
10. The Registrar, who shall be the Secretary of the Academic Council

Note: *The representation of different categories shall be only through rotation and not through election. It may also be ensured that no particular faculty dominates the membership of the Council.*

1.3 Term of Membership:

The term of members other than the *ex-officio* members shall be two years.

1.4 Powers and Functions of the Academic Council:

The Academic Council shall have the following powers and duties, namely

- i. To consider matters of academic interest either on its own initiative or at the instance of the Board of Management or those proposed by the departments/faculties and to take proper action thereon;
- ii. To exercise general supervision over the academic work of the institution deemed to be university and to give direction regarding methods of instruction, evaluation, and improvements in academic standards;
- iii. To promote research within the institution deemed to be university, acquire reports on such researches from time to time;
- iv. To prescribe courses of study leading to degrees and diplomas of the institution deemed to be university;
- v. To make arrangements for the conduct of examinations in conformity with the Bye-Laws;
- vi. To appoint examiners, moderators, tabulators and such other personnel for different examinations;
- vii. To maintain proper standards of the examinations;
- viii. To recognize diplomas and degrees of universities and other Institutions and to determine equivalence with the diplomas and degrees of the institutions deemed to be university;
- ix. To suggest measures for departmental co-ordination;
- x. To make recommendations to the Board of Management on:
 - a) measures for improvement of standards of teaching research and training;
 - b) institution of Fellowships, Travel Fellowships, Scholarships, Medals, Prizes etc.;
 - c) to recommend to the Board of Management, the establishment or abolition of departments/centres; and
 - d) To frame rules covering the academic functioning of the institution deemed to be university, admissions, examinations, award of fellowships and studentships, free-ships, concessions, attendance, discipline, residence etc.
- xi. To appoint sub-committees to advise on such specific matters as may be referred to it by the Board of Management;
- xii. To consider the recommendations of the sub-committees and to take such action as the circumstances of each case may require;
- xiii. To take periodical review of the activities of the Departments/Centres and to take appropriate action with a view to maintaining and improving standards of instruction;
- xiv. To recommend institution of teaching posts (Professors, Associate Professors and Assistant Professors) to the Board of Management; and
- xv. To exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Rules.

1.5 Meeting of the Academic Council:

- i. The Academic Council shall meet as often as may be necessary but not less than three times during an academic year. Not less than 15 days' notice shall be given of a meeting of the Academic Council.
- ii. One third of the total number of members of the Academic Council shall constitute the quorum for the meeting of the Academic Council.
- iii. Each member, including its Chairman, shall have one vote and decisions at the meetings of the Academic Council shall be taken by simple majority. In case of a tie, the Chairman shall have a casting vote.
- iv. Any business which it may be necessary for the Academic Council to perform, except such as may be placed before its meeting, may be carried out by circulation of the resolution among all its members and the resolution so circulated and approved by a simple majority shall be effective and binding as if such resolution had been passed in the meeting of the Academic Council, provided that at least one half of the total number of the members of the Academic Council have recorded their views on the resolution.

2.0 Planning & Monitoring Board:

- 2.1 The Planning & Monitoring Board shall be the principal Planning Body of the institution deemed to be university and shall be responsible for the monitoring of the development programmes of the Institution deemed to be University.
- 2.2 The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Planning & Monitoring Board. The Registrar shall be its Secretary. It may include seven internal members and three outside eminent experts, including one nominee of the UGC.
- 2.3 The constitution, powers and functions of the Planning & Monitoring Board shall be prescribed by the Rules.
- 2.4 The Planning & Monitoring Board would have the right to advise the Board of Management and the Academic Council on any matter which it considers necessary for the fulfilment of the objectives of the institutions deemed to be university.
- 2.5 The recommendations of the Planning & Monitoring Board shall be placed before the Board of Management for consideration and approval. Proposals relating to the academic matters may be processed through the Academic Council.

3.0 Finance Committee (FC)

3.1 Composition of the Finance Committee:

The Finance Committee shall consist of the following members:

1. Vice Chancellor – Chairperson.
2. Pro Vice-Chancellor.
3. A person nominated by the Society/Trust/Company.
4. Two nominees of the Board of Management, one of whom shall be a member of the Board.
5. A representative of Central Government (respective Ministry) not below the rank of Under Secretary to the Government of India, in case the institutions are controlled and managed by Central Government or receiving grants more than or equal to 50% of its expenditure (based on average of previous three year account) from the Central Government directly or through its Agencies. In all other Deemed to be Universities the UGC shall nominate a representative. The UGC will nominate its representative from a panel of names selected through a Search Committee. The Search Committee will be formed as per details & procedure as mentioned in Clause 5.0 of Annexure I for selecting the panel of names.
6. A representative of the State Government, in case the institution deemed to be university is receiving grants from the State Government.
7. Finance Officer- Secretary.

3.2 Terms of Office of the Finance Committee:

All members of the Finance Committee other than ex-officio members shall hold office for a term of three years.

3.3 Powers and Functions of the Finance Committee:

- (i) To consider the annual accounts and financial estimates of the institution deemed to be university and submit them to the Board of the Management for approval;
- (ii) To consider and recommend the annual budget and revised estimates to the Board of Management;
- (iii) To fix limits of the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure of the year based on the income and resources of the institution deemed to be university.

Note: No expenditure other than that provided in the budget shall be incurred by the institution deemed to be university without the approval of the Finance Committee.

3.5 Meetings of the Finance Committee:

The Finance Committee shall meet at least twice a year to examine the accounts and to scrutinize proposals for expenditure. Five members shall constitute the quorum for the meeting.

4.0 Board of Studies:

4.1 There shall be one Board of Studies for each Department of the institution deemed to be university.

4.2 The Board of Studies of each faculty/Department shall consist of:

1. Dean of faculty/Head of the Department - Chairperson
2. All Professors of the faculty/Department
3. Two Associate Professors of the faculty/Department by rotation of seniority
4. Two Assistant Professors of the faculty/Department by rotation of seniority
5. Not more than 2 persons to be co-opted for their expert knowledge including those belonging to the profession or industry concerned

4.3 The powers and functions of the Board of Studies shall be prescribed by the Rules of the Institution deemed to be University.

5.0 Selection Committee:

5.1 There shall be a Selection Committee for making recommendations to the board of Management for appointment to the post of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other posts as may be prescribed in accordance with the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010 as amended from time to time.

5.2 Every Selection Committee shall be constituted in accordance with the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010 as amended from time to time.

5.3 Meetings of the Selection Committee:

- (a) The meetings of the Selection Committees shall be convened by the Chairman of the Selection Committee as and when necessary.
- (b) Four members of the Selection Committee shall consisting of at least two experts shall form the quorum.
- (c) If the Board of Management is unable to accept the recommendations of the Selection Committee, it shall record its reasons thereof and require an appropriate review by a high power committee.

6.0 Officers of the institution deemed to be university

The following shall be the officers of the institution deemed to be university:

- a) Chancellor
- b) Pro Chancellor
- c) Vice-Chancellor
- d) Pro Vice-Chancellor
- e) Registrar
- f) Finance Officer
- g) Controller of Examinations
- h) Dean of Faculties
- i) Head of Department
- j) Such other officers as may be prescribed in the Rules of the institution deemed to be university.

6.1 Chancellor & Pro Chancellor:

- 6.1.1 Chancellor: The institution deemed to be university shall have a Chancellor who shall, when present, preside over the convocations of the institution deemed to be university but shall not be the Chief Executive Officer. The Chancellor, who will be appointed by the sponsoring Society/Trust/Company, shall hold office for a period of 5 years and shall be eligible for one more term.

Where power is conferred upon the Chancellor to nominate persons to authorities, he/she shall, to the extent necessary, nominate persons to represent the various interests for the furtherance of the objectives of the institutions deemed to be university.

- 6.1.2 Pro Chancellor: The Sponsoring body of the Institution deemed to be University may also appoint a person as a Pro Chancellor, whose role would be limited to carrying out the tasks assigned to the Chancellor in these Regulations, when the latter is not available for carrying out the same. The Pro Chancellor, if so appointed, shall hold office for a period co-terminus to that of the Chancellor and shall be eligible to hold the post for maximum two terms.

Expl: If a person holds the post for a term less than five years, then also it shall be treated as a term for this purpose.

6.2 Vice-Chancellor:

“(i) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of Institution Deemed to be University and shall be appointed by the Visitor/Chancellor from a panel of three names suggested by a Search-cum-Selection Committee.

Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment shall be appointed as Vice-Chancellors. The Vice-Chancellor to be appointed shall be a distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

The procedure/composition of Search-cum-Selection-Committee (SCSC) for selection of Vice-Chancellor shall be as under:

- I. In case, where Management Control of an Institution Deemed to be University is with the Central Government or the State Government, the Vice-Chancellor shall be appointed in accordance with the procedure laid down by the Central Government or the State Government, as the case may be.
- II. In case, where the funding to the Institution Deemed to be University by the Government or by its Agencies is more than or equal to 50% of its expenditure (based on average of previous three year account) the composition of Search-cum-Selection-Committee shall be as under:
 - a) A nominee of Chancellor
 - b) A nominee of the Central Government; who shall be an eminent academic nominated by the Government in consultation with UGC
 - c) A nominee of Board of Management

- III. In case, where funding is less than 50% of its expenditure, the composition of Search-cum-Selection Committee shall be as under:
- a) A nominee of the Visitor/Chancellor, who shall be the Chairperson of the Committee
 - b) A nominee of the Chairman, University Grants Commission
 - c) A nominee of the Syndicate/Executive Council/Board of Management of the Institution Deemed to be University
- (ii) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 5 years. He shall be eligible for a second term, provided that in no case shall he hold office beyond the age of 70 years.
- Provided that notwithstanding the expiry of the period of 5 years, he/she may continue in office for not more than six months or till his/her successor is appointed and the latter assumes office, whichever, is earlier.
- (iii) In case of the office of the Vice-Chancellor becoming vacant due to death, resignation or otherwise and in case of his/her absence due to illness or any other cause, the Pro Vice-Chancellor, and in his/her absence, the Senior most Professor shall perform the duties of the Vice-Chancellor until a new Vice-Chancellor is appointed, or the existing Vice-Chancellor resumes duties, as the case may be.
- (iv) The Vice-Chancellor shall not be a member of the sponsoring or managing Society/Trust/Company and/or a close relative of the President or members of the sponsoring or managing society/trust/company.

6.3 Powers of the Vice-Chancellor:

- i) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive Officer of the institution deemed to be university and shall exercise general supervision and control over the affairs of the institution deemed to be university and shall be mainly responsible for implementation of the decisions of all the authorities of the Institution deemed to be University.
- ii) The Vice-Chancellor shall be the Ex-officio Chairman of the Board of Management, the Academic Council, the Finance Committee, the Planning & Monitoring Board and Selection Committees.
- iii) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meeting of the various authorities of the institution deemed to be university.
- iv) The Vice-Chancellor may, if he/she is of the opinion that immediate action is called for on any matter, he/she shall exercise any power conferred upon any authority of the institution deemed to be university under its Regulations and Rules, and take such action or proceed to take such action and shall report to the authority concerned on the action taken by him/her on such matters.

Provided that if the authority concerned as mentioned in clause (ii) above is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Provided further that if any person in the service of the institution deemed to be university is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under the said clause, he/she shall have the right to appeal against such decision to the Board of Management within 30 days from the date on which such action is communicated to him/her and thereupon the Board of Management shall call the meeting in a subsequent meeting and may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- v) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that Regulations and Rules of the institution deemed to be university are duly observed and implemented; and, he/she shall have all the necessary powers in this regard.
- vi) All powers relating to the proper maintenance and discipline of the institution deemed to be university shall be vested in the Vice-Chancellor.
- vii) The Vice-Chancellor shall have the power to re-delegate some of his powers to any of his/her subordinate officers with the concurrence and approval of the Board of Management.
- viii) The Vice-Chancellor shall exercise all other powers as may be delegated to him/her by the Board of Management.

- ix) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Regulations, Rules and Bye-Laws.

6.4 Removal of Vice-Chancellor:

If the Vice-Chancellor of the Institution Deemed to be University does not have the qualification as required under these Regulations and also UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010 as amended from time to time or not appointed as per the procedure stipulated in these Regulations or has committed any financial/administrative impropriety, the Vice-Chancellor can be removed on the recommendations of an Enquiry Committee constituted by the Chairman UGC, after due process. The Commission based on the report of enquiry committee will give direction to the Visitor/Chancellor to remove the Vice-Chancellor. However, in case of Government controlled Institutions, the Commission will send its advice regarding removal of Vice-Chancellor to respective Ministries in Government of India/State Government/UT Government.

6.5 Pro Vice-Chancellor:

- (i) The post of the Pro Vice-Chancellor may be created with the approval of the Board of management and the Central Government.
- (ii) The Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of the Vice-Chancellor.
- (iii) The Pro Vice-Chancellor shall hold office co-terminus with the office of the Vice-Chancellor and at the pleasure of Vice-Chancellor.
- (iv) The Pro Vice-Chancellor shall have the powers and duties as prescribed by Rules of the institution deemed to be university.

6.6 Registrar:

- (i) The Registrar shall be a whole time salaried officer of the institution deemed to be university and shall be appointed by the Board of Management on the recommendations of the Selection Committee consisting of the following:-
 1. Vice Chancellor - Chairperson
 2. One nominee of the Chancellor
 3. One nominee of the Board of Management.
 4. One expert appointed by the Board of Management who is not an employee of the institution deemed to be university.
- (ii) The emoluments and other terms and conditions of service of the Registrar shall be as prescribed by Rules of the institution deemed to be university.
- (iii) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is absent by reason of illness or any other reason, the duties and functions of the Registrar shall be performed by such other person as the Vice Chancellor may appoint for the purpose.
- (iv) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Board of Management, the Academic Council and the Planning and Monitoring Board, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.
- (v) The Registrar shall be directly responsible to the Vice-Chancellor and shall work under his direction.
- (vi) The following shall be the duties of the Registrar: -
 1. To be the custodian of the records and the funds and such other property of the institution deemed to be university as the Board of Management may commit to his/her charge;
 2. To conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the institution deemed to be university;

3. To issue notices convening meetings of the authorities of the institution deemed to be university and all Committees and sub-Committees appointed by any of these authorities;
4. To maintain the minutes of the meetings of all the authorities of the institution deemed to be university and of all the Committees and sub-Committees appointed by any of these authorities;
5. To make arrangements for and supervise the examinations conducted by the institution deemed to be university;
6. To represent the institution deemed to be university in suits or proceedings by or against the institution deemed to be university, sign powers of attorney and perform pleadings or depute his/her representatives for this purpose;
7. To enter into agreement, sign documents and authenticate records on behalf of the institution deemed to be university;
8. To make arrangements to safeguard and maintain the buildings, gardens, office, canteen, cars and other vehicles, laboratories, libraries, reading rooms, equipment and other properties of the institution deemed to be university;
9. To perform such other duties as may be specified in the Rules or as may be assigned by the Board of management or the Vice-Chancellor from time to time.

6.7 Finance Officer:

- (i) The Finance Officer shall be a whole time salaried officer of the institution deemed to be university and shall be appointed by the Board of Management.
- (ii) The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be as may be prescribed by Rules of the institution deemed to be university.
- (iii) The Finance Officer shall work under the direction of the Vice-Chancellor and shall be responsible to the Board of Management through the Vice-Chancellor.
- (iv) He/she shall be responsible for the preparation of annual budget, estimates and statements of account for submission to the Finance Committee and the Board of Management.
- (v) He/she shall be responsible for the management of funds and investments of institution deemed to be university, subject to the control of Board of Management.

6.8 Controller of Examinations:

- (i) The Controller of Examinations shall be appointed by the Board of Management.
- (ii) The emoluments and other terms and conditions of service of the Controller of Examination shall be as may be prescribed by Rules of the institution deemed to be university.
- (iii) The Controller of Examinations shall ensure that all the specific directions of the Board of Management, Academic Council and Vice-Chancellor in respect of examination and evaluation are complied with.
- (iv) The Controller of Examinations shall be a permanent invitee to the Board of Management.

6.9 Dean:

The Departments dealing with allied subjects could be grouped into faculties. Each faculty may be headed by a Dean.

6.10 Head of the Department:

- (i) There shall be a Head of the Department for each of the Departments in the institution deemed to be university who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the Department.

Provided that if there is no Professor in the Department or there is only one Professor in the Department whose term as Head of the Department is ending, the Vice-Chancellor may appoint an Associate Professor as Head of the Department.

- (ii) The term of the Head of the Department shall normally be 3 years and he/she shall be eligible for reappointment for one more term, but not for two consecutive terms.
- (iii) The powers and functions of the Head of the Department shall be prescribed by Rules of the institution deemed to be university.

7.0 Delegation of Powers:

Subject to the provisions of these Regulations and Rules, any authority or officer of the institution deemed to be university, with the approval of Board of Management, may delegate its power to any other authority or officer or person under their respective control and subject to the conditions that the overall responsibility for exercising the powers so delegated shall continue to rest in the authority or officer delegating such powers.

8.0 Seniority List:

- (a) Whenever in accordance with these Rules any person is to hold an office or to be a member of an authority of the Institution deemed to be University by rotation of seniority, such seniority shall be determined according to the length of the continuous service of such person in the grade in the institution deemed to be university in accordance with such other principles as the Board of Management may from time to time prescribe.
- (b) It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain in respect of each class/cadre of persons to whom the provisions of these Rules apply a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions of the foregoing clause.
- (c) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade/cadre or the relative seniority of any person or persons is in doubt, the Registrar may on his/her own notion and shall at the request of any such person, submit the matter to the Board whose decision shall be final and binding.

9.0 Dispute as to Membership :

If any question arises, whether any person has been duly nominated or appointed, as or is entitled to be a member of any authority or any committee of the institution deemed to be university, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final and binding.

10.0 Grievance Redressal Mechanism:

For individual grievances and complaints, every institution deemed to be university shall have a Grievance Redressal Mechanism as may be prescribed by the UGC.

10.0A Special Provisions:

Every Institution Deemed to be University shall have the following special provisions as per UGC norms:-

- (i) Anti Ragging Cell
- (ii) Anti discrimination Cell
- (iii) Gender Sensitization Cell
- (iv) Internal Complaints Committee for prevention of Sexual Harassment
- (v) Barrier Free access in all places

10.0B Institution Deemed Universities shall be allowed to take credits earned from other institutions under Choice Based Credit System as per the norms of UGC.

10.0C Institution Deemed to be Universities shall review the syllabus every three years keeping in view the developments in the domains of knowledge.

- 10.0D Institution Deemed to be University shall adhere to all the Rules, Regulations, norms, guidelines, directions, etc. issued/notified by the UGC/Government of India from time to time.
- 10.0E The Commission can issue directions to an Institution Deemed to be University for implementation of any law or Government Policy or in case of any violation of any law or policy.
- 11.0 Resignation:
- Any member other than an ex-officio member of any authority may resign by a letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chancellor or the Chairman of the Board of Management, as the case may be.
- 12.0 Acting Chairman of the Meetings :
- Where no provision is made for a Chairman to preside over a meeting of an authority of the institution deemed to be university or any committee of such authority, or if the Chairman so provided is absent, the members present may select one from amongst themselves to preside at such meeting.
- 13.0 Validation of certain actions, decisions:
- No action or proceedings of any authority or anybody or any committee of the institution deemed to be university shall be invalid merely by reason of any vacancy therein.
- 14.0 Disqualification:
- (a) A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of any of the authorities of the institution deemed to be university:
- i) if he/she is of unsound mind
 - ii) if he/she is an un-discharged insolvent
 - iii) if he/she has been convicted by a court of law of an offence involving moral turpitude.
 - iv) if he/she has not been appointed as per the provisions of UGC Regulations.
- (b) If any question arises as to whether a person is or has been subjected to any disqualifications mentioned above, the question shall be referred for decision to the Chancellor and his decision shall be final.
- 15.0 Filling of Casual Vacancies:
- Casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or any Committee of the institution deemed to be university shall be filled as soon as it may be convenient by the such authority or the person who appointed or co-opted the member whose place has become vacant and the person appointed or co-opted to a casual vacancy shall be member of such authority or committee for the residual term for which the person whose place he/she fills would have been a member.
- 16.0 Review of the Academic Activities of the institution deemed to be university :
- The functioning of the institution deemed to be university may be reviewed after a period of every 5 year or earlier if necessary, by a Committee appointed by the Commission.
- 17.0 Inspection of the institution deemed to be university by the Commission:
- i) The Commission may cause an inspection, to be made by such person or persons as it may direct, of the institution deemed to be university, its buildings, fixtures and fittings, laboratories and equipment as also examinations, teaching and other work carried on or done and, if necessary, to cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration or finances of the institution deemed to be university.
 - ii) The Commission shall, in every case, give notice to the institution deemed to be university of its intension to cause an inspection or inquiry to be made and on receipt of such a notice, the institution deemed to be university shall have the right to make such representations to the Commission as it may consider necessary.

- iii) Where an inspection or inquiry has been caused to be made by the Commission, the institution deemed to be university shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and to be heard at such inspection or inquiry.
- iv) The Commission may communicate the result of such inspection or inquiry together with such advice as it may be pleased to offer as to the action to be taken by the institution deemed to be university to the Vice-Chancellor who shall communicate the same to the Board of Management.
- v) The Board of Management shall give proper consideration to the said communication regarding the result of inspection or inquiry and the proposals for action by the institution deemed to be university and communicate to the Commission the action, if any, which it proposes to take or has taken upon the result of such inspection or inquiry.
- vi) Where the Board of Management does not, within a reasonable time, take any action to the satisfaction of the Commission, the Commission may, after giving due consideration to the explanation furnished or representation made by the Board of Management to it, issue such directions as it may think fit and the Board of Management shall comply with such directions.

18.0 Income and Property of the institution deemed to be university to be utilized for its objectives only:

The income and property of the institution deemed to be university shall be utilized solely for promoting the objectives of that institution deemed to be university.

19.0 Ban on payment or transferring of Income and Property of the institution deemed to be university by way of Profit:

No portion of the income and property of the institution deemed to be university shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise howsoever by way of profit to the persons who were at any time or are members of the institution deemed to be university or to any of them or any persons claiming through them, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the institution deemed to be university or for travelling or other allowances and such other charges.

20.0 Funds, Accounts, Audits and Annual Report:

- i) The accounts of the institution deemed to be university shall be maintained in the name of the institution deemed to be university and not in the name of the sponsoring Society/Trust/Company. The accounts of the institution deemed to be university shall be kept in such forms as may be laid down by the Board of Management and shall conform to the rules, if any, prescribed by the Commission. In case of Institutions being funded by Central or State Government or their agencies fully or partially, then the accounts of such institutions deemed to be university shall be open for examination by the Controller and Auditor General of India. The accounts shall also be open for inspection by the Commission.
- ii) The annual financial statements and accounts shall be audited by the Chartered Accountant of the institution deemed to be university.

Provided that in case of reasonably credible reports being received of financial impropriety or of embezzlement or of illegal diversion of funds from the accounts of the University/Managing Society or of fees being collected against the provision of the regulations, then the Commission may order an additional audit to be done by a Chartered Accountant selected by the Commission and take further action deemed fit under the Regulations based on the audit report.

- iii) Annual Reports and the Audit Reports shall be submitted by the institution deemed to be university to the Commission within nine months of the closure of the accounting year.

21.0 Rules of the institution deemed to be university :

Subject to the provisions of the Regulations and the Rules of the Commission, the Board of Management shall, in addition to all other powers vested in it, have the power to frame the Rules of the institution deemed to be university that may provide for all or any of the following matters: -

- (i) establishment of Departments of teaching ;

- (ii) courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the Institution deemed to be University;
- (iii) grant of academic awards (such as degrees and diplomas) and distinctions;
- (iv) admission of students to the Institution deemed to be University and their enrolment as such;
- (v) the fees to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the Institution deemed to be University;
- (vi) conduct of examinations, appointment of examiners and approval and publication of results thereof;
- (vii) institution of award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes and prescription of the conditions thereof;
- (viii) maintenance of discipline among the students;
- (ix) maintenance of discipline among the employees;
- (x) establishment of halls of residence and conditions of residence and health of the students;
- (xi) classification, emoluments, method of appointment and determination of the terms and conditions of service of the staff;
- (xii) such other powers, functions and duties of the Academic Council as are not mentioned elsewhere;
- (xiii) constitution, powers and functions of the Planning & Monitoring Board;
- (xiv) Powers and functions of the Board of Studies;
- (xv) composition, powers and functions of the Grievance Redress Mechanism;
- (xvi) prescribing persons as such other officers of the institution deemed to be university;
- (xvii) such other powers and functions of the Vice-Chancellor as are not specified elsewhere;
- (xviii) emoluments, terms and conditions of service of the Register;
- (xix) emoluments, terms and conditions of service of the Finance Officer;
- (xx) constitution of pension, provident fund, insurance etc for the benefit of the officers, teachers, and the other staff;
- (xxi) establishment of special centers;
- (xxii) creation, composition and functions of any committees or body, which is considered necessary for the work of the institution deemed to be university;
- (xxiii) procedure for preparation and submission of budget estimates;
- (xxiv) procedure for convening of meeting of any authority or committee;
- (xxv) laying down of procedures to be observed at any meeting of any authority or any committee;
- (xxvi) constitution of any other body as an authority of the institution deemed to be university;
- (xxvii) delegation of powers to any authority or officer;
- (xxviii) all other matters by this Regulation or the Rules may be provided but no rule shall be made affecting the condition of residence, health, discipline, admission, enrolment of students, conditions, mode of appointments, duties of examiners, conduct of and standard of examinations or any course of study without consulting the Academic Council.

22.0 Interpretation Clause:

In the event of conflict of opinion with regard to interpretation of Regulations or the Rules of the Commission, the opinion of the Commission shall be final.

23.0 Legal Proceedings:

- i) For the purpose of Section 6 of the Societies Registration Act, 1860, the person in whose name the institution deemed to be university may sue or be sued shall be the Registrar.
- ii) No suit or legal proceedings shall lie against the Central Government or the Commission or the institution deemed to be university or an Officer of the institution deemed to be university or a member of the authority of the institution deemed to be university in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of any of these Regulations.

24.0 Alteration, Amendments and Additions to the Rules governing the functioning of the institution deemed to be university:

No Rule and Bye law governing the functioning of the institution deemed to be university may be altered, amended and added to by the Board of Management or such other competent body to the effect that it is in conflict with or to the detriment of the provisions of these Regulations; and, no alteration, amendment or addition to the Rules and bye laws shall be given effect to without the prior approval of the Commission in accordance with the provision of the Societies Registration Act, 1860 or the relevant Public Trust Act or Companies Act as in force for the time being.

PRAVEEN KUMAR, Jt. Secy.

[ADVT. III/4/Exty./166 (113)]